CONTENTS

Fifteenth Series, Vol.XXI, Ninth Session, 2011/1933 (Saka) No.18, Monday, December 19, 2011/ Agrahayana 28, 1933(Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Golden Jubilee of Liberation of the state of Goa and the Union Terriroty of Daman and Diu	2-9
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No.341 to 345	10-37
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.346 to 360	38-86
Unstarred Question Nos.3911 to 4140	87-437

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	438-458
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	459
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 40 th to 46 th Reports	460
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 5 th Report	460
COMMITTEE ON AGRICULTURE 27 th Report	461
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 32 nd Report	461
STATEMENTS BY MINISTER (i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 97 th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry	461-464 461
(b)Comprehensive package for the handloom sector	462-464
Shri Anand Sharma	
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2011	465
INTRODUCTION OF MINISTER	465
SUBMISSION BY MEMBERS	468-471, 495-500
Re: Reported ban of Bhagvad Gita in Russia and the need to protect the religious rights of Hindus in Russia	

MAT	ΓERS UNDER RULE 377	473-485
(i)	Need to direct Airport Authority of India to expedite assessment of Environmental Impact due to proposed reclamation of sea land for extension of runway at Agatti Airport in Lakshadweep	
	Shri Hamdullah Sayeed	473
(ii)	Need to provide funds for electrification of villages in Bahraich Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana	
	Shri Kamal Kishor Commando	474
(iii)	Need to implement the proposed Kengri-Kankapura- Chamarajanagar railway line project in Chamarajanagar Parliamentary Constituency, Karnataka	
	Shri R. Dhruvanarayana	475
(iv)	Need to provide reservation of jobs to Muslims in Central Government Services	
	Shri P.L. Punia	476
(v)	Need to constitute a National Commission for Farmers' Rights for redressal of problems of farmers in the country	
	Shri Pradeep Majhi	477
(vi)	Need to give environmental clearance to diversion of forest land for construction of hydro-electric and irrigation projects in Karouli-Dholpur Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Khiladi Lal Bairwa	478

19.12.2011 4

(vii)	Need to release funds for electrification of villages under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Khargone Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh	
	Shri Makan Singh Solanki	479
(viii)	Need to provide citizenship to the Hindu and other minority community of Pakistani refugees who took shelter in India after partition in 1947	
	Shri Kabindra Purkayastha	480
(ix)	Need to take measures to ensure the return of the innocent labourers who are forced to work as bonded labourers in foreign countries after being trapped by fraudulent travel agents	
	Shri Virendra Kumar	481
(x)	Need to ensure availability of fertilizers to farmers at affordable price and to remove the disparity between supply and distribution thereof	
	Shrimati Usha Verma	482
(xi)	Need to provide adequate quantity of fertilizers to farmers at affordable price in the country	
	Shri Bhismshankar alias Kushal Tiwari	483
(xii)	Need to release funds for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Supaul Parliamentary Constituency, Bihar	
	Shri Vishwa Mohan Kumar	484
(xiii)	Need to convert Kalimati-Kankadahad route (via Baspal-Bamebari-Telboi) in Keonjhar Parliamentary Constituency, Odisha into a National Highway	
	Shri Yashbant Laguri	485

(xiv)	Need to set up an institute of national importance at Kolkata after the name of Shri P.C. Ray, a great scientist of India	
	Dr. Tarun Mandal	485
CHAI	RTERED ACCOUNTANTS (AMENDMENT) BILL, 2011	486-487
	Motion to Consider	486
	Clauses 2, 3 and 1	487
	Motion to Pass	487
COST BILL	T AND WORKS ACCOUNTANTS (AMENDMENT) , 2011	488-489
	Motion to Consider	488
	Clauses 2 to 8 and 1	488
	Motion to Pass	489
	STITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER ENDMENT) BILL, 2011	490-491
	Motion to Consider	490
	Clauses 2 and 1	490
	Motion to Pass	491
COM	PANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2011	492-493
	Motion to Consider	492
	Clauses 2, 3 and 1	492
	Motion to Pass	493
	USSION UNDER RULE 193 at to Ganga and Himalayas because of over-exploitation	501-593
	Shri Rewati Raman Singh	501-505
	Shri Satpal Maharaj	506-509
	Shri Hukmadeo Narayan Yadav	510-514

Dr. Baliram	515-516
Shri Sharad Yadav	517-520
Sk. Saidul Haque	521-523
Shri Lalu Prasad	524-527
Shri C. Sivasami	528-529
Dr. Kirit Premjibhai Solanki	530
Shri Mahendrasinh P. Chauhan	531
Shri P. Lingam	532-534
Shri Thol Thirumaavalavan	535-538
Shri Arjun Ram Meghwal	539
Shri A.T. Nana Patil	540
Shri Ramashankar Rajbhar	541
Shri Sanjay Dhotre	542
Shrimati Annu Tandon	543-545
Shri Ravindra Kumar Pandey	546
Shri Rajendra Agrawal	547
Shri Prasanta Kumar Majumdar	548-550
Shri Gorakhnath Pandey	551
Shri Bhartruhari Mahtab	532-556
Shri P.T. Thomas	557-558
Shri Kapil Muni Karwariya	559
Shri Jagdambika Pal	560-561
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	562
Shri Sushil Kumar Singh	563-565
Shri Hansraj G. Ahir	566-567
Dr. Tarun Mandal	568
Shri Prem Das Rai	569-570
Shri Pradeep Tamta	571-572
Shri Ganesh Singh	573

Shri Ratan Singh	574
Shrimati Jayanthi Natarajan	575-592
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	606
Member-wise Index to Unstarred Questions	607-612
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	613
Ministry-wise Index to Unstarred Ouestions	614

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia
Shri P.C. Chacko
Shrimati Sumitra Mahajan
Shri Inder Singh Namdhari
Shri Francisco Cosme Sardinha
Shri Arjun Charan Sethi
Dr. Raghuvansh Prasad Singh
Dr. M. Thambidurai
Dr. Girija Vyas
Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 19, 2011/ Agrahayana 28, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Golden Jubilee of Liberation of the state of Goa and the Union Terriroty of Daman and Diu

MADAM SPEAKER: Hon. Members, as you are all aware, today marks the Golden Jubilee of the liberation of the State of Goa and the Union Territory of Daman and Diu. It was on 19th December 1961 that the Indian Armed Forces launched Operation Vijay and liberated Goa, Daman and Diu from the shackles of Portuguese rule.

The House congratulates the people of Goa, Daman and Diu on the occasion of completing fifty years of freedom and conveys its best wishes to them in their march towards prosperity and all around development.

On this occasion, let us pay our tributes to the valiant freedom fighters and soldiers who laid down their lives during the freedom struggle.

The House may now stand in silence for a short while to mark the solemnity of the occasion.

11.01 hrs.

The Members then stood in silence for a short while

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Today, I shall stand before the nation in the name of all the Goans to thank the country on the occasion of 50 years of liberation of Goa. The Goans are indebted to all the freedom fighters starting from Tristao Branganza da Cunha who is considered as the father of the freedom movement of Goa and all others who have laid their lives and sacrificed for the cause of liberation of the State from the colonial rule of Portugal.

The Portuguese ruled Goa for about 450 years and it was finally liberated on 19th December, 1961. On 19th December, 1961, the Indian troops marched into Goa, Daman and Diu and liberated all the territories in 48 hours. Several people died on the occasion and the operation was called Operation Vijay. On 17th December, 2011 Goa paid tributes to the Armed Forces in Goa and we were proud to have the presence of the UPA Chairperson Shrimati Sonia ji and the Defence Minister Shri Antony ji on this occasion.

Operation Vijay was undertaken with the blessings of the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Operation Vijay was entirely supported and welcomed by all the people of Goa. On this historic day, we not only celebrate our Independence but also pay tributes to the Indian Armed Forces for their heroic feat. We have come a long way since liberation from the Portuguese Rule in 1961.

Goa is now an economically and socially advanced State with highest *per capita* income among all the Indian States and boasts of socio-economic indicators that are way above the national average. The State contributes immensely to the Central coffers through collection of Central Excise, Income-Tax, Customs Duty and foreign exchange earnings from tourism and export of minerals.

People of Goa are grateful to the Central Government for all the help and support that the State has received in its march to prosperity. The State shall be



extremely proud if the entire country joins us in celebrating the Golden Jubilee of Liberation and the achievement of the State in the past 50 years.

Jai Goa. Jai Hind.

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमारे गोवा के एक और स्वतंत्रता सेनानी डा. टी.बी. कुन्हा जी के चित्र का सेन्ट्रल हॉल में अनावरण किया है। यह गोवा के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि ऐसे एक सेनानी जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर, गोवा को स्वतंत्र करने में अपनी भूमिका अदा की है। गोवा आज अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। डा. टी. बी. कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सह कर गोवा को 1961 में स्वतंत्रता दिलाई है। आधुनिक भारत के यशस्वी सपूत डा. टी. बी. कुन्हा गोवा के जनक के रूप में माने जाते हैं और ऐसे ही उन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। डा. टी.बी. कुन्हा एक दूरदृष्टा राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे। पूर्तिगजों ने 450 साल तक गोवा के ऊपर राज्य चलाया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक यातनाएं दी तो भी इस देश के साथ गोवा को भी लिबरेट करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। उन्होंने गोवा को स्वतंत्रता दिलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

महोदया, गोवा इस देश का एक छोटा-सा भाग है। जब तक गोवा की स्वतंत्रता पूरी नहीं होगी तब देश की स्वतंत्रता पूरी नहीं हो पाएगी इसी विचार से उन्होंने लगातार गोवा की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। एक स्मरणीय बात यह है कि गोवा जैसे देश के छोटे-से भूभाग ने ऐसे पुरूषों और महिलाओं को जन्म दिया उनकी संख्या अपेक्षा से काफी ज्यादा है। उन्होंने इस लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इन्हीं लोगों में टी. बी. कुन्हा जैसा एक नाम है जिन्होंने उसकी एक अलग पहचान दिखा दी। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने ऑपरेशन विजय में अपने प्राण न्योछावर किए और राजकीय नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान दिया है उन सभी का मैं इस शुभ अवसर पर धन्यवाद करता हं।

में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना दो शब्द पूरा करता हूं-भारत माता की जय।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, I join with you, and the other distinguished colleagues who have expressed their salutation to the heroic freedom fighters of Goa. As a young man, I remember that we had to wait 14 years from 1947 to 1961 to get Goa liberated from the yoke of the colonial rule. When it became independent, some parts of the country were under different colonial masters. Like some parts including Chandan

Nagar, Pondicherry were under the French control. Similarly, Goa, Daman, and Diu were under the control of the Portuguese. With the French authorities through negotiations, these Enclaves were liberated, but for Goa, not only the people of Goa but even the people from the rest of the country also had to fight for its liberation.

I remember, two very distinguished Members of this very House itself – Prof. Deshpande and Shri Tridib Choudhary who offered *Satyagraha* for the Goa liberation and they spent a number of years – almost two and a half years - Tridib Babu spent in Goa Aguada Fort jail during the regime of Salazar.

A large number of people of Goa and a large number of people from different parts of the main land of the country had struggled for the liberation of Goa and ultimately on 19th December, 1961, the people of Goa got their liberation and the process of Indian independence completed. I take this opportunity in saluting those great heroes and I thank you, Madam, for giving me this opportunity.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, 19 दिसम्बर का दिन हम गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से पचास वर्ष पहले 19 दिसम्बर, 1961 को गोवा स्वतंत्र हुआ। अगर मैं यह कहूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कम महत्व इस आंदोलन का नहीं है, तो गलत नहीं होगा। अभी याद कर रहे थे प्रणब दा, क्योंकि केवल गोवा के लोगों ने नहीं, बल्कि देश के अन्य भागों से लोगों ने जाकर इसका नेतृत्व किया था। उस समय भारतीय जनसंघ से श्री जगन्नाथ राव जोशी और समाजवादी पार्टी से श्री मधु लिमये उसमें गए थे। भाई शरद यादव यहां बैठे हैं, जो इसके साक्षी हैं कि जमना प्रसाद शास्त्री जी, जो समाजवादी नेता थे, उनकी आंखें उस आंदोलन में चली गई थीं और वे नेत्रहीन हो गए थे। उसके बाद लगभग 30 वर्ष की जिंदगी उन्होंने नेत्रहीन होकर गुजारी थी। वे इस सदन के सदस्य भी थे। लेकिन आज के दिन एक तो मैं भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगी कि गोवा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को स्वतंत्रता सैनिक करार दिया गया और उन्हें उसी तरह सैनिक सम्मान पैंशन दी गई, जिस तरह 1947 के सैनिकों को दी गई। लेकिन मेरे नोटिस में एक केस है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। प्रणब दा, नेता सदन यहां बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नौ लोगों ने गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। उन लोगों को आज तक वह पैंशन नहीं मिली। पूराने दस वर्षों से मैं वह फाइल लिए-लिए घूम रही हं। मैंने अलग-अलग गृह मंत्रियों को

यह बात कही है। उसमें एक पेच था कि राज्य सरकार यह लिखकर दे कि वे वाकई वहां गए थे। फारूख अब्दुल्ला जी की सरकार ने लिखकर भी दे दिया कि वे वहां गए थे। वे नौ लोग हैं, जो बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और अभी आठ बचे हैं। उनके लिए थोड़ा सा पैसा शायद महत्व नहीं रखता, लेकिन यह रिकॉगनिशन, मान्यता कि हां, वे वाकई गोवा मुक्ति संग्राम में गए थे, मैं चाहूंगी यदि प्रणब दा उस फाइल को निकलवा लें और मरने से पहले उन लोगों को यह मान्यता मिल जाए तो आज यह पचासवां वर्ष मनाना उनके लिए बहुत बड़ी सार्थकता होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज उन तमाम सैनिकों को मैं संसद के इस मंच पर खड़े होकर श्रद्धावनत प्रणाम करना चाहती हूं, जिन्होंने गोवा को मुक्ति दिलाई और हमें गोवा मुक्ति दिवस मनाने का एक मौका दिया। धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, अभी गोवा के माननीय सदस्यों, नेता सदन और नेता, विपक्ष ने अपनी बात रखी। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। मेरा भावनात्मक संबंध इसलिए भी है कि गोवा को आजाद कराने में डा. राम मनोहर लोहिया ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब जाकर गोवा आजाद हुआ। इसलिए माननीय सदस्यों, नेता, सदन और नेता, विपक्ष ने जो कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि उन्हें पैंशन देनी चाहिए। उन्हें और भी जो सुविधा देनी हो, वह देनी चाहिए। यह मामूली लड़ाई नहीं थी। हिन्दुस्तान पहले आजाद हो चुका था लेकिन गोवा बचा था। वह 1961 में आजाद हुआ। इसलिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को महत्व देना जरूरी है। मैं सुझाव ही दे सकता हूं, सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं सरकार बताए कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को क्या सम्मान दिया जा रहा है?

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, Goa is a very beautiful State of our country. Many people have sacrificed their lives for the liberation of Goa. This is a very noble day. I congratulate the people of Goa on this occasion and I would also like to appreciate them for maintaining their culture. At the same time, as you have already mentioned, we pay our respects and homage to the martyrs who lost their lives in the liberation struggle of Goa.

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Thank you, Madam Speaker. On the solemn occasion of the Fiftieth Anniversary of Goa Liberation Movement, on behalf of my Party CPI(M), I sincerely pay my heartfelt respect to the heroes of the Independence Movement of Goa and I congratulate the people of Goa. They



are integrated part of our country and I hope that they prosper well in the future also.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस मामले में नेता सदन, विरोधी दल की नेता और अन्य लोगों के साथ अपने को शरीक करता हूं। आज गोवा की आजादी का दिन है, इसलिए जश्न भी है। लेकिन पहले सत्याग्रही डॉ. लोहिया थे। प्रणब बाबू के ध्यान में इस बात का कहीं, जिक्र नहीं मैं मानता हूं कि इस देश में डॉ. लोहिया का इस तरह से अभिनंदन करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनके जैसे लोगों का अभिनंदन हो गया, तो फिर बात ही अलग हो जायेगी। वे बड़े आदमी हैं। गोवा के लिए श्री जगन्नाथ जोशी, मधु लिमये जी और हम दोनों इमर्जेंसी में डेढ़ साल साथ-साथ रहे। ... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: मधु लिमये जी को 12 साल की सजा हुई थी। ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): उन्हें जो घायल किया गया था, चोट पहुंचाई गयी थी, तो उनका सबसे ज्यादा इलाज और सबसे ज्यादा चिंता हम लोग किया करते थे। उनकी पसलियां टूट गयी थीं और वे दमा के मरीज थे। वे 12 साल जेल में रहे। मैं गोवा की इस आजादी के लिए अपनी खुशी जाहिर करता हूं। लेकिन इतिहास में काटना, छांटना ठीक बात नहीं है, यही मेरी विनती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, we are deliberating today remembering the great struggle the freedom fighters have undertaken to liberate Goa 50 years ago. But that struggle was there for more than 15 years. It did not start in 1947 but much before that. The struggle, as a student of history I would recollect, was for more than 100s of years. The struggle was for freedom, the struggle was for independence.

My first visit to Goa was not to witness the natural beauty but to attend the Freedom Fighters' Association's Congregation. I visited a number of freedom fighters' families and till today there are many families in Goa who are still languishing. The support that the Government is providing to those families, of course, is a great thing, but there are a number of children who are still languishing in poverty and I would request the hon. Finance Minister and the Leader of this House that adequate steps may be taken for the children of freedom fighters who are poor and dejected. That will be a great service to the families of freedom fighters.

With these words, I bow my head before the freedom fighters of Goa.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, आज गोवा, जिसकी चर्चा हो रही है, वह देश में ही नहीं, बिल्क दुनिया में खूबसूरती के मामले में जाना जाता है। इस देश की आजादी के काफी दिनों बाद गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद: मैडम, गोवा मुक्ति संग्राम में जिन महान विभूतियों ने हिस्सा लिया था, उनमें डा. राम मनोहर लोहिया, मधुलिमये और मेरे इलाके के सरयू राय जी आज भी जीवित हैं। जिन महान विभूतियों ने हिस्सा लिया, गोवा को मुक्त कराया, उनको हम आज याद करते हैं। आपने अच्छा काम किया। एक तरफ जहां गोवा तरक्की की तरफ अग्रसर है, हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन तमाम वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): महोदया, मुझे खुशी है और आज मैं गोवा के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। गोवा और महाराष्ट्र का बहुत नजदीक का नाता है, मधु दण्डवते जी, मधुलिमये जैसे लोगों ने गोवा को आजाद कराने में कामयाबी पाई है। मैं एनसीपी पार्टी की ओर से आज के अवसर पर धन्यवाद देता हूं।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Thank you, Madam. I congratulate the people of Goa on this very day. We congratulate Mr. Tridib Chaudhuri, ex-MP of our Lok Sabha and also Gen. Chaudhari, who had conducted the Operation Vijay in Goa. SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Madam, we congratulate the people of Goa on this very great occasion. We had an association with the DMK Party's founder leader Dr. C.N. Annadurai, who was affectionately called as Anna. When he had been to US, on the way he visited Vatican City and met the Pope to release Mr. Ranade, who was languishing in the Portuguese prison even after three years of independence. After his meeting with Pope, the Pope's intervention made the release of Mr. Ranade. The DMK's association with Goa is also there. We must honour the leaders like Dr. Ram Manohar Lohia, who had conducted a march for the release of Goa. I once again congratulate the people of Goa. At the same time, we also pay our respect to those leaders who had fought for the freedom of Goa.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदया, आज गोवा मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर गोवा के दोनों प्रतिनिधियों, हमारे साथीगण, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी पार्टियों के लीडर्स ने जो भावना रखी है, उसके साथ जुड़ते हुए मैं, अपनी पार्टी की ओर से, मुक्ति संग्राम में शहीद होने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजिल अर्पित करता हूं।

(Q.341)

MADAM SPEAKER: Now, Question Hour.

Question No. 341, Shri C.M. Chang.

SHRI C.M. CHANG: Madam Speaker, my supplementary question is regarding the mines in the Jaintia Hills of Meghalaya. Various non-Government organizations and media reports estimated that close to 70,000 children work in the coal mines in these hills. They are mostly from Assam, Bihar, Jharkhand and even Nepal and Bangladesh. These children are paid minimum wages and they work in extremely dangerous conditions, capable of causing not only physical harm but long-term psychological trauma as well.

I would like to ask the hon. Minister as to whether the Government has any specific strategy in place to handle the situation specific to child labour in mines and their rehabilitation because a uniform policy applied throughout the country does not seem to be effectively handling the problems.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam Speaker, child labour in mines and hazardous places is prohibited and only those who are above 14 years can work on the hazardous and mining areas. If the hon. Member can bring any specific case of child labour in any particular coal mining area or send us in writing the details, I will ask the concerned authority to take suitable action. We have already sent a Central Team which did not find any large scale violations in Meghalaya.

We are again sending a team to enquire about this. If the hon. Member has got any further information, I would request him to kindly pass that information to me so that I can send the Central team to look into that.

SHRI C.M. CHANG: Madam Speaker, my second supplementary is regarding the International Labour Organization Convention no. 182 Worst Forms of Child Labour, 1999. We are almost at the end of 2011. Yet, there appears to be no word from the Government regarding why India has as yet not ratified this Convention.

Can the Minister please explain the reasons for the same? Is the Convention not in India's interest?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We are as much concerned as the hon. Member is.

Madam Speaker, as per the ILO Convention no. 182 the term 'child' shall apply to all persons under the age of 18 years. Here, in our Constitution, even for compulsory education and even in the Child Labour Act or various labour Acts, the age limit is 14. To ratify this Convention, we have not only to consult all the States but also we have to see what will be its wider repercussion in the entire economy of this country. At present, we are trying our best to prohibit persons up to the age of 14 years. As to how we can prohibit them, we are consulting all the Secretariats and the Ministries concerned. As soon as we get the response for that, this can be taken up separately. At present, we have not ratified this Convention. We will try to ratify it in some of the areas particularly mining, hazardous works, in explosive and such occupations.

SHRI P. KUMAR: Our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, with vision and mission, initiated efforts to eliminate child labour in Tamil Nadu. The Rules were framed for the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986. A State Advisory Board for child labour was constituted; enforcement machinery was geared up and training was given to the officials; and the Child Labour Projects were initiated in nine districts. The children were withdrawn from the hazardous establishments and were admitted in special schools and mainstreamed into formal schools. In tune with the National Policy on Child Labour, the Government of Tamil Nadu have also initiated a number of measures for the eradication of child labour.

Therefore, I would like to know whether the Government has undertaken any joint programme involving the Ministry of Labour and the Ministry of Social Justice to prevent child labour.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: The Government of India has taken various steps, and assistance is given through NLCP and other measures. The hon. Member himself has stated all those things.

I am thankful to the government of Tamil Nadu, and irrespective of the Governments, they have taken interest in the child labour projects. The hon. Member has given certain suggestions, and we will try to consider those in our present schemes.

श्री जयंत गंगाराम आवले : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में बाल भवन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र को प्राप्त हुआ है, अगर हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिन बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया, जिन्होंने इन बालकों को मजदूरी पर रखा गया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? श्री मिल्लकार्जुन खरगे : महाराष्ट्र के किसी स्पेसिफिक जिले में या किसी तालुका में ऐसी समस्या है तो उसे हल करने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। अभी महाराष्ट्र के 15 जिलों शोलापुर, ठाणे, सांगली, जलगांव, नंदूरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धूले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गोंदिया और मुम्बई

सबअर्बन में चल रहे हैं। यहां पर अभी एनसीएलपी के स्कूल्स चल रहे हैं और जो बच्चे हैजार्डस वर्क में काम करते हैं, उन्हें छुड़ाकर इन स्कूल्स में लाया जा रहा है। अगर किसी एरिया में ऐसे स्कूल्स नहीं हैं, अगर माननीय सदस्य बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर भी ऐसे स्कूल्स खोले जाएं।

श्री तूफानी सरोज: महोदया, सरकार ने बाल-मजदूरी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कानून बनाया है और लम्बे अर्से से बाल-मजदूरी रोकने का दावा कर रही है, लेकिन आज भी बाल-मजदूरी की समस्या जस की तस बरकरार है। राष्ट्रिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान भी चलाया जाता है और इस अभियान में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं भी शामिल होती हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या गैर-सरकारी संगठन भी इस कार्य में लगे हुए हैं और राष्ट्रसंघ और सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को क्या धनराशि दी जाती है और ऐसे कितने संगठन हैं जो बाल-मजदूरी मुक्ति में लगे हुए हैं?

श्री मिल्लिकार्जुन खरगे: हमारे पास एनजीओज के पूरे आंकड़े नहीं हैं फिर भी मैं आपको उन आंकड़ों को भेजूंगा और जो एनजीओज हैं, उन्हें 75 परसेंट, 25 परसेंट रेशों के तहत धनराशि दी जाती है और उस धनराशि के तहत वहां पर चाइल्ड लेबर इर्रेडिकेशन का काम करने के लिए, स्कूल चलाने के लिए दिया जाता है। दूसरी जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे कम्प्लसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हो, चाहे मनरेगा

कार्यक्रम हो, मिड-डे मील हो, एनसीडीसी के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स इंक्लूसिव रहने की वजह से, इन-टोटेलिटी सपोर्ट करते हैं चाइल्ड-लेबर को एबोलिश करने के लिए।

मैडम, आपको याद होगा कि आपने 25 साल पहले इसी महीने में जब माननीय संगमा जी ने चाइल्ड-लेबर का यह बिल पेश किया था, उस वक्त आपने भी यही बात कही थी कि कम्प्लसरी एजुकेशन होना चाहिए और आज यह मंशा पूरी हो गयी है। यूपीए गवर्नमेंट राइट-टू-एजुकेशन लाकर उसके लिए कम से कम 40,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इससे बहुत फायदा होगा और बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी। पैरेन्ट्स को भी मनरेगा में काम मिल रहा है और दूसरी योजनाएं भी सपोर्टिव हैं, उनसे उनकी इन्कम बढ़ेगी और उनका मन भी बच्चों को स्कूलों में भेजने का करेगा। इसीलिए ये सारे प्रोग्राम सपोर्टिव रहने की वजह से मैं समझता हूं कि यह जो समस्या चाइल्ड लेबर की है, यह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी।

श्रीमती मीना सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमित प्रदान की है। मैडम, जब से मैं इस सदन की सदस्य निर्वाचित होकर आई हूं तब से सदन के प्रत्येक सदन में बच्चों और मिहलाओं से संबंधित सवाल प्रमुखता से उठाने का प्रयास करती रही हूं, परन्तु अफसोस है कि हर बार माननीय मंत्री जी का वही रटा-रटाया जवाब, आंकड़ों का जाल मिलता है, जो सच्चाई से बिल्कुल परे है। मैंने विगत् सत्र में बाल-श्रमिकों से संबंधित सवाल किया था और मंत्री जी का जवाब लगभग आज जैसा ही था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बाल-श्रमिकों की संख्या घट रही है। परन्तु आज सच्चाई यह है कि रेड-लाइट्स पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या, बीड़ी बनाने वाले, कबाड़ का काम करने वाले, घरों में काम करने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कभी-कभी हमें निराशा होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित हमारा प्रश्न पूछना तथा मंत्री जी का जवाब देना कहीं सिर्फ रस्म अदायगी ही तो रही है, क्योंकि इनकी दशा में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इन्होंने कोई समय सीमा तय की है कि कब तक हमारा देश बाल श्रम एवं बच्चों के प्रति अपराध से मुक्त हो पाएगा?

श्री मिल्लिक खरगे: महोदया, मेरा पिछले समय जो उत्तर था, वह उत्तर मैं आज नहीं दे रहा हूं। वर्ष 2004-05 में नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था।...(व्यवधान) मैं आपके सवाल का उत्तर भी दूंगा, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि आंकड़े देने ही पड़ते हैं, क्योंकि प्रगति के बारे में आंकड़ों से ही पता चलता है। वर्ष 2004-05 एनएसओ में 9 लाख 75 हजार बाल श्रमिक थे, लेकिन अब वर्ष 2009-

10 में एनएसओं के सर्वे के अनुसार 49 लाख 84 हजार बाल श्रमिक हैं। It means 45 per cent is reduced. That is because many children are going to get education. Parents are also sending them. As the economic status is growing up, improving, naturally, the children are getting better education. यह सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, बल्कि रिएलिटी है। एचआरडी विभाग और शिक्षा विभाग के फिगर्स हैं कि कम से कम 18 करोड़ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज की संख्या के हिसाब से 24 करोड़ बच्चों में से स्कूल जाने के लायक 19 करोड़ बच्चों में से 18 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 81,00,000 children are not going to the schools. इसी से अंदाजा लगता है कि डायरेक्टर रिजस्ट्रार जनरल ने ये फिगर्स दी हैं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। यह सोशियो इकोनोमी प्रोब्लम है, यह एक दिन की प्रोब्लम नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, एचआरडी डिपार्टमेंट और प्रधानमंत्री रोजगार योजना डिपार्टमेंट है और ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, to eradicate this child labour. हम इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे।

(Q.342)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदया, एफआरए एक्ट में आदिवासी इलाकों में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, उनको चालू रखने की दृष्टि से चाहे डवलपमेंट का वर्क हो, चाहे स्कूल हो या आवास हो, उसके लिए एक्ट में डायवर्जन का प्रावधान है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में जो आदिवासी इलाका है, उसे डिफरेंट परपस से जो लैंड एसाइंड होनी चाहिए, वह नहीं की जा रही है। क्या इस संबंध में आपको जानकारी है और अगर जानकारी है तथा जो प्रपोजल आए हैं, शायद इसमें प्रपोजल की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि एक्ट में प्रावधान है, तो क्या आप इन्हें लागू कराएंगे?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, there are specific provisions under the Act, for which the permission under the Act is not required. Those provisions are establishment of check-posts, fire lines, wireless communications, construction of fencing, bridges, culverts, dams, water holes, trench marks and boundary marks. These are the only issues, which are considered as non-forest purposes. For everything else, it is considered as diversion of forest land as a non-forest purpose, for which a specific procedure is laid under the Act.

As far as the tribal areas are concerned, regarding the proposals received from Rajasthan, the details are given in the Annexure. The hon. Member can see it. If you like, I can read it out straightaway. Twenty proposals have been received from Rajasthan for diversion. For six proposals, in-principle approval has been given. For four proposals, final approval has been given. Eight proposals are pending with the Central Government. Nothing has been returned and rejected. We do give very special consideration to tribal areas, especially when it is with regard to establishment of schools or any provisions in the tribal areas.

We are also completely committed to implementing the Forest Rights Act. We are in constant communication with the Ministry of Tribal Affairs as far as the implementation of the Forest Rights Act is concerned.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदया, ईस्टर्न राजस्थान में डेकोएट इन्फेस्टिड एरिया है। डांग क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के एप्रुवल के लिए बहुत प्रपोजल लंबे समय से पड़े हैं। भारत सरकार ने जो भी जानकारी मांगी उसे पूरा कर दिया गया है। एंटी डेकोएट रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक डाइवर्जन की एप्रवल नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि आप एप्रवल कब तक देंगे? SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I would like to inform the House that I have already read out the proposals, which are pending with regard to Rajasthan. The hon. Minister, under whose jurisdiction the National Highways Authority comes, is here. We are working in close coordination. We do take certain different guidelines as far as roads are concerned, particularly when the roads are through forest areas or through protected or reserve forests or within wildlife sanctuaries. We do take a different view. However, when the roads are within, for example, the naxalite-affected areas or in tribal areas, we do take a different view. There is a specific procedure established and specific timelines have been established. If it is a small area, which is less than five hectares, it is straight away cleared. Up to 40 hectares, regional offices clear it. If it is only above 100 hectares, which hardly happens in the case of a road, it does come to the Central Government. Otherwise, these are cleared at the regional level. If the hon. Member is aware of any specific instance of delay and brings it to my notice, we will certainly take steps to clear it. SHRIMATI MANEKA GANDHI: I would like know from the hon. Minister as to whether it is not a fact that in the last five years, over one lakh hectare of prime forest land has been cut down and diverted for so-called development purposes, of which the main reason is mining licences given to private parties.

I would also like to ask as to whether 30,000 hectares of prime forest land was diverted by your predecessor, who said 'yes' to every single proposal given to him for mining. Do you think that India can support one lakh hectares of prime forest land being diverted when there is absolutely no afforestation going on? SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, it is a fact that some details have come out about what the hon. Member has mentioned. Some details have been put out. I do want to clarify to the House that with regard to coal mining,

particularly during the period from 2007 to August 2011, the Ministry of Environment accorded approvals to 107 proposals involving diversion of 26,245 hectares of forest land for coal mining projects. But, out of the 107 proposals, Stage-I approval of 49 proposals was given prior to 2007. Stage-I was the first, for the initial clearance. Stage-II was given in 2007. Therefore, I think it was taken together and it seems like a disproportionately large amount of land that was given for coal mining. This is the same Government. My predecessor had also classified land as 'go' and 'no-go' areas where the density of the forest, the Weighted Forest Cover, what is known as WFC, and the Gross Forest Cover, were taken into account and extremely dense forests were not diverted. Frowever, the balance of development also has to be maintained. Therefore, it was not a disproportionate amount of forest land that was diverted. The actual details were that the grant of Stage-I approval was given earlier. The Stage-II and the final approval was what was taken into account.

However, I want to assure the Member and the House that this Government is absolutely committed. There is a GOM that has been set up..... (*Interruptions*) The GOM that has been set up under the hon. Finance Minister is considering this entire issue. At the GOM, the Ministry of Forest and Environment has taken a very strong position. There is a 'go' and 'no-go' classification still for coal mines. We are arguing with them that it is not possible, we have already given enough diversion of forest lands to obtain a particular level of energy security for the country and those forest lands must be exploited properly and fully without more forest lands being asked for diversion. We are committed to that principle. Hon. GOM is considering each proposal. All the most important proposals are still with the GOM. We are taking a serious view. We are not going to divert very dense forest land in as easy a manner as if forest land was not important.... (*Interruptions*)

So, we are taking it very seriously and the Supreme Court has also set into motion after the Lafarge judgment certain conditions like setting up a Central

Empowered Committee. All these matters will also go to the Empowered Committee. So, this Government is committed to maintaining our forest land. The Forest Conservation Act was actually enacted for that purpose and we are committed to maintaining that.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I draw the attention of this House to an anomaly that is being carried on by the Government. The Government of India, Ministry of Environment and Forests, *vide* their circular No.F-11(9)/1998 dated 3rd August 2011 have circulated guidelines for formulating unconditional proposals under Forest Conservation Act. That circular stipulates at para-2(c) that the State Government shall furnish a letter from each Gram Sabha indicating that all formalities, processes under Forest Right Act have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion of forest land having understood the purposes and details of the proposed diversion of forest land.

However, section-4, sub-section (1) of the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act provides for consultation with the Gram Sabha before making any acquisition of land in the scheduled area for developmental projects. In view of this provision in the PESA Act, there appears to be no legal standing for obtaining consent of Gram Sabha for diversion of forest land for developmental projects as per provisions of the above Act which was circulated by the Ministry of Environment and Forests.

My question here is, when there are two types of notifications by the Government of India, what would the State Government do? A number of State Governments have written repeatedly to the Centre and that clarification has not come. Are you going to send that clarification specially for the scheduled areas?

For the scheduled areas, is the Government going to abide by the PESA Act or the circular of the Ministry of Environment and Forests?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, at the moment, we are going by the provisions of the circular which the hon. Member referred to, that is, the circular dated 03.08.2011. As I said, this Government is committed to

implementing the Forest Rights Act and therefore, we said that unless 50 per cent quorum is available in the Gram Sabha and the Gram Sabha concurs, that forest land will not be diverted because of the vesting of rights over there.

With regard to the PESA Act, I am not actually aware of any conflict between the two Acts. So, I would like to have time. I would request the House for the indulgence to permit me to go into the anomaly, if any, and come back to the House and to the hon. Member with that.

SHRI PREM DAS RAI: First of all, I would like to congratulate the hon. Minister for taking a very good stance at the just concluded Durban Conference. I think, we have re-positioned ourselves securely for the future.

Madam, my question to the hon. Minister, through you, is in relation to the diversion of forest land for the purpose of development. Now, there is a particular request from the States because there are some States, like ours, the State of Sikkim, where 83 per cent of our land is controlled or is forested so that it comes under the provisions of different Forest Acts. What I am trying to get at from the Minister is that in view of this large amount of land, we have less development space. Therefore, I would request if the Minister can give us some guidance as to whether there is any thought to taking a policy, looking at the policy anew, and saying that different States have different amounts of forest land within their jurisdiction. So, there are those States also which have less than, say, ten per cent forested area and so much of development space. Why is it that we do not think of having some kind of a policy in which these States would also like to increase their forested area and those States which have a very high percentage of forest area can be given much more leeway?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The hon. Member has raised a very important question and it is something that we give anxious consideration to. States like Sikkim do have 83 per cent forest cover. There are other States like Goa where development is almost not possible because on the one hand, we have the Coastal Zone Act which prohibits development and on the other side, we have

reserved forests and protected forests and in-between the corridor is so narrow that development is barely possible. But we do take, at this point, a national and a holistic view of the forest cover of the nation and we do need to maintain the forest cover, looking at it India as a whole. It is not possible for us to look at it, at this point of time, as a State, but we do give anxious consideration to the question of development, particularly when it comes to energy needs of the people in that area. As and when each project comes up, we do consider the aspect that the hon. Member raised, but there is a problem there and I do understand the problem. However, the view that the Government takes, we in the Ministry of Environment and Forests take is that of the nation as a whole.

MADAM SPEAKER: Q. No. 343. Shri Bal Kumar Patel – not present. Sk. Saidul Haque.

(Q. 343)

SK. SAIDUL HAQUE: I would like to know a particular thing from the hon. Minister. The Minister, in his reply, has told that toll plazas have been set up at appropriate locations. There is no doubt about it. My point is that in the toll plaza, when the toll is collected, some agencies are involved.

Sometimes, the agencies are changed in the bidding process and when the new bidders come, they sack the people who were previously working there thereby creating a lot of problem for the earnings of the people. Will the Minister tell whether the Ministry will take any appropriate action so that the men who are working in these toll plazas may remain there and work there irrespective of whoever may be the bidder and whoever may be the new person engaged in the collection of toll? This is my humble submission to the hon. Minister.

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. C.P. JOSHI): Madam Speaker, it is not possible because we award bids on the basis of bidding. So, we cannot give guarantee of the services of the persons who are working with them.

प्रो. रामशंकर: टोल प्लाज़ा पर जनता आए दिन कई प्रकार की समस्याओं से जूझती है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं कि कभी झगड़ा होता है, कभी मार-पिटाई होती है। इस प्रकार की घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु तक हो गई है। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं में लगातार जो वृद्धि हो रही है, इनमें कमी लाने की दिशा में कोई प्रयास करने की योजना है? टोल प्लाज़ा जो कम दूरी पर बनाए जा रहे हैं, उस दिशा में भी विचार करने की कोई व्यवस्था है या नहीं है?

डॉ. सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसे ही मंत्रालय के समक्ष कोई शिकायत आती है, हम उसके बारे में उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। जहां तक टोल-प्लाज़ा की दूरी का सवाल है, जो नियम हैं उनके अंतर्गत ही टोल-प्लाज़ाओं का स्थान नियत किया जाता है।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 344 - श्री निखिल कुमार चौधरी - उपस्थित नहीं। श्रीमती उषा वर्मा - उपस्थित नहीं।

(Q. 344)

MADAM SPEAKER: Shri Satpal Maharaj – Not Present.
(No supplementaries)

MADAM SPEAKER: Now, we are going to the next Question.

Q. No. 345, Shri Badruddin Ajmal -- not present.

Shri S. Alagiri.

... (Interruptions)

(Q.345)

SHRI S. ALAGIRI: Madam, the hon. Minister has explained in her statement that punishments have been enhanced for the offenders. May I know this, through you, from the hon. Minister? In which levels punishments have been enhanced for the offenders?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : I did not hear the Question. Can you repeat the Question as I did not hear it?

MADAM SPEAKER: Please repeat the Question.

SHRI S. ALAGIRI: The hon. Minister has explained in her statement that punishments have been enhanced for the offenders. May I know this, through you, from the hon. Minister? In which levels punishments have been enhanced for the offenders?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, the following steps have been taken. The Central Bureau of Investigations has been empowered to apprehend and prosecute; the State Governments have been requested to strengthen the field formations and intensify patrolling in and around the protected areas; the Wildlife Crime Control Bureau has been set up to control poaching; and strict vigil is maintained through an extensive communication system.

SHRI S. ALAGIRI : Madam, I would like to know this from the hon. Minister. In how many cases the CBI has prosecuted the offenders?

12.00 hrs.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, hardly any cases have been done. This is a fact. We have a major problem. I can tell you the details. In 2010, as far as Rhinoceres is concerned, there were no cases at all. For Lion, there were no cases. For Tiger alone, there were five cases in regard to poaching. And, unfortunately, there is a major problem of shortage of manpower. And we have

only five officers present at the national level, in the Wild Life Control Bureau. Therefore, it is not possible for us to pursue this to any greater extent. This is an unfortunate situation which I concede. We depend on the State Governments and Wild Life Protection Forces at the State level to take this forward.

12.0 ½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): I beg to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5771/15/11)

(2) A copy of the Notification No. S.O. 1808(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 5th August, 2011, making certain amendments in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 under sub-section (1) of Section 40 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 5772/15/11)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): I beg to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Limited, Noida, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Limited, Noida, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5773/15/11)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On behalf of Shri G.K. Vasan, I beg to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5774/15/11)

(2) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5775/15/11)

(3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tariff Authority for Major Ports, Mumbai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5776/15/11)

- (4) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mumbai Port Trust, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5777/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Jawaharlal Nehru Port Trust, Navi Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5778/15/11)

- (6) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Mumbai Port Trust Pension Fund Trust, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5779/15/11)

- (7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5780/15/11)

(8) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5781/15/11)

- (9) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5782/15/11)

- (10) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kandla Port Trust, Gandhidham, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kandla Port Trust, Gandhidham, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5783/15/11)

- (11) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Paradip Port Trust, Paradip, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5784/15/11)

(12) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Chennai Port Trust, Chennai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5785/15/11)

- (13) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Port Trust, Cochin, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5786/15/11)

- (14) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Calcutta Dock Labour Board, Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5787/15/11)

- (15) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Erstwhile-Bombay Dock Labour Board, Bombay, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Erstwhile-Bombay Dock Labour Board, Bombay, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5788/15/11)

(16) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2010-2011.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5789/15/11)

- (17) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the New Mangalore Port Trust, New Mangalore, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5790/15/11)

- (18) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5791/15/11)

(19) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Mormugao Port Trust, Mormugao, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mormugao Port Trust, Mormugao, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5792/15/11)

- (20) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963:-
 - (i) G.S.R. 769(E) published in Gazette of India dated the 19th October, 2011 approving the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) 5th Amendment Regulations, 2011.
 - (ii) G.S.R. 834(E) published in Gazette of India dated the 25th November, 2011 approving the Chennai Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2011.
 - (iii) G.S.R. 825(E) published in Gazette of India dated the 19th November, 2011 approving the Chennai Port Trust Employees' (Grant of Advances for Festival and Natural Calamities) (Amendment) Regulations, 2011.
 - (iv) G.S.R. 833(E) published in Gazette of India dated the 25th November, 2011 approving the Class-I Officers of Visakhapatnam Port (Acceptance of employment after retirement) Amendment Regulations, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 5793/15/11)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): I beg to lay on the Table of the House a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) (i) Review by the Government of the working of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5794/15/11)

- (2) (i) Review by the Government of the working of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Eastern Investments Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5795/15/11)

- (3) (i) Review by the Government of the working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5796/15/11)

- (4) (i) Review by the Government of the working of the Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5797/15/11)

(5) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Steelworks Construction Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Hindustan Steelworks Construction Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5798/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I beg to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Tiger Conservation Authority, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5799/15/11)

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): On behalf of my colleague Shri Jyotiraditya M. Scindia, I beg to lay on the Table of the House:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Agricultural and Processed Food

Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5800/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5801/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kattayam, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kattayam, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kattayam, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5802/15/11)

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5803/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5804/15/11)

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coffee Board, Bangalore, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5805/15/11)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ambur Economic Development Organisation, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ambur Economic Development Organisation, Chennai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5806/15/11)

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the South Asia Rubber & Polymers Park, Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the South Asia Rubber & Polymers Park, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5807/15/11)

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5808/15/11)

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Surat International Exhibition and Convention Centre, Surat, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Surat International Exhibition and Convention Centre, Surat, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5809/15/11)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Baddi Infrastructure, Solan, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Baddi Infrastructure, Solan, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5810/15/11)

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tiruchirappalli Engineering and Technology Cluster, Tiruchirappalli, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tiruchirappalli Engineering and Technology Cluster, Tiruchirappalli, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5811/15/11)

- (12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chennai Environmental Management Company of Tanners, Chennai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Environmental Management Company of Tanners, Chennai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5812/15/11)

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Placement Linked Skill Development Project, Manesar, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Placement Linked Skill Development Project, Manesar, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5813/15/11)

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Quality Council of India, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5814/15/11)

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cashew Export Promotion Council of India, Kochi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Cashew Export Promotion Council of India, Kochi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5815/15/11)

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tobacco Board, Guntur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Tobacco Board, Guntur, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5816/15/11)

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board of India, Kolkata, for the year 2010-2011.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tea Board of India, Kolkata, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tea Board of India, Kolkata, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5817/15/11)

- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5818/15/11)

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5819/15/11)

- (20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5820/15/11)

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Support to Artisan (Leather Art) Program(Harshal Gramin Vikas Bahu, Sanstha, Chandrapur) for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Support to Artisan (Leather Art) Program(Harshal Gramin Vikas Bahu, Sanstha, Chandrapur) for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5821/15/11)

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asian Centre for Entrepreneurial Initiatives (Karnataka) for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asian Centre for Entrepreneurial Initiatives (Karnataka) for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5822/15/11)

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gramin Jan Kalyan Parishad, Muzaffarpur, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gramin Jan Kalyan Parishad, Muzaffarpur, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5823/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table of the House:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bangalore, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5824/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5825/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5826/15/11)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5827/15/11)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5828/15/11)

- (6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Cotton Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Cotton Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5829/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): I beg to lay on the Table of the House:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Mishra Dhatu Nigam Limited, Hyderabad, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5830/15/11)

- (b) (i)
 Review by the Government of the working of the Hindustan Shipyard
 Limited, Visakhapatanam, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatanam, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5831/15/11)

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5832/15/11)

- (d) (i) Review by the Government of the working of the Mazagon Dock Limited, Mumbai, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the Mazagon Dock Limited, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5833/15/11)

(e) (i) Review by the Government of the working of the Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5834/15/11)

- (f) (i) Review by the Government of the working of the BEML, Bangalore, for the year 2010-2011.
 - (ii) Annual Report of the BEML, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5835/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Aeronautical Development Agency, Bangalore, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5836/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. TUSHAR CHAUDHARY): On behalf of my colleague, Shri Jitin Prasada, I beg to lay on the Table of the House:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956:-

(i) S.O. 1478(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 194(E) dated 2nd March, 2001.

- (ii) S.O. 829(E) published in Gazette of India dated the 27th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 218 (construction of Bridge across Malaprabha of Bijapur-Hubli Road) in the State of Karnataka.
- (iii) S.O. 1060(E) published in Gazette of India dated the 13th May, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1199(E) dated 12th May, 2009.
- (iv) S.O. 830(E) published in Gazette of India dated the 27th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management, operation and construction of by-pass to Hubli city connecting National Highway Nos. 218, 63 & 4 in the State of Karnataka.
- (v) S.O. 2742(E) published in Gazette of India dated the 8th November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 8 (Talasari-Maor Section) in the State of Maharashtra.
- (vi) S.O. 2836(E) published in Gazette of India dated the 24th November,
 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O.
 2657(E) dated 21st October, 2009.
- (vii) S.O. 2679(E) published in Gazette of India dated the 28th October, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Nagpur-Hyderabad Section) (including construction of bypasses) in the State of Maharashtra.
- (viii) S.O. 2692(E) published in Gazette of India dated the 1st November, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

- management and operation of National Highway No. 200 (Duburi-Bhuban Section) in the State of Orissa.
- (ix) S.O. 2276(E) published in Gazette of India dated the 14th September, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 200 (Pitiri-Bhuban Section) in the State of Orissa.
- (x) S.O. 931(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Sambalpur-Bargarh-Orissa/Chhatisgarh Section) in the State of Orissa.
- (xi) S.O. 812(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, authorising the Land Acquisition Officer, Sundargarh, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 23 in the State of Orissa.
- (xii) S.O. 794(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 6 in the State of Orissa.
- (xiii) S.O. 802(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 42 in the State of Orissa.
- (xiv) S.O. 824(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 5 in the State of Orissa.
- (xv) S.O. 810(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management

- and operation of National Highway No. 6 (Sambalpur-Bargarh-Orissa/Chhatisgarh Section) in the State of Orissa.
- (xvi) S.O. 732(E) published in Gazette of India dated the 8th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Sambalpur-Bargarh-Orissa/Chhatisgarh Section) in the State of Orissa.
- (xvii) S.O. 799(E) published in Gazette of India dated the 26th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 203 (Bhubaneswar-Uttarasasam Section) in the State of Orissa.
- (xviii) S.O. 1269(E) published in Gazette of India dated the 2nd June, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 203 (Duburi-Bhuban Section) in the State of Orissa.
- (xix) S.O. 935(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 78 (Pathalgaon to Chhattisgarh/Jharkhand Border)(including construction of bypasses) in the State of Chhattisgarh.
- (xx) S.O. 1069(E) published in Gazette of India dated the 16th May, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 43 (Dhamtari-Jagdalpur Section) in the State of Chhattisgarh.
- (xxi) S.O. 943(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2011, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2268(E) dated 14th September, 2010.
- (xxii) S.O. 922(E) & S.O. 923(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the

competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of different stretches of National Highway No. 43 (Raipur-Dhamtari Section) in the State of Chhattisgarh.

- (xxiii) S.O. 946(E) published in Gazette of India dated the 29th April, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of different stretches of National Highway No. 111 (Bilaspur-Ambikapur Section) (including construction of bypasses) in the State of Chhattisgarh.
- (xxiv) S.O. 387(E) published in Gazette of India dated the 17th February, 2011, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of different stretches of National Highway No. 12A (Chilphi-Simga Section) (including construction of bypasses) in the State of Chhattisgarh.
- (xxv) S.O. 360(E) published in Gazette of India dated the 14th February, 2011, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (Aurang-Saraipali Section) (including construction of bypasses) in the State of Chhattisgarh.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (viii) & (ix) of (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 5837/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): On behalf of my colleague Shri D. Napoleon, I beg to lay on the Table of the House:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5838/15/11)

- (b) (i) Review by the Government of the working of the National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5839/15/11)

- (c) (i) Review by the Government of the working of the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011.
- (ii) Annual Report of the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5840/15/11)

(d) (i) Review by the Government of the working of the National Handicapped Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the National Handicapped Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 5841/15/11)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Trust, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Trust, New Delhi, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 5842/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack, for the year 2009-2010.
 - (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 5843/15/11)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Friday, the 9th December, 2011, adopted the following motion in regard to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:-

- "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate one Member from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Silvius Condpan, who expired on the 10th October, 2011 and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from amongst the Members of the House, to serve on the said Committee."
- 2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above motion, Shri Ishwar Singh, Member, Rajya Sabha has been duly elected to the said Committee.'

12.02 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

40th to 46th Reports

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

- (1) स्वीकृत अनुदानों पर अधिशेष तथा प्रभारित विनियोग (2009-10) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'दावों की लापरवाही से संवीक्षा के परिणामस्वरूप अधिक संदायगी' के बारे में 41वां प्रतिवेदन।
- (3) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में गैर-आर्थिक शाखा लाइनें' के बारे में 42वां प्रतिवेदन।
- (4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'नई रेल लाइन पर व्यर्थ निवेश' के बारे में 43वां प्रतिवेदन।
- (5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय वायुसेना में विमान बेड़े का प्रचालन और अनुरक्षण' के बारे में सिमिति के 81वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 44वां प्रतिवेदन।
- (6) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित 'गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्यवाही टिप्पण समय पर प्रस्तुत करने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन' नहीं किए जाने के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन।
- (7) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'टॉल फी की लेवी में विलम्ब होने के कारण राजस्व की हानि' संबंधी समिति के 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

MADAM SPEAKER: Item No. 13, Shri Jagdambika Pal – Not present.

Shri Vilas Muttemwar – Not present.

Item No. 14, Dr. Baliram.

12.03 hrs.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 5th Report

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.03 ½ hrs.

COMMITTEE ON AGRICULTURE 27th Report

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख सूचीबद्ध 'अपर्याप्त मानसून और कृषि क्षेत्र पर इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों' के बारे में कृषि संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कृषि संबंधी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 32nd Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to present the Thirty-second Report of the Business Advisory Committee.

12.04 ½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 97th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): On behalf of my colleague Shri Jyotiraditya M. Scindia, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 97th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry.

=

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5844/15/11.

12.04 ½ hrs.

(b)Comprehensive package for the handloom sector*

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI ANAND SHARMA): I beg to lay the statement regarding the decision of the Union Cabinet on the Comprehensive Package for the Handloom Sector.

During the Budget Speech of 2011-12, the Finance Minister had announced that the Government of India would provide Rs. 3000 crore for implementing the financial package for handloom sector for waiver of overdue loans. The Financial Package has recently been approved by the Government with an outlay of Rs. 3884 crore. This includes one time waiver of overdue loans and interests as on 31st March, 2010, for loans disbursed to handloom sector. The Financial Package is expected to benefit about 3 lakh individual handloom weavers and 15000 cooperative societies, and they will be able to access institutional credit once again. A statement in this regard has already been laid on the table of the House on 25th November, 2011.

- 2. However, the above financial package will benefit only those weavers and their cooperative societies that had taken loans earlier. There would be many handloom weavers who had no access to institutional credit in the past. Such weavers will not be benefited under the financial package. Further, a need was also felt to provide yarn to handloom sector at a price which is cheaper than that at which it is available to the powerloom and mills, so that handlooms can compete with them.
- 3. Therefore, in order to address the two critical needs of cheap credit and cheap yarn, the Government has now approved a comprehensive package for handloom weavers. The interventions will be operationalised by modifying the

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5845/15/11.

two existing Plan schemes, i.e., Integrated Handlooms Development Scheme for extending cheap credit, and Mill Gate Price Scheme for supply of subsidized hank yarn. The brief details of interventions approved by the Government are as follows:

- (i) <u>Credit to handloom sector:</u> The Government will provide assistance for the following:
- (a) **Margin money assistance** will be provide @ Rs. 4200 per weaver to individual weavers, their self help groups and joint liability groups by the Government so as to enable them to get fresh loans from the Financial Institutions.
- (b) **Interest Subvention of 3%** per annum for 3 years from the date of first disbursal will be provided by the Government so that handloom weavers and their cooperative societies can get loans at a subsidized rate of interest.
- (c) **Credit Guarantee:** The loans extended by the Financial Institutions to the handloom weavers and their cooperative societies will be guaranteed for 3 years by the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE). The Government of India will pay the required guarantee fee and annual service fee.
- (d) **Information, Education & Communication (IEC) Activity:** A publicity and awareness campaign will be carried out to make the handloom weavers aware of the scheme.
- (e) Service Charge to the Implementing Agency: The Scheme will be implemented by NABARD, SIDBI, CGTMSE and Nationalised Banks. These agencies will be paid service charges @2% of the amount of margin money and interest subsidy disbursed by them.
- (ii) <u>Yarn supply to handloom sector:</u> To address the issue of yarn availability at reasonable prices, the following benefits will be provided:-
- (a) 10% price subsidy on silk and cotton hank yarn will be provided by the Government to ensure supply of subsidized yarn to handloom sector.

(b) The Government has decided to enhance the freight reimbursement for transportation of different types of yarn used by the handloom sector in order to offset the increase in fuel cost. This will ensure availability of yarn in the handloom clusters in far flung areas of the country at roughly the same price at which it is available at yarn manufacturing mills.

- (c) The National Handloom Development Corporation would implement the scheme for supplying subsidized yarn. The State Governments and their agencies will also be associated for supplying yarn wherever necessary on the same terms. A yarn passbook will be issued and the subsidized yarn will be supplied either to individual handloom weavers or to their self help groups, cooperative societies etc., but not to both. This subsidy will be available for cotton and raw silk yarn.
- 4. The comprehensive package will benefit all the handloom weavers and their cooperative societies in the country as per the Budget allocation. The cooperation of the State Governments is crucial for the successful implementation of this comprehensive package. They will have to carry out IEC activities and conduct special camps periodically in handloom clusters for extending the loan facility to handloom weavers. They will also have to issue yarn passbooks to weavers.
- 5. The projected financial outlay involved in the implementation of the comprehensive package during the current year and the 12th Plan period is Rs. 2362.15 crore. The entire funding will be provided by the Government of India.

12.05 hrs.

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 2011*

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (DR. C.P. JOSHI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Highways Authority of India Act, 1988.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the National Highways Authority of India Act, 1988."

The motion was adopted.

DR. C.P. JOSHI: I introduce the Bill.

12.05 ½ hrs.

INTRODUCTION OF MINISTER

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Hon. Speaker, with your permission, I wish to introduce to you and, through you, to this august House my colleague Shri Ajit Singh who has recently been inducted in the Council of Ministers as Cabinet Minister of Civil Aviation.

Cabinet Minister

Shri Ajit Singh Minister of Civil Aviation

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 19.12.11

MADAM SPEAKER: Now we shall take up 'Zero Hour'.

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाल कुआँ एवं हल्द्वानी, जिला नैनीताल की मिलन बस्तियों में निवास करने वाले परिवारों को केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंतर्गत पुनर्वासित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र हल्द्वानी शहर के रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 30 वर्षों से करीब 2000 परिवार टाट व प्लास्टिक के टैन्टों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लाल कुआँ एवं हल्द्वानी में शीघ्र ही रेल मार्ग का विस्तार होने जा रहा है जिस कारण इन परिवारों को बेघर होना पड़ेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गरीब परिवारों को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत पुनर्वासित कर इस समस्या का हल किया जाए। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार को पूर्व में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि इस लोकहित के अति महत्वपूर्ण मामले पर हस्तक्षेप करें। इन गरीब, बेघर एवं भूमिहीन लोगों को केन्द्र सरकार के जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन या किसी भी अन्य केन्द्रीय आवास योजना के अंतर्गत पुनर्वासित करें जिससे इन गरीब लोगों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam, you are aware that the Government of India has introduced the incentive to the seed growers for growing certified seeds of the pulses with effect from 2008-09 under the component of National Food Security Mission. Accordingly, farmers from all districts in Karnataka have also been participating in the scheme by growing the certified seeds and necessary incentives have been paid to them through Karnataka State Seeds Corporation till 2010-11. But unfortunately, the seed growing farmers from six districts have not yet received their incentives. Dharwad district, which is part of my constituency, is one among them. The State Agricultural Management Agency, Karnataka, a nodal body in this regard, has been corresponding with the Government of India and it has been requesting to release the additional pending grant of just Rs.250 lakh. It is for six districts. But, till date, no fund has been released. Poor farmers who had invested in growing the seeds, believing the

Government of India and the Food Mission, are now suffering. I would request your kind intervention and through you, Madam, I would request Shri Sharad Pawar ji to release the funds immediately. In the Karnataka State, 19 talukas out of 176 talukas and 21 districts are suffering from drought. Farmers are already suffering. Recently a Central Team has visited and assessed the situation. In this context I urge the Government of India and the hon. Minister to intervene and release the funds; and also the Team which has visited as far as the drought is concerned, they should expedite and release the funds to the Karnataka Government.

MADAM SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi is allowed to associate with Shri Prahlad Joshi's views.

12.11 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Reported ban of Bhagvad Gita in Russia and the need to protect the religious rights of Hindus in Russia-

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I draw the attention of this House and also of the Government through you to a matter relating to a very curious case that is going on in Russian Federation in the State of Siberia. The Bhagavad Gita, one of the holiest Hindu scriptures, is facing a legal ban and the prospect of being branded as extremist literature across Russia. A court in Siberia's Tomsk city is set to deliver its verdict today in a case filed by State Prosecutor. Though this case has been going on since last June seeking a ban on a Russian translation of Bhagavad-Gita As It Is written by Bhaktivedanta Swami Prabhu Pada, the founder of the International Society of Krishna Consciousness. It also wants the Hindu religious text banned in Russia and declared as literature spreading social discord. In view of the case, Indians settled in Russia and the followers of ISKCON religious movement have appealed to the Government of India including the Prime Minister to resolve the issue. I would urge upon the Government to intervene in the matter immediately, lest the religious freedom of Hindus living there is compromised. The religious rights of the Hindus in Russia should be protected. Curiously, the State Prosecutor had referred the scripture to Tomsk State University for an expert examination. This university is not qualified as it lacks Indologists who study history, culture, language and literature of the Indian subcontinent. As this case is inspired by religious bias and intolerance from a majority religious group in Russia, I would like to urge upon the Government to impress upon their Russian counterpart so that their right to practice their religion and belief is upheld. Gita does not preach hatred. Indian Embassy in Moscow should intervene through diplomatic channels immediately.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Harin Pathak, Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shri A.T. Nana Patil, Shri Prahlad Joshi, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Anant Kumar Hegde, Shri Prem Das Rai, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Shri Virendra Kumar, Shrimati Deepa Dasmunsi, Dr. Jyoti Mirdha, Dr. Kruparani Killi, Shri Anandrao Adsul, and Shri Chandrakant Khaire are allowed to associate themselves with the issue.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह बहुत गंभीर प्रश्न है। ...(<u>व्यवधान</u>) गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है जो मानव प्रेम के लिए है। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए। ...(<u>व्यवधान</u>) इस पर सरकार को उत्तर देना चाहिए। ...(<u>व</u>्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : टेबल पर अपना नाम भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सभी लोग जो इससे अपने आपको संबद्ध कर रहे हैं, अपना नाम भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record now.

(Interruptions) ...*

अध्यक्ष महोदया : श्री वीरेन्द्र कश्यप, बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, सबने अपनी राय जाहिर कर दी।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : माननीय प्रधानमंत्री जी अभी रूस की यात्रा से लौटे हैं। ...(<u>व्यवधान)</u> हम उनसे निवेदन करेंगे कि उन्होंने वहां क्या यह प्रश्न उठाया, यह बताएं। ...(<u>व्यवधान)</u>

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): यह गीता और भगवान कृष्ण की मर्यादा को ध्वस्त कर रहा है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अभी इस पर नोटिस दे दीजिए। इस तरह कैसे चर्चा होगी?

_

^{*} Not recorded.

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यह मुद्दा भगवान कृष्ण का है, गीता का है। ...(व्यवधान) इस पर हमारा एतराज़ है। ...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद: गीता के खिलाफ रूस में जो व्यवहार किया गया है, भारत सरकार की तरफ से गीता को मिटाने वाले लोगों के खिलाफ़ तत्काल एक विरोध पत्र जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please go back to your seats. Why have you come here?

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Go back to your seats. You cannot raise an issue, standing on the aisle. Go back

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please go back. Nothing is going on the record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया: वीरेन्द्र कश्यप जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप यहां से क्यों बोल रहे हैं, अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

-

^{*} Not recorded.

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): अध्यक्ष महोदया, मुझे यहां से बोलने की इजाजत दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप तुरंत अपनी सीट पर जाइए, समय नष्ट नहीं करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप यहां क्यों खड़े हैं? यह जसवंत सिंह जी की सीट है, आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ये क्या हो रहा है?

श्री वीरेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए। आपको भी बुला लेंगे, अभी वीरेन्द्र कश्यप जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप: अध्यक्ष महोदया, आपने आज मुझे हिमालय राज्यों से संबंधित कृषकों के ऋणों से संबंधित मामले को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप: हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो राज्य हैं, वहां पर जो कृषक हैं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं अभी आपको बुला लेती हूं, वीरेन्द्र कश्यप जी की बात पूरी होने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Your own Party's Member is speaking.

... (Interruptions)

-

^{*} Not recorded.

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषकों के ऋण के बारे में सरकार से आग्रह करना चाहता हूं...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)



MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.18.

... (Interruptions)

14.01 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा, आप लोग बैठ जाइये।

(Interruptions) ...*

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले वहां जाइये, उसके बाद बात करेंगे।

(Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: जाइये, वहां बैठिये। आप बैठिये तो सही।

_

^{*} Not recorded.

19.12.2011 74

14.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to direct Airport Authority of India to expedite assessment of Environmental Impact due to proposed reclamation of sea land for extension of runway at Agatti Airport in Lakshadweep

SHRI HAMDULLAH SAYEED (LAKSHADWEEP): I would like to draw the attention of the Government that the present Airport at Agatti in Lakshadweep was constructed for operation of 20 seater Dornier Aircraft. Presently the ATR 45 flight is operating with load restriction. I am told that the minimum runway requirement for ATR- 72 would be about 1600m+180m.

The Airport Authority of India (AAI) and Lakshadweep Administration have decided to extend the runway by 200 meters towards North and 90 meters towards South without dislocating the existing infrastructure.

The Airport Authority of India has revised the plan for extension of runway at Agatti. On scrutiny of the plan, it was noticed that Airport Authority of India has proposed to reclaim land from sea which needs the Environmental Impact Assessment (EIA) to be done by the AAI.

Therefore, I request and urge upon the Government to intervene immediately to kindly direct the AAI to look into this matter at the earliest and get the EIA done expeditiously.

_

^{*} Treated as laid on the Table.

(ii) Need to provide funds for electrification of villages in Bahraich Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच): उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विद्युतीकरण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत है। इसके तहत जनपद बहराइच का प्रथम चरण में विद्युतीकरण कराया गया है। शेष बचे गांवों में विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 के लिए धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस जनपद में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तथा यह भारत नेपाल सीमा का जिला है। इस जनपद का काफी बड़ा क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में अनेकों बड़े-छोटे जानवर हैं जो कि प्रायः जंगली इलाकों से निकल कर ग्रामीण बस्तियों में जाकर आदिमयों, पालतू मवेशियों, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस जनपद के अवशेष गांवों का विद्युतीकरण अत्यंत आवश्यक है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 में अभी तक धनराशि प्रदान न किए जाने से विद्युतीकरण का कार्य रूका हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध हे कि जनपद बहराइच के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 के लिए धनराशि आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(iii)Need to implement the proposed Kengri-Kankapura-Chamarajanagar railway line project in Chamarajanagar Parliamentary Constituency, Karntaka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): I would like to bring to your kind attention that there is a lot of demand to lay a new railway line connecting Chamarajanagar to Bangalore via Kollegal, Malavalli and Kanakapura. This line will provide an opportunity to the people of this region to reach the State Capital to sell their agricultural produce and for better educational and medical facilities. In this regard, I would like to recall here that I earnestly appealed to the Hon'ble Railway Minister on 20.10.2011 when he visited Bangalore to release the funds to implement the new announced railway line project. There is lot of scope for tremendous development of the Chamarajanagar area, if the project is taken up.

I, therefore, request the Hon'ble Minister for Railways, to kindly release the funds as a one time payment in the remaining XIth Five Year Plan period to implement the proposed Kengeri-Kanakapura-Chamarajanagar Railway Line Project to facilitate the people of my Parliamentary Constituency, who will commute daily in this route for various purposes.

(iv) Need to provide reservation of jobs to Muslims in Central Government Services

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अल्पसंख्यक वर्ग में विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक रोजगार की स्थिति पर मंडल कमीशन की तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद यह मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में खासतौर से उस वर्ग के लोगों की, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल हैं, उन्हें अलग से आरक्षण दिया जाए । मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गैर हिन्दू पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या की संख्या 8.44 प्रतिशत दिखाई गई है, उसी को आधार मानकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई । प्रावधान होने के बावजूद बहुत से राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई । केन्द्रीय न्याय मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह उल्लेख किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान केन्द्र सरकार की नौकरियों में जल्द ही होने जा रहा है इससे इस समाज के लोगों में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है ।

में यह अनुरोध करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के स्तर से केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण का शीघ्र प्रावधान किया जाए और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दे दिए जाएं कि वे अपने स्तर से भी ऐसी व्यवस्था को लागू करें।

(v)Need to constitute a National Commission for Farmers' Rights for redressal of problems of farmers in the country

SHRI PRADEEP MAJHI (NABARANGPUR): Hundreds of farmers commit suicide every year because of their inability to repay loans due to bad crops, drought and famine. The administration never try to contain the situation. Farmers are the backbone of the country. The sustaining misery of the farmers will shake the financial condition of the country.

The Central Government should ponder over it and immediately take appropriate steps in the interest of the farmers to relieve them out of the misery by constituting a National Commission for Farmers' rights with branches in every Revenue District of the country.

(vi) Need to give environmental clearance to diversion of forest land for construction of hydro-electric and irrigation projects in Karouli-Dholpur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री खिलाड़ी लाल बेरवा (करौली धौलपुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर (राज.) जो कि डांग क्षेत्र है एवं चम्बल बीहड़ों वाला इलाका है । इस क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, डकैती अत्यधिक है । मेरे क्षेत्र से संबंधित तीन परियोजनाएं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली में अनुमित के लिए विचाराधीन है । क्षेत्र की मांग को ध्यान में रखते हुए इन तीनों परियोजनाओं की स्वीकृति अति आवश्यक है । ये परियोजनाएं निम्न हैं :-

- नेशनल चम्बल घड़ियाल चम्बल सेंक्चुअरी, राजस्थान के अंतर्गत 0.3 वन भूमि का धौलपुर लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु डायवर्जन ।
- 2. केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी अंतर्गत 16.09 हेक्टेयर वन भूमि का जल संसाधन विभाग, जिला करौली द्वारा दोहारी माईनर सिंचाई परियोजना हेत् डायवर्जन ।
- 3. चम्बल विकास परियोजना के अंतर्गत राहु का गांव, गुज्जुपुरा, जैतपुर और बरसाला में चार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण ।

(vii)Need to release funds for electrification of villages under Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana in Khargone Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री मकनिसंह सोलंकी (खरगौन): केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पहुंच सुलभ बनाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मेरे निर्वाचन क्षेत्र (बडवानी तथा खरगौन जिले) जोकि एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, उक्त जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा बडवानी जिले के लिए 36 करोड़ 50 लाख 24 हजार की राशि स्वीकृत की है तथा खरगौन जिले के लिए 92 करोड़ 11 लाख 85 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय द्वारा धनराशि की स्वीकृति एवं आबंटन के बाद भी अभी तक राशि निर्मुक्त नहीं करने से क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बाधित हो रहा है।

धनराशि के अभाव में मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में आ रहे गतिरोध को देखते हुए स्वीकृत धनराशि को तत्काल निर्मुक्त किए जाने की आवश्यकता है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि निर्मुक्त किए जाने हेतु तुरंत आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से मुझको भी अवगत कराने की कृपा करेंगे ।

(viii) Need to provide citizenship to the Hindu and other minority community of Pakistani refugees who took shelter in India after partition in 1947

SHRI KABINDRA PURKAYASTHA (SILCHAR): Our country was partitioned on the basis to two nations' theory. Muslim League demanded partition and got it. Hindus and other minority communities of Pakistan had to leave their ancestral homes being persecuted due to civil disturbance, looting, torturing and harassment and took shelter in India including Assam as the victims of the partition. As per the U.N.O. definition, they are refugees and deserve shelter, rehabilitation and citizenship observing formalities. This is not the case with the Bangladeshi Muslims. They have infiltrated particularly in Assam and other bordering States with ulterior motives. So, both should not be treated at par. The Central Government and the State Government of Assam should make distinction between the two in providing facilities to the needy ones. The Bengali Hindus of East Pakistan (Present Bangladesh) who are the victims of the partition should not be subjected to severe harassment by making them as 'D' voters. Their voting right should not be ceased and those who have been sent to detention camp should be settled properly.

I demand that the refugees should be given Citizenship right as was done in the case of Hindus who came from West Pakistan and settled in Rajasthan and Gujarat. All sorts of harassment on the Bengali Hindus should be stopped.

(ix) Need to take measures to ensure the return of the innocent labourers who are forced to work as bonded labourers in foreign countries after being trapped by fraudulent travel agents

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से पेशेवर दलालों द्वारा कार्य दिलाने के नाम पर एवं बहुत ज्यादा पारिश्रमिक और बहुत सी अन्य सुविधाओं का सब्जबाग दिखाकर एवं गुमराह कर कुछ सही एवं बहुत से फर्जी पासपोर्टों पर उनको विदेशों में ले जाते हैं । वहां पर न तो रहने का ठिकाना होता है और न ही ठीक से कार्य ही मिल पाता है । ऐसी स्थिति में उनको या तो बेसहारा छोड़ दिया जाता है अथवा बहुत ही कम राशि में काम करने को मजबूर किया जाता है । कई बार उनके पासपोर्ट भी छीन कर रख लिए जाते हैं तथा उनको बंधुआ मजदूर बनाकर बहुत ही कम पैसों में मात्र भोजन देकर दिन-रात उनसे कार्य कराया जाता है । बीमार होने पर चिकित्सा की भी सुविधाएं नहीं दिलाई जाती है तथा फर्जी पासपोर्ट होने पर जेल में बंद कराने की भी धमकी दी जाती है । हमारे देश के अशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में विदेशों विशेषकर अरब राष्ट्रों में कष्टमय नारकीय जीवन जी रहे हैं ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विदेशों में बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे श्रमिकों के संबंध में वहां की सरकारों से बात कर उनको वापिस देश में लाए जाने की कार्यवाही करने का सहयोग करें।

(x)Need to ensure availability of fertilizers to farmers at affordable price and to remove the disparity between supply and distribution thereof

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): दिनों दिन अलाभकारी होती कृषि से किसान अपनी आजीवीका चलाने में असमर्थ है । देश में कृषकों द्वारा आए दिन आत्महत्याओं की खबरें मिलती हैं ।

आज देश में किसानों को विभिन्न खादों पर बिचौलिए अत्यधिक मूल्य वसूल रहे हैं । खादों के दाम 100 से 1500 फीसदी तक बढ़ गए हैं । सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी आम बात है । 251 रूपये मूल्य के यूरिया के लिए किसानों को 500 रूपये से अधिक मूल्य चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है । कैंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में ज्यादातर राज्यों में वितरण, स्टॉक एवं आपूर्ति में काफी अनियमितताएं हैं । रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि ज्यादातर वितरक किसानों से उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य वसूल रहे हैं ।

मेरी मांग है कि किसानों को उचित मूल्य पर वे सभी उर्वरक समय से सरकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिसकी उन्हें फसलों के लिए आवश्यकता है । खादों की कालाबाजारी हर हाल में रोकी जाए । खादों की तस्करी न हो, निगरानी तंत्र मजबूत की जाए और वह सभी कदम किसानों के हितों में उठाए जाएं जिनसे फसलों की पैदावार बढ़ाने में किसानों को सहूलियतें हो ।

(xi)Need to provide adequate quantity of fertilizers to farmers at affordable price in the country

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): मैं सरकार का ध्यान रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते दामों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं । भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब एक ही वर्ष में रासायनिक उर्वरकों की कीमत दोगुना बढ़ जाए तो यहां का किसान खेती कैसे कर पाएगा । आज देश में किसान कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं तो फिर रासायनिक उर्वरकों के दामों में दोगुना बढ़ोत्तरी का क्या औचित्य है ।

मेरा सरकार से आग्रह है कि रासायनिक उर्वरकों को खासतौर पर डीएपी खाद के दामों में अतिशीघ्र विचार कर उसको कम किया जाए तथा सब्सिडी को बढ़ाया जाए जिससे कि किसानों को कम मूल्य पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हो सके । अगर किसानों को अतिशीघ्र कम मूल्य पर उर्वरक नहीं उपलब्ध कराया गया तो रबी फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उत्पादन घट सकता है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है । खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगेंगे और गरीब तथा आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएंगे ।

(xii) Need to release funds for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Supaul Parliamentary Constituency, Bihar

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य जो रूके पड़े हैं, को शीघ्र प्रारंभ कराने की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि योजना स्वीकृत होने के बावजूद धन के अभाव में कार्य रूका है तथा पूर्व से हो रहे कार्य भी आधे-अधूरे होकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं जिससे पथों का हाल बेहाल है।

अतः माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि शीघ्र धन की व्यवस्था कराते हुए शीघ्र जन उपयोगी योजना को प्रारंभ कराए एवं समस्या का निदान कराएं जिससे की जनता का विश्वास जन-प्रतिनिधियों एवं सरकार पर बना रहे ।

(xiii) Need to convert Kalimati-Kankadahad route (via Baspal-Bamebari-Telboi) in Keonjhar Parliamentary Constituency, Odisha into a National Highway

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के जोड़ा ब्लॉक अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले अंतर्गत कंकड़ा हाड़ तक वाया वासपल तेलबोई होते हुए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि कोयला, लोहा एवं बॉक्साइड जैसे खिनज सम्पदा से यह इलाका भरपूर है। यहां पर अभी तक कोई रेलवे लाईन भी उपलब्ध नहीं है । इस इलाके में आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत बहुत पिछड़ी हुई है । औद्योगिक विकास एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहां पर माओवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है एवं रोजगार के अभाव में यहां के नवयुवक माओवादी के चुंगल में आ रहे हैं । औद्योगिक विकास एवं कच्चे माल की प्रचुरता के आधार पर उपलब्ध कच्चे माल के आधारित उद्योग लगाने की संभावनाओं को बल देने के लिए उपरोक्त मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए ।

सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र क्योंझर के जोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत कालीमाटी से डेकानाल जिले के कंकड़ा हाड़ तक वाया वासपल तेलबोई होते हुए मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित देशहित में शीघ्र किया जाए ।

(xiv) Need to set up an institute of national importance at Kolkata after the name of Shri P.C. Ray, a great scientist of India

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR): Establishment of a Science and Research Institute after the name of great patriotic Scientist Shri P.C. Ray will be befitting to commemorate his 150th birth anniversary, at his work place, Kolkata. There are Central Institutes in the name of great scientists and scholars like Sir J.C. Bose, Shri (Dr.) Meghnad Saha and Shri (Dr.) Satyen Bose, but still in the name of Sir P.C. Ray, there is no institution.

I would request the Union Government to set up an institute of national importance at Kolkata at the earliest after his name.

14.03 hrs.

CHARTERED ACCOUNTANTS (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos. 19, 20 and 21 shall be taken up together. The hon. Minister may move for consideration of all the three Bills together.

... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जायेगी।

(Interruptions) ...*

THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI M. VEERAPPA MOILY): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: पाठक जी, आप बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): मैं बोलूंगा, मगर कैसे? आप हाउस को ऑर्डर में लाइये। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय: बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदया ने तभी आप लोगों को इस पर बोलने का मौका दिया था और जिन-जिन को सम्बद्ध करना था, उनको लिख कर देने के लिए कहा गया था और सभी लोगों ने लिख कर दिया। मैं समझता हूं कि उसको जीरो ऑवर जब बाद में होगा, तब लिया जायेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: किसी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) '



.

^{*} Not recorded.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

... (Interruptions)

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

14.06 hrs.

COST AND WORKS ACCOUNTANTS (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move for consideration of the Bill listed at Item No.20

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I beg to move:

"That the Bill further to amend the Cost and Works Accountants Act, 1959, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Cost and Works Accountants Act, 1959, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

... (Interruptions)

The question is:

"That clauses 2 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.
... (Interruptions)

14.09 hrs.

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, we will take up Item No. 22. The Minister may now move that the Bill be taken into consideration.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Manipur and Arunachal Pradesh, be taken into consideration."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the States of Manipur and Arunachal Pradesh, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

... (*Interruptions*)

SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO: I beg to move:

"That the Bill be passed." MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.
... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 4.00 p.m.

14.10 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shri Satpal Maharaj in the Chair)

COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. CHAIRMAN: Now the House will take Item No.21, Company Secretaries (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI M. VEERAPPA MOILY):

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Company Secretaries Act, 1980, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Company Secretaries Act, 1980, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill Clause 1, the Enacting Formula, and the Long Title were added to the Bill.

DR. M. VEERAPPA MOILY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): Sir, I want to speak.

MR. CHAIRMAN: That stage is over.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

SHRI HARIN PATHAK (AHMEDABAD EAST): Sir, it was announced by the Chair that three Bills at Item Nos. 19, 20 and 21 would be taken together. ... (*Interruptions*) My name was called and I was on my legs. How can the Bill be passed without discussion? ... (*Interruptions*) I am ready here to speak on the Bill. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Item No. 24. Kunwar Rewati Raman Singh.

... (Interruptions)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, हमारे दल के नेता मुलायम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, कृपया पहले उसे सुन लें।

सभापति महोदय: ठीक है, मुलायम सिंह जी आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री लालू प्रसाद (सारण): गीता का अपमान हुआ है...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सिर्फ मुलायम सिंह जी की बात ही रिकार्ड पर जाएगी।

...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुलायम सिंह जी, आप अपनी बात कहें।

^{*} Not recorded.

16.04 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Reported ban of Bhagvad Gita in Russia and the need to protect the religious rights of Hindus in Russia- Contd.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने गीता पर बोलने का अवसर दिया। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सारे विश्व में स्वीकार्य है...(व्यवधान)

सभापति महोदय: केवल मुलायम सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय: आप सब बैठ जाएं। मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव: मुझे गीता पर कहने दीजिए, फिर मैं आपका साथ दूंगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: केवल मुलायम सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी। मुलायम सिंह जी आप बोलिए, नहीं तो मैं आगे की कार्यवाही शुरू कराऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापित जी, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सारे विश्व ने स्वीकार किया है और विश्व की तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। भगवान कृष्ण ने समाज के हर क्षेत्र के बारे में बोला है। मानव-जीवन कैसा हो और समाज के अंदर रहकर किस प्रकार के काम किये जाएं जिससे समाज अच्छा बने। गीता में जीवन में ईमानदारी और पवित्रता के बारे में है, धर्म के बारे में और कर्म के बारे में है। उन्होंने जिस धर्म के बारे में कहा है वह सभी को स्वीकार्य है। इस से कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा है उसी का सार गीता में है। गीता को न केवल सारी दुनिया ने स्वीकार किया है बल्कि अपनी-अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया है। आपने मुझे इस पर बोलने दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है।

महात्मा गांधी जी ने गीता को अच्छी तरह से पढ़ा था और उसे पूरा पढ़ने के बाद भी रोज दुबारा से पढ़ते रहते थे, चाहे दिन में 10 पेज ही पढ़ें या 15 पेज पढ़ें। गांधी जी के बहुत सारे भाषण और बयान उसी पर आधारित थे। गीता के महत्व को उन्होंने समझा था और उनकी इच्छा रही थी कि गीता के सार के अनुसार हम देश को बनाएं।

सरकार ने गीता एवं इसके महत्व एवं प्रभाव को गंभीरता से नहीं लिया है और इस बात को सभी दल मानेंगे। गीता को देश की जनता के बीच कैसे और प्रभावी रूप से प्रचारित-प्रसारित किया जाए, इस

^{*} Not recorded.

ओर सरकार ने न कोई ध्यान दिया है और न कोई कदम उठाया है। सरकार गीता की उपेक्षा न करे क्योंकि गीता की उपेक्षा हो रही है। इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि गीता के प्रचार-प्रसार के बारे में सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे गीता की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में मुमिकन हो सके।

साइबेरिया के एक वकील ने जो कुछ वहां कहा है उसकी निंदा पूरे सदन को करनी चाहिए। मेरी अपील है कि पूरा सदन उसकी निंदा करे। उस टिप्पणी पर पूरा सदन यहां उसकी निंदा करे।

सभापित जी, आप यहां से ऐसा कुछ निर्देशित करें जिससे गीता के पढ़ने की रुचि प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों में हो जाए। अगर विद्यार्थियों द्वारा गीता को पढ़ना शुरु हो जाएगा तो महात्मा गांधी जी को सपना पूरा होगा और भगवान कृष्ण के गीता के सार का मर्म भी लोगों को समझ में आयेगा और पूरे समाज में सुधार आयेगा।

सभापित जी, आपने और मैंने साथ-साथ काम भी किया है और जो आप कहते हैं वह करते भी हैं, इसिलए आपकी चेयर की तरफ से भी कोई निर्देश इस संबंध में आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, गीता भगवान कृष्ण से संबंधित है और दुनिया ने स्वीकार किया कि देवताओं के महान देवता भोले बाबा ने कृष्ण जी को ऊंचा स्थान दिया और कृष्ण जी ने भी शंकर बाबा को ऊंचा स्थान दिया। गीता का अपमान करना, भगवान कृष्ण का अपमान करना है। साइबेरिया में जो हुआ है, यह प्रचारित किया जा रहा है कि गीता किया जा रहा है कि गीता किया जा रहा है कि गीता किया के खिलाफ की जा रही है। है यादव, हे माधव हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, आप जानते हैं कि कृष्ण के विषय में लिखे गए हैं। दुनिया में खासकर साइबेरिया में अपमानित करने का काम हुआ है, इसे पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में गीता तथा कृष्ण भगवान को जानने वालों ने निंदा की है। यह पूरा ग्रंथ उपदेश से भरा है। राजनीति करने वाले लोग गीता को आधार बनाकर राजनीति करते हैं। दुनिया में जहां भी महापुरुष हुए हैं, रूस जहां साम्यवाद है, लेनिन जी को हम मानते हैं, कालमार्क्स को मानते हैं, अगर इस प्रकार की परम्परा शुरू हुई और इस प्रकार की प्रवृत्ति पनपती है, तो निश्चित रूप से जितने कृष्ण भक्त हैं, उनके मन में गुस्सा और क्रोध होगा। संसद चल रही है और सरकार चुप बैठी है तथा एक शब्द भी सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है। हम पूरे सदन की तरफ से इसकी निंदा करते हैं, वहीं सरकार से हमारी अपेक्षा है कि वहां जो हुआ है, उसमें हस्तक्षेप करे और साइबेरिया को खबरदार करे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। आप बैठ जाएं। श्री हुक्मदेव नारायण यादव।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: यह बर्दाश्त करने की बात नहीं है। अपमान का बदला हम लेंगे, भगवान अपमान का बदला लेंगे और इन्हें भी सज़ा देंगे, अगर ये हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सरकार हस्तक्षेप करे और सदन की तरफ से वहां की सरकार से प्रोटेस्ट प्रकट करे। अपने देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे, हाल ही में मास्को, रूस गए थे, पता नहीं कि उनके पास यह बात पहुंची है या नहीं पहुंची है। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम आग्रह करते हैं कि " बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।"

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, मैं अपने को श्री लालू जी की बात से सम्बद्ध करता हूं। श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापित महोदय, यह विषय हमारे इतिहास और अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। अतीत और इतिहास को हमें समझना चाहिए। मैं केवल दो-चार उदाहरण दे कर अपनी बात समाप्त करूंगा। "जब इतिहास को लिखने में, समझने में कोई गलती हो जाती है, तो उसके कितने भयंकर परिणाम होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर इतिहास क्या है? यह अतीत का बोध है, जो कुछ पहले हो चुका है, उसे किस ढंग से समझते हैं - अधूरा, पूरा, गलत, सही। इतिहास है अतीत का बोध। अतीत का बोध भविष्य और वर्तमान का निर्माता भी हुआ करता है। अगर गलत समझते हैं , तो गलत ढंग से वर्तमान और भविष्य बनता है, खास तौर से मैं एक छोटी-सी मिसाल दे कर बताना चाहता हूं।" लोकसभा वादविवाद 26 मार्च, 1966, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने संसद में इसी तरह से रखा था। क्योंकि यूनेस्को द्वारा दुनिया का इतिहास लिखा गया था। उसमें एक विद्वान ने लिखा था कि कविता का उद्गम चीन से हुआ था। उसी पर डॉ. लोहिया ने संसद में बहस छेड़ी थी सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन उस समिति में सदस्य थे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इतिहास की गलती को हम सदन में फिर से न दोहराए।

गीता किसी धर्म की नहीं है। जब हम बैठते हैं और ज्ञान के बारे में कहते हैं तो एक ही श्लोक से सम्पूर्ण विषय प्रकट हो जाता है

> ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञनगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।

जो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गमयम है, न वह किसी धर्म का है, न किसी एक संस्कृति किसी एक जात का है, न किसी समाज का है जो समग्र रूप से व्यक्तिधर्म, मानवधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, सम्पूर्ण धर्म

की व्याख्या युद्धभूमि में हुई है। ये भारत की ही परंपरा है कि युद्धभूमि में भी धर्म को काव्य में गाया गया है, दर्शन को गीत में गाया गया था। अगर उस गीता को कोई कह दे कि वह सांप्रदायिक है, कट्टरपंथी है, किसी धर्म विशेष का है तो वह गीता का ही अपमान नहीं है बल्कि मानवता का अपमान है, सम्पूर्ण सृष्टि का अपमान है, सम्पूर्ण जाति का अपमान है। ये कृष्ण का अपमान है, जिन्हें हम 16 कला पूर्ण, परब्रहम परमेश्वर के रूप में मानते हैं। मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा कि पश्चिम द्वारिका है और पूर्व कामरूप है। कृष्ण की यात्रा द्वारिका से कामरूप तक जाती है अर्थात कृष्ण ने भारत की पश्चिमी सीमा का निर्धारण द्वारिका में किया था और पूर्वी सीमा का निर्धारण कामरूप में किया था। जिसने पूर्व और पश्चिम के भारत के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, लोकमान्यता, लोकभाषा, लोकभूषा, लोकभोजन, लोकभवन, लोकसंस्कृति और लोककला की आधारशिला रखी थी, उसकी गीता को अगर कोई कह दे कि यह सांप्रदायिक है तो हम कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। यह सम्पूर्ण भारत का नहीं, मानवता का अपमान है। इसलिए हम सदन से केवल एक लाइन में यह प्रस्ताव पास करें कि गीता के संबंध में रूस में जो हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम गीता का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): माननीय सभापति जी, यहां सभी साथियों ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अपने आपको संबद्ध करता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सवाल करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं उसे दोहराने की जरूरत नहीं महसूस करता हूं कि जो सब साथियों ने कहा है। मैं इतना मानता हूं कि सरकार को इस पर कारगर पहल करके इस सवाल को हल करना चाहिए।

इसी निवेदन के साथ मेरी आपके माध्यम से सरकार से आपसे विनती है कि सरकार इस पर जरूर पहल करेगी। यह देश भर के लोगों की इच्छा है। इसे सरकार समझेगी और इस पर पहल करके बेतुके फैसले को बदलवाने का काम करेगी।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): यद्रुच्छा लाभ संतुष्टो द्वंदातीतो विमत्सरः समस्सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते।

माननीय सभापित महोदय, रोज टीवी पर यही बोलते हैं। मैं समझता हूं कि भगवद गीता को समझना आसान नहीं है, मुश्किल है। मेरे ख्याल से रूस वाले समझे नहीं होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था - मैं रोज गीता पढ़ता हूं और रोज मुझे नई बात मिलती है। मैंने भी थोड़ी बहुत गीता पढ़ी है, मुझे सबसे अच्छा श्लोक यही लगा जो मैंने अभी बोला है -यद्भुच्छा लाभ संतुष्टो द्वंदातीतो विमत्सरः

समस्सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते।

इसका अर्थ है कि अगर काम करने में कुछ फायदा मिले तो एक्सीडेंटल समझो, यद्रुच्या। लेकिन फायदे के लिए कोई काम मत करो। काम करना ही तुम्हारा कर्म है इसलिए तो जी रहो हो, तुम तुम्हारा काम करते

जाओ। यह समझना आसान नहीं है क्योंकि फायदा नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। इसे समझने में शंकराचार्य जी से लेकर राधाकृष्णन जी ने व्याख्या लिखी है, किताब लिखी है। अगर एक किताब पढ़ो तो एक सार समझ में आता है और अगर दूसरी पढ़े तो दूसरा सार समझ में आता है। भगवद गीता का सार भारतीय ही समझ सकते हैं, बाहर वाले नहीं समझ सकते हैं। इसका सार हम में छुपा हुआ है। भले ही इस देश में इतनी पावर्टी हो, इतनी डिफिकल्टीज हों, आपस में लड़ाई-झगड़े हों, परंतु फिर भी जब मांग होती है तो सारा देश एक होकर खड़ा हो जाता है।

सभापति महोदय: इसीलिए कहा गया है - गीता, सुगीता, कर्तव्या किमये शास्त्र विस्तरे।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली : मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूं िक मैं छोटा हूं, सब मेरे से बहुत सीनियर और बुजुर्ग लोग हैं। गीता में एक श्लोक इस प्रकार है - यदय आचरित श्रेष्ठ तद्र देवेतरो जना: यत प्रमां कुरते लोकस्तदनुवर्तते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं - तुम मानो या न मानो, इसे छोड़ दो, मगर जो श्रेष्ठ होता है, Who is on the top position, whatever he does, is followed and imitated by ordinary people. जो उच्च स्थान में रहते हैं, वे न चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम करते हैं, क्योंिक वे मॉडल हैं, लोग उन्हें देखते रहेंगे। इसलिए मैं इस संसद से प्रार्थना करता हूं िक रोज हम जो करते हैं, उसे छोड़ दें, क्योंिक हमको इमिटेट करने वाली सारी दुनिया, पूरा भारत देखता रहता है िक हमारी 125 करोड़ की आबादी द्वारा चुने हुए 550 लोग यहां लोक सभा में क्या कर रहे हैं। मैं सबसे विनती करूंगा िक रूल बुक में प्रोटैस्ट दिखाने की जो रीति है, आप उस रीति में जाएं...(व्यवधान) यह भी गीता में हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मेरे से पहले जो वरिष्ठ माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनसे सहमत हूं। यह भारत की संसद से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की ओर से जाना है। रूस में जो गीता के खिलाफ बोले हैं, उन्हें यह आवाज पहुंचानी है िक पहले गीता पढ़ो,गीता में क्या है, उसे सीखने की कोशिश करे।

सभापति महोदय: उसे समझो।

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: फिर उस पर कमैन्ट करने के लायक बनो। आप कमैन्ट तो कर सकते हो, मगर समझे बिना मत करो। यह आवाज यहां से जानी चाहिए।

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदय, आप तो संत हैं, you are also a knowledgeable seer. मेरी आपसे विनती है, यह गीता में है - "निर्माण मोहा जितसंग दोषा, आद्यवांतो नित्या विनिवृत कामा:, द्वंदियर विमुक्ता सुखं दुखं संगेयर, गछंति मूढ़ा तत्व पदम वैयं।" क्या हम सब मूढ़ हैं? रुस में जो हुआ, वह क्यों हुआ, क्या वह प्रधान मंत्री जी के जाने के पहले हुआ? वहां एक इस्कान का मंदिर भी तोड़

दिया गया है। गांव-गांव में गीता पर बहस करने के कारण लोगों को बहुत पनिशमैन्ट दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन्हें रिप्लाई मिलना चाहिए।

"संसंखा चक्रश्या किरीट कुंडलम, सिपतवस्त्रं सरिसर रुहेक्षणं सहारवक्ष्स्थल कौस्तुभात्यं, नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजं। जो त्रेता युग में राम हैं, वह द्वापर में कृष्ण हैं, वह किलयुग में जगन्नाथ हैं। इस बारे में आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा और उन्हें उस पर अमल करना पड़ेगा। मंत्री जी का उत्तर सुनकर हम बैठ जायेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, हमारे जीवन में भागवत गीता की अहमियत के प्रति माननीय सदस्यों ने यहां जो विचार प्रकट किये हैं, उनकी हम कद्र करते हैं। जो साइबेरिया, रिशया में भागवत गीता के खिलाफ जानकारी में आया है कि कोई कानूनन कार्रवाई हुई है। उसकी जानकारी हाउस को विस्तारपूर्वक देने के लिए माननीय श्री एस.एम.कृष्णा जी कल एक वक्तव्य दे देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जिस गंभीरता का जिक्र किया है, उसमें किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है, सभी के विचार एक ही हैं। ऐसा एक विषय एक और देश के प्रति पहले भी उडा था। आपमें से बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं है। उस वक्त मैंने ही श्री एस.एम.कृष्णा जी को पत्र लिखा था। वह भी एक ऐसी ही बात थी और उस पर उन्होंने कार्रवाई की थी और उस देश ने उस वक्त उस पर एकदम ठीक कदम उठा लिये थे।

हमें विश्वास है कि सारी बात की तफ्तीश करके और उसकी पूरी जानकारी लेकर वह कल यहां अपना वक्तव्य दे देंगे।



16.25 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

Threat to Ganga and Himalayas because of over-exploitation

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि संयोग से आप आसन पर बैठे हैं और उत्तराखण्ड के गंगोत्री से ही आते हैं। जहां से गंगा का उद्गम होता है, आप उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के आप रहने वाले हैं।

सभापति महोदय: हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।

श्री रेवती रमण सिंह: आप पूरे देश में घूम-घूम कर यह प्रवचन करते हैं। जहां-जहां आप जाते हैं वहां गंगा के महातम्य के बारे में वर्णन भी करते हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, उस प्रतीक को विनष्ट करने का काम, उस प्रतीक को समाप्त करने का काम उत्तराखण्ड की सरकार कर रही है। मान्यवर, भागीरथी ने सदियों तक तपस्या कर के गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का काम किया। यह हमारे प्रचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। यह कहा गया है कि गंगा पवित्र है, उसका जल अमृत है। अगर गंगा के जल को बोतल में रख दें तो उसमें कभी-भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। वह एकदम साफ रहता है। दो महाकुंभ गंगा के किनारे लगते हैं। एक हरिद्वार का महाकुंभ लगता है, जहां के आप निवासी हैं और एक महाकुंभ प्रयाग में लगता है, जहां गंगा बहती है। इन दोनों महाकुंभों में करोड़ों की संख्या में देश-विदेश के पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तरह-तरह के साधु-महात्मा आते हैं। हमें लगता है कि आप भी वहां जाते होंगे। लेकिन, आज गंगा को पूरी तरह से विनष्ट करने का एक षडयंत्र चल रहा है। इस षडयंत्र का नतीजा यह होगा कि 50 करोड़ की आबादी जो गंगा पर गुजर-बसर करती है, गंगा के किनारे जो लोग चार प्रदेशों में निवास करते हैं, उनका जीवन-यापन खत्म हो जाएगा।

16.28 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूँ कि संयोग आप आ गए हैं। आप भी इससे प्रभावित हैं और इसके ज्ञाता भी हैं। मान्यवार, गंगा के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने सन् 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आज सन् 2011 खत्म होने वाला है लेकिन संभवतः एक बैठक भी नहीं हुई है। गंगा के संरक्षण के लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया है। मुझे अफ़सोस है कि प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा है कि एक बैठक रखें और यह देखें कि गंगा की क्या दुदर्शा

हो रही है। सवाल यह है क गंगा बचेगी कि नहीं, उसका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा? केवल गंगा ही नहीं हमारी जितनी भी निदया हैं चाहे यमुना हो या अन्य सहायक निदयां जो वहां से निकलती हैं, सब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उनका अस्तित्व दो तरह से खतरे में पड़ गया है। एक तो कार्बनडाई अक्साईड की वजह से ग्लेशियर हर साल 20 मीटर खिसक रहे हैं। दूसरा, हमने बांधों की श्रंखला बनाई है, पहले वहां पर तीन बांध बनाए गए थे। जब टिहरी बांध बनाया गया तो यह कहा गया कि इससे 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी और डेढ़ लाख हैक्टेअर भूमिं की सिंचाई होगी। आज वास्तिवकता यह है कि टिहरी से मात्र 400 मेगावाट बिजली मिल रही है और सिंचाई केवल कागजों में नाममात्र की हो रही है। इससे बिहार तक सिंचाई होनी थी, महोदय, आप बिहार से आते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कहीं बिहार में गंगा का पानी सिंचाई के लिए जाता है? पटना में गंगा का बहुत बड़ा पाट था, बनारस में बहुत बड़ा पाट था, इलाहाबाद में गंगा अविरल तरीके से बहुती थी, लेकिन आज वह नाले के रूप में बह रही है। कानपुर आदि जितने भी शहर हैं, पटना बता दिया, गंगासागर तक जाते-जाते गंगा की स्थिति यह हो जाती है कि मल-मूत्र से गंदा पानी ही गंगासागर में जाता है। गंगा का शुद्ध जल वहां जाता ही नहीं है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, दो बांध और बनाये गये, एक बांध हरिद्वार में बनाया गया और एक नरौरा में बनाया गया। उसके बाद एक बांध मनेरी भाली में और बना दिया गया। इतने पर ही उत्तराखंड की सरकार को संतोष नहीं हुआ। जो गंगा की प्रमुख सहयोगी निदयां हैं, केदारनाथ धाम से निकलने वाली निदयां हैं, मंदािकनी के ऊपर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इतने बांध बनाये जा रहे हैं कि 115 किलोमीटर तक, जहां से मंदािकनी बहती है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र समाप्त हो गया है। जो गंगा अविरल धारा से बहती थी, उसमें तमाम औषि गुण, तमाम उसमें इस तरह के पदार्थ आते थे, जीव-जन्तु उसमें पलते थे, उन सबको समाप्त करने का काम कर दिया है। ऐसा लगता है कि गंगा कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेगी। जयराम रमेश जी, पहले पर्यावरण और वन मंत्री थे, आज मंत्री जी जयंती नटराजन जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जरा आप यह देखिये कि केदारनाथ धाम से मंदािकनी नदी पर पूरी की पूरी बांध की शृंखला बनायी गयी। वहां के लोगों के विरोध करने के बावजूद भी वह बनता ही जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह नक्शा और सीडी भिजवाना चाहूंगा। अगर आप इसे देखेंगे, मैं चाहूंगा कि एक दिन लोक सभा के जितने भी सदस्य हैं, इन्हें बुलाकर आप स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि आप चेयर पर बैठे हुए हैं, अगर इसे आप दिखा दें और यह सीडी भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसमें एनडीटीवी ने बड़े स्पष्ट रूप से यह दिखाया है कि गंगा ही समाप्त होने वाली है, अगर इस पर तत्काल सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

मान्यवर, वहां के लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी वहां काम निरन्तर चल रहा है। राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण तो गठित किया गया, लेकिन इसे कानूनी दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। विकास के नाम पर बिजली बनाने के लिए, मान्यवर, गंगा के साथ-साथ हिमालय का भी अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हिमालय चार-पांच सिस्मिक जोन पर बसा हुआ है, कच्चा पहाड़ है और कभी भी वह टूट जाये। एक बार मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, जब अंग्रेज बांध बनाने लगे तो मदन मोहन मालवीय जी इलाहाबाद से आये और उन्होंने कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे, अंग्रेजों ने बंद कर दिया। आज हमारी ही सरकार जो अपने आपको धर्म का रक्षक कहती है, हुक्मदेव नारायण यादव जी जिसके बड़े भारी पोषक हैं, आज उसी पार्टी की सरकार गंगा को विनष्ट रही है, हिमालय को विनष्ट कर रही है।

मान्यवर, इतना उसे विनष्ट करने की तैयारी हो रही है कि एक दिन ऐसा आयेगा कि अगर टिहरी का बांध टूटा तो वहां से लेकर पूरे इलाहाबाद तक जलमग्न हो जायेगा। एक भी आदमी नहीं बचेगा। क्या कभी सरकार ने इस संबंध में सोचा है? कभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया है? खाली आपने मज़ाक बना दिया। ... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): आज भी कोई नहीं बैठा है। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: यहाँ पर्यावरण मंत्री बैठी हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : एक मंत्री नहीं, और मंत्रियों को भी होना चाहि

श्री रेवती रमण सिंह: कायदे से तो प्रधान मंत्री को भी होना चाहिए था क्योंकि गंगा बेसिन प्राधिकरण के वे अध्यक्ष हैं। लेकिन वे यहाँ नहीं हैं। वे लोकपाल बनाने में व्यस्त हैं ... *

...(व्यवधान) मान्यवर, हम पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार जब इसका विरोध हुआ और प्रो. अग्रवाल जो कि पर्यावरणविद् हैं, वे आमरण अनशन पर बैठे, तब प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने के बाद वहाँ चार योजनाओं को उन्होंने स्थिगित करने का काम किया। लोहारी, नाग, पाला मनेरी, और भैरव घाटी के बांधों को उन्होंने निरस्त किया। चार बाँध निरस्त किये लेकिन अभी 150 बांधों का काम चल रहा है। अभी 550 बांधों को चिह्नित किया गया है कि इन पर और काम चलेगा। बिजली कितनी मिल रही है? यदि ये सब परियोजनाएँ तैयार हो जाएँ तो पूरे देश को जो बिजली मिलती है, उसका एक प्रतिशत बिजली ही मिलेगी। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि तत्काल इसका काम रुकवा दीजिए। अगर आपको गंगा को बचाना है, आपको अलकनंदा को बचाना है, आपको मंदािकनी को बचाना है तो मेरा आपसे आग्रह है कि तत्काल इस काम को रुकवा दीजिए और गंगा की अविरल धारा को बहने दीजिए,

* Not recorded.

_

गंगा में जल प्रवाह होने दीजिए और चारों तरफ से जो गंदगी और मल-मूत्र गंगा में जा रहा है, इसको रोकने का काम करने का भी यहाँ से प्रयास होना चाहिए। पहले राजीव गांधी के समय में विश्व बैंक ने 600 करोड़ रुपये दिये थे गंगा की सफाई के लिए। वे पैसे कहाँ गए, पता नहीं। अभी 6000 करोड़ रुपये विश्व बैंक ने फिर दिये हैं गंगा की सफाई के लिए। यमुना की सफाई के लिए अलग से दिया है, लेकिन जब गंगा यमुना नदियाँ बचेंगी, तब तो उनकी सफाई होगी। जब इन नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो सफाई किसकी होगी? मान्यवर, गंगा हमारी माँ की तरह है, हमारी धरोहर है। हम अगर इस धरोहर को, गंगा और हिमालय को समाप्त कर देंगे तो देश की पहचान मिट जाएगी। भारत देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज तीन नदियों का संगम इलाहाबाद में कहा जाता है। हमारी नदियाँ खत्म हो जाएँगी। गंगा नदी नहीं है। हम गंगा को एक नदी के रूप में ही नहीं जानते हैं, बल्कि गंगा और यमुना को हम माँ के रूप में स्वीकार करते हैं और इसलिए करते हैं कि 50 करोड़ लोगों की आजीविका गंगा और यमुना से चलती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ और जयराम रमेश जी की बात क्वोट करना चाहता हूँ जो आपके पहले पर्यावरण मंत्री थे। उनकी बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि जयराम रमेश ने चंडीप्रसाद भट्ट, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, शेखर पाठक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. पुष्पेश पंत की मौजूदगी में श्रोताओं से भरे हॉल में कहा - ''उत्तराखंड में ऐसी कई जल परियोजनाएँ शुरू की गई हैं जिन्हें पर्यावरण के लिहाज से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।" तब भी ये परियोजनाएँ चल रही हैं। कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। मैं उनका दूसरा उद्धरण देना चाहता हूँ।

श्री जयराम रमेश ने कहा कि किसी भी परियोजना में कभी किसी नदी के अविरल धारा को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ उत्तराखण्ड में 70 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हमें यह नहीं मालूम है कि इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान्यवर, आपके पूर्व मंत्री 70 परियोजनाओं की बात कह रहे हैं। मैं बता हुं कि उन्होंने 150 परियोजनाओं में काम को चिन्हित कर लिया है और 550 परियोजनाओं में और काम करने जा रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ मैं श्री जयराम रमेश की एक और बात आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हम नदियों में पानी देखना चाहते हैं, सुरंगें नहीं। एक समय आएगा जब उत्तराखण्ड में नदियां नहीं, टनेल ही टनेल दिखाई पड़ेंगे। हमारा पूरा हिमालय इसीलिए प्रसिद्ध है कि वहां पर नदियों की अविरल धारा निकलती हैं, लेकिन अब टनेल बना रहे हैं। मंदाकिनी में 115 किलोमीटर तक इन्होंने टनेल बना दिया। वहां पर केदारनाथ की घाटी समाप्त हो गई। टनेल में क्या होता है? हिमालय में

विस्फोट किया जाता है, झील बनाई जाती है और उसका कचरा उसी में पड़ा रहता है। झील में मच्छर और तमाम तरह के जीव-जन्तु पाए जाते हैं। उसमें मच्छर पलते हैं जिससे वहां से जो पानी छोड़ा जाता है उससे बीमारियां होती हैं।

मान्यवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी, आप इस पर तत्काल कार्रवाई करें और एक आयोग बनाएं जिसमें पर्यावरणविद भी हों, जिसमें इतिहासकार भी हों। सभी लोगों का एक आयोग बनाएं और तत्काल उत्तराखण्ड सरकार को यह आदेश दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य जो अभी आपके आसन पर विराजमान थे, वे इस बात का भी समर्थन करेंगे। मैं एक बात कहूंगा श्री सतपाल महाराज से, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा, पहले उत्तर प्रदेश से जो प्रस्ताव आया था, उसमें हिंग्द्वार को उत्तराखण्ड में शामिल नहीं किया गया था, हिंग्द्वार पहले उत्तर प्रदेश में था। लेकिन माननीय जोशी जी, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हिंग्द्वार को उत्तराखण्ड में करवा दिया। माननीय जोशी जी, माननीय सतपाल महाराज जी, आप लोग उत्तराखण्ड के रहने वाले हैं, आप लोग इस बात पर हमारा समर्थन कीजिए कि आगे से वहां कोई बांध नहीं बनाया जाएगा और वहां पर गंगा, यमुना, आदि सभी निर्दियों को विनष्ट नहीं किया जाएगा, आप यह घोषणा कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि एक बार आप वहां का दौरा कीजिए। आप वहां का काम रूकवा दीजिए और वहां पर किसी भी निर्माण कार्य की अनुमित न दीजिए। गंगा नदी जहां-जहां से बहती है, आप वहां जाने का कष्ट किरए। आज बिलया से लेकर बनारस तक गंगा के पानी में आर्सेनिक पाया जाता है जो कि मानव जाति के पीने के लिए ही नहीं, बल्कि नहांने के लिए भी वर्ज़ित है। यह क्यों वर्ज़ित है क्योंकि सारी गंदगी उसमें जा रही है। सब मल-मूत्र और जितना भी कचरा है, वह गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आज इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की घोषणा करें। मेरा इनसे आग्रह हैं कि आप एक दिन पूरी गंगा के किनारे का दौरा कर लीजिए और वहां की दुर्दशा देखने का काम करें।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय - गंगा नदी और हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को हो रहे खतरे - पर बोलने का अवसर दिया।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। प्रत्येक भारतवासी का वक्षस्थल, उसका सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है जब वह कहता है कि मैं उस देश से आता हूं जिस देश में पतित पावनी गंगा बहती है। तुलसी दास जी से एक संत ने पूछा कि महाराज, सबसे पवित्र जल की नदी कौन सी है तो संत शिरोमणि तुलसी दास जी ने कहा कि जो यमुना नदी है, वह पवित्र जल की नदी है। उस संत ने कहा कि महाराज, आपने गंगा का उच्चारण नहीं किया तो तुलसी दास जी ने कहा कि गंगा जल नहीं, गंगा अमृत है। जब गंगा को हम माता कहते हैं तो उस मां शब्द के अंदर पूरे पोषण करने की क्षमता है। हमारे जो ऋषियों ने कहा कि गंगा हमारी माता है। उनकी यही आशा थी कि भविष्य में गंगा से लोग ऊर्जा उत्पादन करेंगे। यह मां पूरी धरती को, जो मरुस्थल है, उसे शस्य-श्यामला बनाएगी और लोगों को आजीविका देगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि आज लालच ने मनुष्य को घेरा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हर किसी की जरूरत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आदमी के लालच को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज हम में इतना लालच पैदा हो गया है कि हम गंगा और हिमालय का निर्मम दोहन कर रहे हैं। वैसे गंगा इस धरती की धारा नहीं थी, इसे वेतरणी कहा जाता था। ये स्वर्ग में बहती थी, परन्तु जब भागीरथ ने तपस्या, योग एवं कर्म किया तो वह स्वर्ग को धरती पर ले आया। यही गंगा की शिक्षा एव गंगा कां संदेश है। गंगा के अंदर यह भावना छिपी है कि प्यासा उसके पास आता है, गंगा उसकी प्यास को बुझाती है। उससे यह नहीं पूछती कि तुम्हारा धर्म एवं जाति क्या है। तुम्हारे पास पैसा है या तुम निर्धन हो। यह कुछ नहीं पूछती, केवल प्यासे की प्यास को बुझाती है। आज गंगा की यह भावना, जो पूरे देश को एकता में जोड़ने की क्षमता रखती है, आज उस धारा का दोहन हो रहा है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए 24 सितम्बर, 83 से अक्तूबर, 1983 तक मुझे भारत जागो पद यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हमने भगवान बद्री विशाल के चरणों से चल करके गंगा के प्रदुषण को दूर करने के लिए एक पैदल यात्रा की, जिसमें एक महीना चार दिन का समय लगा। उस यात्रा के दौरान मैंने बड़े करीब से देखा कि किस प्रकार से गंगा की धारा को हमने गटर की नाली बना दिया है। आज पूरे शहर और करबे का जो सीवेज है, वह गंगा के अंदर जा रहा है। गंगा के किनारे पर जो शमशान घाट है, वहां किस प्रकार से अधजली लाशों को गंगा के अंदर डाल रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। गंगा की जो निर्मल धारा होती थी, गंगा के अंदर जो भावना होती थी कि हम इसके पानी को किसी बोतल

के अंदर ले जाकर अपने घर में रखेंगे। हम जब कभी शुद्ध होना चाहेंगे तो उस गंगा के जल को छिड़क कर शुद्ध हो जाएंगे। ये गंगा जल की बोतल मैंने भारत की सीमाओं में ही नहीं, बल्कि विदेशों में जो लोग रहते हैं, उनके घरों में भी देखी है। यह गंगा व्यापक है, गंगा की भावना व्यापक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहंगा कि हमें सबसे पहले ऐसी योजना बनानी होगी, बद्रीनाथ धाम के अंदर भी जो गटर की नालियां हैं, वे गंगाजी में पड़ रही हैं, उन्हें रोकना होगा। उसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। आज हमारे पास जो टैक्नोलॉजी है, जैसे नेनो टैक्नोलॉजी है, जिसके जरिए हम सीवेज वाटर को इलैक्ट्रीसिटी में कंवर्ट कर सकते हैं। हम सीवेज वाटर को लेकर उसका सिन्थिसाइज़ करें, उसके अंदर से हाईड्रोजन को निकालें और एच 2ओ को अलग करें तो उससे यह होगा कि हाईड्रोजन से टर्बाइन चलेंगे और उसी सीवेज के पानी से हम बिजली पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे। आप आज 40 मीटर बॉय 60 मीटर के स्थान पर दो सौ मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार की जो नेनो टैक्नोलॉजी आज दुनिया के अंदर आई है, इसके जरिए हम सीवेज वाटर, जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को ले करके, उसमें से हाईड्रोजन को अलग करके और एच 2ओ को अलग करके, जो Medical grade water होगा, उसे अलग करके हम स्वच्छ पानी को जनता को दे सकते हैं और हाईड्रोजन से टर्बाइन चला कर बिजली भी पैदा कर सकते हैं। यह जो गंगा की धारा है, यह मां शब्द के अंदर पूरे भारतवर्ष का पालन-पोषण करने की क्षमता रखती है। माता जैसे अपने बच्चे का पोषण करती है, उसी प्रकार से गंगा करती है। आज उसके अंदर आधुनिक टैक्नोलॉजी के जरिए, जो हमारी अलॉंग द रीवर, जिसे रन ऑफ द रीवर कहते हैं। उसके जरिये आज बिजली बन रही है। टिहरी डैम बना, वह बड़ी पुरानी टैक्नोलोजी थी और हमारा रशियन कोलेबोरेशन के साथ डैम बना, वह हमारा पहला प्रयोग था और उसके बाद एक नई टैक्नोलोजी आई, जिसे हम रन ऑफ दि रिवर कहते हैं। आज उसके जरिये कोई डैम नहीं बनेगा, जो हमारे माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह जी ने आशंका जाहिर की, अब वह आशंका निर्मूल हो गई है, क्योंकि रन ऑफ दि रिवर के जरिये सुरंग बनाकर पूरी नदी के पानी को उसमें प्रवाहित करके उसमें टरबाइन लगा करके और धरती के ग्रेडिएंट का लाभ उठाकर आप उससे बिजली पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रन अफ दि रिवर जो प्रोजैक्टस हैं, उससे न तो डैम बनेगा, न पानी इकटठा होगा और न हमारा उत्तराखंड, जो सैसमिक जोन में है, उसमें भी जो भूकम्पीय क्षेत्र होने के नाते जो सम्भावना है कि डैम टिक नहीं पाएंगे, उससे भी निजात मिल जायेगी तो हम रन ऑफ दि रिवर के जरिये बिजली का उत्पादन करेंगे और हमारी उत्तराखंड, जो हमारे भारत का मस्तक है, वह एक ऊर्जा प्रदेश के

रूप में परिवर्तित हो जायेगा, ताकि हमारे देश को ऊर्जा प्रदान कर सके, शक्ति प्रदान कर सके और भारत निर्माण में उत्तराखंड अपना योगदान दे सके।

इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्व विषय है और इस पर हमें आधुनिक टैक्नोलोजी को अपनाना होगा। आज पहाड़ों से रेता नीचे आता है, जगह-जगह अवैध खनन होता है, इल्लीगल माइनिंग होती है, जिसके लिए निगमानंद जो थे, अनशन कर रहे थे और उनके प्राणों का अन्त हो गया। मैं समझता हूं कि भाजपा के राज में उत्तराखंड के अन्दर एक सन्त का प्राणान्त हो गया, यह एक बड़ा विचारणीय विषय है और निगमानन्द जी का एक बड़ा खेद का विषय है। इसमें मैं आपके सामने तहलका मैगजीन दिनांक दो जुलाई के बारे में कहना चाहूंगा, जिसमें कि आशीष खेतान और मनोज रावत ने बहुत सुन्दर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि:

"Finally Nigamanand died on 13th June in the same hospital, in the same ward where Ramdev was being treated in the ICU just after seven days of fasting. Briefly, the glaring ironies around the story of the two men created a furore, but soon in a death as lies the real and urgent cause Nigamanand has been fighting for was quickly forgotten."

आज निगमानन्द जी, जिन्होंने अपने प्राणों का बिलदान दिया, उस पर विचार करना होगा कि आखिर जो अवैध खनन हो रहा है, इल्लीगल माइनिंग हो रही है, बेतहाशा हम रीवर बैड को खोदे जा रहे हैं, यह रोकना होगा, इल्लीगल माइनिंग से एक तो कालाधन पैदा होता है, देश के निर्माण में वह पैसा नहीं लगता, राज्य सरकार टैक्स को प्राप्त नहीं करती है और दूसरे माफिया इसके अन्दर छा जाता है। इस प्रकार के दोहन से, इस प्रकार की इल्लीगल माइनिंग से पूरे राज्य का, पूरे देश का नुकसान होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए एक प्रोपर आधुनिक टैक्नोलोजी से, साइंटिफिक टैक्नोलोजी से हम माइनिंग करें, जिससे कि रीवर बैड धीरे-धीरे कम हो और रीवर को हम संतुलित ढंग से चलने दें और यह बहुत आवश्यक है कि साइंटिफिक सोच को हम लेकर के चलें।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1979 में केन्द्रीय बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए एक व्यापक सर्वे करे, जिसके आधार पर 1984 में गंगा एक्शन प्लान का गठन किया गया। आज गंगा एक्शन प्लान के गठन के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा फरवरी, 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया और 350 करोड़ रुपये का

प्रारम्भिक बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया। उनके ही अथक प्रयासों और दूरदृष्टि से 1985 में गंगा परियोजना निदेशालय पर्यावरण की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह हमारे लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, गंगा का रक्षित होना, गंगा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसकी कोई कार्य-योजना बने और गंगा की रक्षा हो, हिमालय का साइंटिफिक दोहन हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा:

'रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, गर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा, बेजार न हो, बेजार न हो, ये सारा फसाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा।'

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापित महोदय, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सतपाल महाराज जी ने उसका समर्थन किया। उत्तराखंड के संबंध में सतपाल महाराज जी ने बहुत सी भ्रांतियों का निवारण कर दिया है। सतपाल महाराज जी ने भ्रांतियों का निवारण किया है, तो इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वह धार्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, इसलिए उनके द्वारा भ्रम के निवारण करने के बाद अब तकनीकी विशेषज्ञता के संबंध में भी कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिए।

गंगा केवल गंगा नदी नहीं हैं, जल नहीं है। भारतीय शास्त्र में कहा गया है - 'धर्मार्थ काम मोक्षानाम् आरोग्यम् मूल उत्तमम्।' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों की प्राप्ति होगी कब, जब लोग आरोग्य होंगे तब, अर्थात इस सब के मूल में आरोग्यता है। आरोग्यता कैसे आए, जब हवा शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, आकाश शुद्ध हो। पंचतत्व इस ब्रहमांड में हैं, उन पांचों में अगर पवित्रता रहेगी, तभी हम आरोग्य रह सकेंगे। गंगा का महत्व इसीलिए बढता है कि गंगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को देने वाली नदी है। सतपाल महाराज जी ने कहा कि वह हमारी मां है। हम तो गंगा मैय्या कहते हैं और गंगा मैय्या इसलिए कहते हैं कि मां के दूध से जैसे बच्चे का संपूर्ण अंग पुष्ट होता है, उसी तरह गंगा के पानी से संपूर्ण समाज पुष्ट होता है। गंगा में पशु नहाते हैं। जो पशु पालक हैं, हमारे प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो गंगा के किनारे बसने वाले हैं, हमारे पशु गंगा में पानी पीते हैं, गंगा में नहाते हैं, गंगा में खेलते हैं, मैं तो अहीर हूं, जब हमारे बच्चे भैंस लेकर जाते हैं तो दो-तीन घंटे तक भैंस गंगा में लोटती रहती है, पलटती रहती है और बच्चे गंगा में तैरते और खेलते रहते हैं। क्या दुनिया का कोई स्वीमिंग पूल में तैरने वाला उसका मुकाबला कर सकता है? ऐसी गंगा में जहां गंगा तट पर बसने वाले करोड़ों पशु पानी पीते हों, गंगा तट पर बसने वाले करोड़ों इन्सान जिसमें स्नान करते हों, उसका जल पीते हों और गंगा के पानी से उपजाऊ उर्वरा भूमि में फसल लहलहाती हो, उस गंगा के बारे में अगर हमारी दृष्टि में गंगा की पवित्रता, गंगा की शुद्धता, गंगा के जल की धारा का प्रवाह और गंगा की निर्मलता को बनाए रखने पर अगर हम न सोचें तो हम समझते हैं कि अपने कर्तव्य का, राष्ट्र धर्म का हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। गंगा की धारा गंगोत्री से निकलती है और सागर तक जाती है। सतपाल महाराज जी ने इसके बारे में बताया। श्रीमान, गंगा में जो स्वच्छता का अभियान चला, वह भी उसी से जोड़कर देखिए कि जब गंगा का अवतरण भागीरथी ने किया, राजा सगर के कुल में भागीरथ जैसा पुत्र को पैदा किया, जो गंगा को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाए थे। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलती है, गंगा को धारण करने वाला कोई नहीं है, स्वयं शिव गंगा को धारण करते हैं। कहते हैं कि गंगा से कहो, उतरो, मैं गंगा को धारण करूंगा और

गंगा शिव की जटा में उलझ जाती है। फिर प्रार्थना करते हैं, तो जटा के एक लट को भगवान शिव निचोड़ देते हैं, उससे गंगा निकलती है। जिस तरह से गंगा ब्रह्मा के कमंडल से आकर और शिव की जटा में उलझ गयी थी, उसी तरह गंगा की स्वच्छता का अभियान सरकार की फाइल से निकलता है, लेकिन अफसरशाही के तंत्र के जाल की जटाओं में उलझकर रह जाता है। गंगा का स्वच्छता अभियान तकनीकी आफीसर, ठेकेदार, आदि के जाल में फंस कर रह जाता है लेकिन गंगा में कभी सफाई नहीं होती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है और हिमालय का इसलिए महत्व है कि भारत की संस्कृति का निर्माण और भारत की संस्कृति का उद्गम तथा भारत के धार्मिक ग्रंथों के जो काव्य हैं, उसकी रचना हिमालय से हुयी है और भारत की निदयों के किनारे से ही भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है।

17.00 hrs.

हम सभी नदियों के बारे में कहेंगे कि आप और हम जहां रहते हैं, हमारे यहां जितनी नदियां हिमालय से निकलती हैं, वे घूम-फिर कर गंगा में ही गिरती हैं। अगर वे सारी नदियां शुद्ध रहेंगी तो गंगा का जल भी शुद्ध रहेगा। गंगा की पवित्रता के साथ-साथ गंगा में मिलने वाली सभी नदियों की जल धारा पवित्र, स्वच्छ, निर्माल स्वस्थकर और हितकर हो, सरकार को इन पर भी चिंतन करना चाहिए। सारे शहरों के सिवरेज का पानी रांगा जी, यमुना जी और अन्ये दूसरी नदियों में गिरता है। सभी सिवरेज का पानी निकाल कर गंगा-यमुना में गिराते हैं। मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि शहरों के जितने सिवरेज के गंदे पानी नदियों में गिरते हैं उसे वाटर ट्रिटमेंट प्लांट के जरिए शुद्ध करें। वहां पर पम्पिंग सेट लगा कर आसपास के खेतों के लिए सिंचाई का प्रबंध कर दें तो उस पानी से हजारों-लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई का काम भी हो जाएगा और गंगा एवं सभी नदियों की धारा पवित्र भी रहेगी लेकिन आप उस पर खर्च नहीं करेंगे क्योंकि आप उस योजना पर खर्च करेंगे, हजार-दो हजार करोड़ रूपये आप देते जाएंगे, जैसे गंगा में बाढ़ आती है, सभी गंदगी को ले जाती है और सागर में ले जाकर गिराती है। उसी तरह हजार-दो हजार करोड़ रूपये भी गंगा की धारा में बह जाएगी। इसका कहीं कोई निशान नहीं रहेगा। कौन मूल्यांकन करेगा कि पैसा किधर से आया और किधर चला गया? सब गंगा के पेट में ही चला गया। इसलिए आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है। मैं आप को सुझाव देता हूं कि सभी शहरों के गंदे पानी को निकालने के लिए आप वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाइए और उस पानी को नहर के द्वारा खेत में सिंचाइ के लिए दीजिए। दूसरी बात यह है कि सभी कारखानों से गंदा पानी निकलता है और नदियों में जाता है।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): यह पैसा दलालों के पेट में गया है। ...(व्यवधान)

17.02 hrs.

(Shri Franciso Cosme Sardina in the Chair)

श्री हक्मदेव नारायण यादव: वह तो कहते हैं कि पैसा गंगा के पेट में चला गया। जितने कारखाने हैं उन सभी का पानी नदियों में गिराते हैं। नदियों के किनारे-किनारे जब भारत में औद्योगिकरण हुआ तो सभी उद्योगों के पानी को नदियों में बिना यह सोचे गिराया गया कि इस नदी का हिन्दुस्तान के लोगों के साथ, अरोग्यता के साथ क्या संबंध है? इसलिए हमारी नीति वहीं गड़बड़ हो गई। मैं उस को शुद्ध करना चाहूंगा कि जितने उद्योग हैं जो गंगा और दूसरे निदयों में गंदा पानी गिराते हैं उन में से कितने पर आप ने कार्रवाई की है। आप ने कितने को पकड़ा है और कितने पर मुकदमा किया है? आप ने कितने कारखानों को बंद किया है और कितने कारखाना मालिक को जेल में बंद किया है? आप जवाब देते समय जरा बताइए तो हम समझ पाएंगे कि सरकार की इच्छा बलवान है। इसलिए आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हिमालय को शुद्ध बना कर रखिए। हिमालय के आसपास के पेड़ कटते जा रहे हैं। माफिया लोग जाते हैं। पेड़ को काटते हैं और उन्हें उठा कर ले जाते हैं। वे पेड़ कहां जाते हैं? इस संसद में जैसे लगे हैं, बड़े-बड़े शहरों में जाइए, हर मकान में कंक्रीट की दीवार है और हर दीवार पर लकड़ी की एक दीवार लगाई गई है ताकि उसमें रहने वाले लोगों को गर्मी न लगे। हिन्दुस्तान के अंदर जो बड़े-बड़ें समृद्ध एवं संपन्न लोग हैं वे हिन्दुस्तान के पहाड़ों को नंगा बनवाते हैं और उन लकड़ियों से अपने घर को सजाते हैं। मकान में नीचे फर्श होता है और उस फर्श पर लकड़ी लगाते हैं इसलिए कि जब फर्श पर चलेंगे तो आवाज नहीं होगी लेकिन लकड़ी पर चलेंगे तो मचामच बोलता है जिससे उनके स्वाभिमान को बल मिलता है कि वे कितने संपन्न हैं? इसलिए लकड़ी काटते हैं और हिमालय की मिट्टी कट कर निदयों में जाती है। भूमि का क्षरण होता है। निद का पेट भरते हैं उसमें गाद आती है। गंगा की धारा भरती जाती है। आप पटना या वाराणसी में जाकर गंगा का हाल देखिए। गंगा शहर से दूर चली गई है। पहले गंगा पटना के नजदिक थी। पटना में हजारों-लाखों लोग गंगा के तट पर छठ व्रत मनाते हैं। उसमें सूरज को अर्घ देते हैं। आज गंगा शहर से दो किलोमीटर दूर चली गई है। अब गंगा की धारा नहीं है बल्कि क्षरण के कारण है। गंगा एक छोटी नदी बनती जा रही है। गंगा की धारा सूखती चली जा रही है। जिस दिन गंगा सूखेगी उस दिन भारत की संस्कृति सूखेगी। भारत का इतिहास सूखेगा। भारत के धर्म ग्रन्थों के स्त्रोत सूखेंगे। भारत के जन-जन का प्राण सूखेगा। भारत के पशुओं के प्राण सूखेंगे। इसलिए गंगा की धारा को बचा कर रखिए जो भारत के मानव, पशुओं और नदी के किनारे बसने वाले लोगों का जान और प्राण है।

उसी तरह हमारी गंगा में भागलपुर के नजदीक पिरपैती से लेकर कहलगांव व भागलपुर में डॉलिफिन है। उसे डॉलिफिन क्षेत्र कहा गया है। गंगा में जो दर्शनीय चीज है, उसकी सुरक्षा के लिए कार्य कीजिए। झारखंड में भी साहबगंज के नजदीक गंगा में कटाव है। जहां भी जाइए, गंगा की धारा में जो कटाव होते हैं, उनसे लोग पीड़ित होते हैं। उन्हें बचाइए।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे 4, विशम्बरदास मार्ग में कोठी की मरम्मत हो रही थी।...(व्यवधान)
श्री मुलायम सिंह यादव : जब बांध बनते जा रहे हैं, आप गंगा की धारा बोल रहे हैं, गंगा की धारा कहां से
आ रही है।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): मैं अपनी बात बोलूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him.

... (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैं वो सूगा हूं जो अपने आप बोलता हूं। मैं नहीं कहता कि बोल तोता राम, सीताराम।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

... (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: मैं प्रार्थना करता हूं कि जब ठेकेदार कचरा लेकर रात में जा रहा था, तो मैंने पूछा, शर्मा जी, आप यह कचरा कहां फेंकते हैं। उन्होंने कहा कि यमुना जी में फेंकता हूं। हमने कहा, कैसे? रात में नहीं फेंकेंगे तो दिन में कैसे फेंकेंगे। यमुना जी में तो रोक है। उसने कहा कि 20-25 रुपये पर ट्रक पुलिस वाले को देते हैं और सब कचरा यमुना जी में फेंकते हैं। यमुना की सफाई के नाम पर हजारों, करोड़ों रुपये की योजना बनाएं और रातभर सम्पूर्ण दिल्ली का कचरा, तीन सौ, चार सौ ट्रक कचरा यमुना जी में फेंकते जाओ। रात में कचरा फेंको और दिन में कचरा निकालो। यही दुनिया का खेल है। चढ़ते रहों, उतरते रहों, उतरते रहों, चढ़ते रहों, तोड़ते रहों, फोड़ते रहों, नया बनाओं, पुराना खोदो। इसी खेल में भारत की सारी पूंजी चली जाती है। इसलिए में कहना चाहूंगा कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन सब नदियों की स्वच्छता के लिए, उनके स्रोत निरंतर चलते रहें, उसके लिए कार्य कीजिए। नदियों में बाढ़ रोकने के नाम पर जितने तटबंध बनाए गए हैं, उन तटबंधों के कारण सम्पूर्ण पहाड़ की जो मिट्टी आती है, वह गाद बनकर नदी के पेट ऊंचे हो गए हैं। नदी ऊंची है और जमीन नीची है। जितने भी तटबंध हैं, उनके कारण

नदियों का पानी रुका है जिसके कारण विनाशकारी बाढ़ आने लगी है। इसलिए तटबंधों से नदियों को बचाइए।...(व्यवधान)

मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद दूंगा और रेवती रमण जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गंगा पर बहस चलाई है। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि कोई भी हो, चाहे कहीं भी हो, एक राष्ट्रीय नीति बने, राष्ट्रीय आधार बने, राष्ट्रीय नदी का इतिहास लिखा जाए। हमारे पास आज किसी नदी का इतिहास नहीं है। नदियों के किनारे कितनी संस्कृतियां बनी हैं, कैसे विकसित हुई हैं, अगर भारत में नदियों और हिमालय का इतिहास लिख दें तो हम इस राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि गंगा मैया, गीता माता और गाय माता, ये तीन माता हैं। कृष्ण गीता वाले तब हुए जब उनके साथ गाय थी। कृष्ण के हाथ में गीता है। अगर कृष्ण के मुंह में गीता का ज्ञान हैं तो कृष्ण के दोनों हाथ गाय के थन पर हैं। जो गाय का दूध निकालता है, पीता है, बलवान बनता है। कुरुक्षेत्र में जाता है, धर्म की रक्षा करता है। केवल गीता ही नहीं, गीता के साथ गाय बचे, गंगा बचे, धरती माता भी बचे, तब भारत का कल्याण होगा।

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापित महोदय, आपने मुझे गंगा के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतिहास इसका गवाह है कि जो गंगा है, भगीरथ के लाखों प्रयास के बाद गंगा का अवतरण हुआ।

यहां पर लोगों ने तमाम तरह के गीत गाये कि 'हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।' हम लोग बिल्कुल गंगा नदी के करीब रहने वाले हैं। मेरे लगभग 15-20 साल वाराणसी में गुजरे हैं। हम गंगा में बराबर स्नान करते रहे हैं। लेकिन आज जब हम गंगा की हालत को देखते हैं, तो उसमें जो धाराएं बहुत अविरल गति से बहती थीं, अब वे धाराएं नहीं रह गयी हैं। आज सरकार, विश्व बैंक और तमाम सरकारी अनुदान सके शुद्धिकरण की बात हो रही है कि गंगा के जल को कैसे शुद्ध किया जाये? जब गंगा में पानी ही नहीं रहेगा, तो किस चीज को शुद्ध किया जायेगा और कितना उस पर पैसा लगाया जायेगा?

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस पर गंभीरता से पहल करनी चाहिए कि गंगा का पानी इधर क्यों नहीं आ रहा, उसकी अविरल धारा क्यों नहीं बह रही? अभी श्री रेवती रमन सिंह जी ने कहा कि उत्तराखंड में तमाम बांध बनाकर पानी को रोका जा रहा है। इसलिए जब-जब यहां के लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तब-तब उसका खामियाजा पूरे देश को, सब लोगों को भुगतना पड़ा है। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धारा बदली जा रही है। हिमालय जितनी लंबी चोटी किसी की नहीं है। आज उसे भी धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इससे देश की क्षति हो रही है, लोगों की क्षति हो रही है। आज स्थित ऐसी आ गयी है कि जब गंगा का उधर से जल नहीं आ रहा है, तो इधर गंगा का जो जल स्तर है, वह बहुत नीचे चला गया है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आज लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं, जिससे तमाम तरह की भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं।

सभापित महोदय, हमारी सरकार में श्री जयराम रमेश कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जिस तरह से बांध बनाकर गंगा के पानी को रोका जा रहा है, उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू, एक जेहाद छेड़ा। गंगा प्रदूषण बोर्ड, जो प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में बना था, हमे लगता है कि उसके कारण उन्हें इस पद से हटाया गया, उनका मंत्रालय छीना गया, तािक वे इस तरह की आवाज न उठायें। आज जो व्यक्ति सही बात उठायेगा, उसे हटा दिया जायेगा .या उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उनका विभाग बदल दिया गया। उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा कि देश में

जिस रफ्तार से जंगल काटे जा रहे हैं, उसे देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर चिपको आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। इसके अलावा जो गैरकानूनी खनन हो रहा है, उस गैरकानूनी खनन से हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखण्ड की सरकार है, जिसकी तमाम ऐसी लंबित परियोजनाएं हैं, जो बांध बनाने की हैं और आज जो बांध बने हुए हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो निर्माण कार्य हो रहा है, उसे रोकना चाहिए ताकि जो पानी हिमालय से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर मैदानी इलाकों में आता है, वह बाधित न हो। उत्तर प्रदेश के लगभग दो दर्जन ऐसे शहर हैं, जो गंगा तट पर बसे 📇 हैं और उसका लाभ उनको मिलता है, इसलिए आप सरकार से कहें कि सरकार इस तरह का कदम उठाए ताकि ये जो तमाम बांध बन रहे हैं, न बनें जिससे यहां के लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके। पूरे बनारस में गंगा का ही पानी पीते हैं, इसी तरह से इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में जब कुम्भ लगता है, तो कभी पानी लाल हो जाता है, कभी पीला और कभी काला हो जाता है, वहां पर लोग आंदोलन करते हैं, वे लोग वहीं का पानी पीते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि हैण्डपम्प का पानी पिएं। जब जल का प्रवाह तेज रहेगा, तो प्रदूषण भी कम हो जाएगा, लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलेगा क्योंकि पहाड़ों से आने वाला पानी तमाम जड़ी-बूटियों से निकलकर आता है, उसमें तमाम औषधियां रहती हैं, जैसा कि रेवती रमण जी ने कहा, अगर गंगा के जल को अगर साल भर भी किसी बर्तन में बंद करके रखा जाए, तो भी उसमें कोई कीटाणु नहीं पैदा होता है। इसका कारण यही है कि हिमालय से जो पानी तमाम पर्वत, पहाड़ों से निकलकर आता है, उसके साथ जड़ी-बृटियां आती हैं, उससे हर मानव को फायदा मिलता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उत्तराखण्ड की सरकार को इस तरह की सलाह दें कि जो ऐसे तटबंध बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, उनको तत्काल रोकें।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, रेवती रमण जी और सभी साथियों द्वारा कही गयी बातों को विस्तार नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो हालात हैं, वे इतने विकट हैं कि विकास का रास्ता जब से हमने पकड़ा है, विकास से कहां दुनिया में क्या हुआ, वह मैं नहीं जानता, लेकिन हिन्दुस्तान में इस विकास से और इस विकास की नकल से भयावह स्थिति हो गयी है। हिमालय कच्चा पहाड़ है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सबसे कच्चा पहाड़ है। सीस्मिक एरिया है यानि भूकम्प का सबसे ज्यादा खतरा हिमालय में है। हिमालय बन रहा है, अभी भी निर्माण के रास्ते पर है। एक इंच, दो इंच, तीन इंच हिमालय बढ़ रहा है, दोनों जो आपके भूखण्ड हैं, भारतीय भूखण्ड से और चीनी भूखण्ड से टकरा रहा है। लाखों वर्ष पहले साउथ अफ्रीका से कटकर यह यहां आया और फ्लोट करते-करते यह हिमालय बना है। अकेले हिमालय नहीं बना, यह जो उत्तर भारत का सबसे ज्यादा जरखेज़ इलाका है, वह हिमालय की गाद से बना है। उसकी खाद से बना है। हिमालय जो है और गंगा जो है, अकेले नदी नहीं है। हिमालय से, चंबल को और नर्मदा को छोड़कर, सारे भारत की नदियां गंगा में जाती हैं। सोनगंगा आती है, अमरकंटक भी है। ये सब गंगा से ही आई हुई नदियां हैं और अरब की खाड़ी में चली जाती हैं। हालत यह है कि जिन लोगों ने यहां गंगा का और हिमालय का वर्णन किया, उसे छूने की बात तो दूर, आपने जो टिहरी बांध बनाया है, नरोरा को भी छोड़ दें, लेकिन जो यह टिहरी बांध बनाया है, उसकी क्या परिकल्पना आपने की थी, क्योंकि न तो आपके पास पर्याप्त साधन थे, न सम्पत्ति थी और न ही इतनी कृवत थी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go en record.

(Interruptions) ... *

श्री शरद यादव: जगदम्बिका पाल जी ठीक कह रहे हैं कि नदियां मर रही हैं और आप गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। आने वाली पीढी उस पर चल नहीं पाएगी।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please do not get distracted. Please address the Chair.

श्री शरद यादव: हिमालय से कितनी ही निदयां आती हैं। मैं उस इलाके का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस जगह से गंगा जाती है, मैं उस प्रदेश से यहां आता हूं। मंदािकनी के बारे में यहां कई सािथयों ने बताया कि उसकी धारा ही मरने वाली है। हिमालय में जो कच्चे पहाड़ हैं, आप वहां टनल बनाएंगे तो जो लोग उस इलाके में बसे हुए हैं, आप जाकर देखें कि किस तरह से उनके घर दरक गए हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं। पृथ्वी के नीचे दो चट्टानों के टकराने से भूकम्प आता है, लेकिन वहां तो स्थिति और भी खराब हो

-

^{*} Not recorded.

रही है। लोग तो मरेंगे ही, लाशों में तब्दील तो होंगे ही, लगता है कि देश ही लाश बनकर रह जाएगा। गंगा अगर नहीं बचेगी तो फिर देश कैसे बचेगा...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please do not disturb him.

(Interruptions) ...*

श्री शरद यादव: सभापित जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रकार बीच में व्यवधान पैदा करने से मेरा समय नष्ट हो रहा है इसिलए आप कृपया इतनी जल्दी समय समाप्ति सूचक घंटी न बजाएं। मंदािकनी, अलकनंदा, यमुना, गोरी गंगा, काली गंगा, शारदा, धौली गंगा, पिंडहर, राम गंगा, चिनार से लेकर रावी तक देश की दो तिहाई निदयां अकेले हिमालय से गर्भ से निकलती हैं, उसकी बर्फ से पैदा होती हैं। आप उस पहाड़ पर टनल बना रहे हैं, वहां बांध बना रहे हैं कि पानी दिया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पानी देना आपके बस का नहीं है, यह सम्भव नहीं है। आप कहते हैं कि बिजली मिलेगी इसिलए डैम बना रहे हैं। मैं पर्यावरण मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूरे देश की बिजली में से सिर्फ एक फीसदी बिजली का उत्पादन वहां से हो रहा है।

जो गंगोत्री है, वहीं पर इतना प्रदूषण हो गया है और तबाही मचाई गई हैं कि जैसा हमारे मित्र ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर मुर्दे को जलाने के लिए वहां से शुद्ध पानी लेकर आए, तो वह भी नहीं मिल पाता है। वहां आसपास की बस्तियां उजड़ गई हैं।

उत्तराखंड राज्य में हमारे मित्रों की सरकार है। उत्तराखंड से आने वाले माननीय सदस्य सतपाल महाराज जी अभी सदन में नहीं हैं, वह अपने भाषण में आधुनिकता और विज्ञान के विकास की बात कर रहे थे, जो यूरोपीयन देशों और अमेरीका ने कल्पना की थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने तो 300 साल तक लोगों को लटा है। उनकी कल्पना सही है इसलिए वह उस कल्पना को यहां रख रहे थे।

उत्तराखंड बन गया तो केवल क्या बिजली से चलेगा, यह बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। ...(व्यवधान) मैं तो माननीय सतपाल महाराज जी का इंतजार कर रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो हिमालय के साथ सब तरफ छेड़खानी चली हुई है, कश्मीर से लेकर ठीक असम तक और उसमें भी हम सबसे ज्यादा गंगा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। गंगा की हमने भ्रूण-हत्या कर दी है तो गंगा बचेगी कैसे? लोग कह रहे हैं कि गंगा नाला बन गयी है, उसे हमने नाला बना दिया है, हमने-अपने गंगा का अपने हाथ से गला दबा दिया है, गर्भ में हमने उसकी जान ले ली है तो गंगा कैसे बचेगी? मैं कहता हूं कि दुनिया की बड़ी सभ्यताओं में एक सभ्यता गंगा-किनारे की है, गंगा के चलते है। दुनिया की जितनी

-

^{*} Not recorded.

सभ्यताएं हैं वे सभी निदयों के किनारे बसी हैं। आज भी देश के सारे शहर चाहे गंगा के किनारे हों, चाहे कावेरी के किनारे हों या नर्मदा के किनारे हों। वह केवल नदी नहीं होती है वह वाटर लेवल भी ऊंचा-नीचा करती है और केवल नहाने के लिए, पीने के लिए ही पानी नहीं देती है वरन् वह पूरे इलाके के वाटर-लेवल को भी ठीक करती है। धरती के नीचे जो जल की एक परत समुद्र की होती है और मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि गंगा का मैदान जो है वहां अर्थ-सी है यानी धरती का समुद्र कहीं दुनिया में है तो गंगा के बेसिन में है। मैं जब जेल में था तो मैंने एक किताब पढ़ी थी कि गंगा का मैदान दुनिया में ऐसा मैदान है जिसमें अर्थ-सी है, उस पर आप बांध बना रहे हो। कूवत और सलीका आपको है नहीं और भ्रष्टाचार का ऐसा हाल है कि ठेकेदारों को आपने काम दे दिया। मंदािकनी और गंगोत्री को खत्म करने के लिए ठेका टुकड़ों-टुकड़ों में दे दिया। ठेकेदार पूरे विभागों को बेवकूफ बनाकर के, घूस देकर के काम कर रहे हैं, उन्हें एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? वे तो कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी को सुकून में डालो, देश और आने वाली सभ्यता का नाश होता हो, उनकी बला से हो।

मान्यवर, अगर सभ्यता का विनाश अगर कहीं से होगा तो हिमालय से होगा क्योंकि यह ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र बढ़ेगा, उछलेगा और मुम्बई से लेकर गोवा तक कुछ बचने वाला नहीं है, हिमालय की छेड़खानी हिंदुस्तान को तबाही के कगार पर ले जाएगी। जो सवाल लोगों ने उठाया है, उसे मामूली मत मानिये, माननीय रमेश जयराम जी की बात बाहर चल रही थी। वे जेएनयू में बोल रहे थे। उन्होंने थोड़ा बहुत जो किया पास्को के लिए किया, वेदांता के लिए और एक मुम्बई में है सलवासा, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं केवल घुड़की मारते रहे। लेकिन माननीया नटराजन जी घुड़की भी नहीं मारेंगी, ये बड़ी डिसीप्लेन्ड हैं। लेकिन एनवायरनमेंट का मामला किसी सूबे या उत्तराखंड का मामला नहीं है, हिमालय किसी सूबे की सम्पत्ति नहीं है। हिमालय नहीं बचेगा तो यह पूरा का पूरा भूखंड, भारत और बर्मा से लेकर लंका तक का पूरा इलाका तबाही से बचेगा नहीं।

समुद्र के किनारे बसे हुए सभी इलाके तबाह होंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पहाड़, नदी, नाले, जमीन, हवा के बगैर दुनिया नहीं चलती है। इनकी तबाही के बाद सभ्यता नहीं बचेगी। मुझे नहीं लगता है कि यह सभ्यता पचास-साठ वर्ष से ज्यादा रहेगी। हम विनाश के कगार पर खड़े हैं और हमने विनाश को इतने करीब कर लिया है कि हम हिमालय में सुरंग खोद रहे हैं। हम हिमालय के पेट को चीर रहे हैं। सुरंग पर सुरंग निकाल रहे वहां जो आविष्कार हुए हैं, आप उन आविष्कारों को यहां लागू नहीं कर पाओगे। भारत सरकार तथा पर्यावरण मंत्रालय को तत्काल, अविलम्ब अभी वहां जाना चाहिए और ऐसे कामों को रोकना चाहिए। जयराम रमेश जी ने कुछ कामों को रोका था। मेरे इलाके बांधवगढ़ में, जहां शेर रहते हैं, मध्य प्रदेश में वहां एक नदी पर बिजली बनाने की परियोजना है। बांधवगढ़ के जंगल को काट कर

बनाने की योजना है। उन्होंने वहां अपने अफसरों का अमला पहुंचाया है। वहां आपको स्वयं देखना चाहिए कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं, जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वे कितनी दिक्कत से रह रहे हैं। मंदाकनी नदी, रामगंगा नदी के किनारे बसे लोगों की जिंदगी को देखिए। उनके पास दो खेत हैं, एक कमरा है, वे किस तरह से बेचेन हैं और किस तरह से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपने गंगा प्राधिकरण बनाया है। मैं सरकार से पूछता हूं कि इसका आफिस कहां है? इस आफिस में कौन-सी दर्खास्त और कौन-सी शिकायत को कौन सुनता है? प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय नदी कहा है। आपने इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, तो क्या इस नदी को बचाने का काम शुरू होगा या नहीं होगा। नदी को नीचे से बचाने का काम तो बाद में होगा, लेकिन पहले जहां से नदी का उद्गम होता है, जहां नदी के प्राण हैं, जहां से जीवन आ रहा है, वहां से पहले ठीक किया जाना चाहिए। यदि स्रोत ही बंद हो गया, तो नीचे से नदी कहां से ठीक कर पाओगे। हिमालय की नदियों के स्रोत खत्म हो गए, तो आप हिंदुस्तान की जो दो-तिहाई आबादी है, इलाका है, आप उसे बचा नहीं पाओगे। जब ये नहीं बचेगा, तो हिंदुस्तान की सभ्यता की बात छोड़िए, इसके कौन-से ग्रंथ, कहां हैं, कहां लिखे हैं, उनका क्या किस्सा है, कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। अभी तो हम हिंदुस्तान को किस तरह से बचाएं, यह सोचने की जरुरत है क्योंकि हिमालय के साथ इसका मामला जुड़ा हुआ है। हिमालय बचेगा, तो हिंदुस्तान बचेगा और हिमालय अगर खत्म होगा, तो हिंदुस्तान बच नहीं सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, thank you for giving me a chance to speak on this important subject. The Himalaya and the Ganga are of immense importance to the nation. But, of late, the hazardous environment of the Himalayas and the Ganga are posing a serious problem to the country. Because of global warming and climate change, the fast receding Himalayan glaciers have a common cause of concern to everybody.

You know that the Department of Science and Technology revealed that the Himalayan glacier is receding by 17 meters per year. The United Nations Environment Programme Report of 2008 says that the way the Himalayan glaciers were melting, it would disappear in the next few decades endangering a large part of life. That is why, we have to show more concern about it.

What is of more concern is that ecologically fragile environment of the Himalayas is under grave threat from big dams, deforestation and mining activities. Besides large scale construction of dams, roads, tunnels, buildings and other public utilities, combined with indiscriminate mining and quarrying, has also contribute to the fragility of the Himalayan ecology, creating an environmental imbalance in the total region. Being stripped of the protective vegetative cover, that is, because of deforestation, the Himalayan soils are fast losing their capacity of absorbing rain water. So, landslides, earthquakes and other mass movements are severe environmental hazards in the total Himalayas.

Now, coming to the Ganga, we know that the Ganga is now under great threat of pollution. Nearly one billion litres per day of domestic waste goes directly into the River along with thousands of animal carcasses. Another 260 million litres of industrial waste is added to this by the hundreds of factories along the river banks. As a result of that, we are now facing the great menace of pollution which brings with it the water-borne diseases, including cholera, hepatitis, typhoid and dysentery. The sacred practice of depositing human remains in the Ganga also poses health threats. An inadequate cremation procedure contributes to a large number of partially burnt or unburnt corpses floating down

to the Ganga. The major polluting industries are the leather industries, especially those in Kanpur, and also the pharmaceutical, electronics, textile and paper industries and tanneries.

In 1996, the Supreme Court had banned the discharge of effluents from various tanneries and factories located on its banks in Kanpur and in the Ganga basin, but that has not been followed properly and no action has been taken. Another matter of great concern is construction of buildings in an unplanned way in the Ganga basin, and thereby illegally grabbing the embankments of the Ganga. It is also posing a threat to the very existence of the Ganga.

Illegal mining in and around the Ganga basin, particularly in Haridwar, is also posing danger to the river bank and the riverbed. On July 19, 2011, a Central Pollution Control Board report on the quality of water in Bhagirathi River warns of an increase in pathogenic contamination.

The Ganga Action Plan was initiated in 1985 which was devised to clean up the river in selected areas by installing sewage treatment plants and threatening fines and litigation against the industries that pollute it. Almost Rs. 1,000 crore have been pumped in Ganga Action Plan Phase I and Phase II between 1985 and 2000, but the River is still sullied. Also, there is large scale corruption. No action has been taken properly. That is why, the Government has constituted National Ganga River Basin Authority, based on the report of the IIT.

The matter which is of grave concern is that CAG has sent a report to the Government on April 1, 2010 telling that there would be no water in the long stretches of the famous Alaknanda and Bhagirathi riverbeds if the Uttarakhand Government goes ahead with its plan to build 53 power projects on these two rivers, which join the Ganga. A CAG Inspection Report also tells that as a result of that, the villages settled along the river basin will be uprooted once the river goes dry, leading to mass migration and cultural erosion. According to a report published in *India Today*, a plan to produce electricity in the Himalayas to ease

power situation in the plains would make Ganga disappear in the valley of its origin.

Now, the barrage which has been made in Farakka, is not being maintained properly. One lock-gate has been broken and a lot of water is going out. The Government is taking no notice of that. If no proper action is taken, that will pose a great danger. As a result of that, I appeal to the Government to look into all these aspects because Himalayas and Ganga are having a greater role in the development of economy - in the health sector, in the agriculture sector, in the socio-economic sector. If we do not give proper attention to it and do not take proper action, it will not bring out any result. Hence, I appeal to the Government to look into the whole matter and take appropriate action.

With these words, I conclude.

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापित महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव जी प्रेरणा से श्री रेवती रमण सिंह ने बहुत बड़े पिवत्र विषय पर सरकार और सबका ध्यान आकर्षित किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि गंगा देश की सबसे लम्बी नदी है और गंगा का जल अमृत समान माना जाता था, अब नहीं माना जा रहा है। लेकिन मनुष्य जाित ने और हम सभी लोगों ने गंगा और यमुना के जल को बिल्कुल दूषित बना दिया है, हम इनमें नर्क फेंक रहे हैं। हमें न जाने कितने हजार करोड़ रुपये यमुना मैया की सफाई और गंगा एक्शन प्लान के लिए मिले। लेकिन इन निदयों में होम पाइप डाल दिये गये। पानी के रख-रखाव और निकासी के लिए अंदर की तरफ ट्रीटमैन्ट प्लान्ट लगा दिये गये। यिद इसकी जांच हो तो बड़े-बड़े लोग जेलों में चले जायेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यिद लोकपाल बन जाता है तो अण्णा हजारे जी इसकी जांच करायेंगे। आज ये हालात हैं। आज चमड़े की फैक्टरी का पानी, कैमिकल्स, नािलयों का पानी, घरों का पानी और सारा नर्क समान पानी गंगा और यमुना में जा रहा है।

अभी बांध के बारे में चर्चा हुई, उत्तराखंड सरकार ने बिजली पैदा करने के नाम पर बांध बनाया, पानी को ऊपर रोका। सभी माननीय सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है। यदि हम गंगा को पवित्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन बांधों को ध्वस्त करना चाहिए। गंगा की पवित्रता को नकारा नहीं जा सकता है। मेरे बिहार में मनेरी एक स्थान है, जहां रामायण तिवारी थे, श्री शत्रुघ्न सिंहा जानते होंगे। वह फिल्मों में काम करते थे, भोजपुरी जगत में उनका स्थान था। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 'गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इवो, सैयां से कर दे मिलनवा हो राम।' यह फिल्म रामायण तिवारी ने गंगा मैया की पवित्रता के नाम पर बनाई थी। हमारी महिलाएं, मां-बहनें आस्था में गीता गाती हैं 'गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सैयां तेरी जिंदगानी रहे।' लेकिन आज पानी सूख रहा है और पति धीरे-धीरे दम तोड़ रहे हैं। यह हालत हम लोगों ने बना दी है। ये सारी बातें बेकार साबित हो रही है।

अभी शरद जी ने कहा कि हिमालय को बचाना जरूरी है। हां, बिल्कुल बचाना है। लेकिन चीन ने आगे बढ़-चढ़कर सिक्स लेन रोड अरुणाचल प्रदेश तक बना ली है। उसने हिमालय में यह रोड बनाई है, जहां मानसरोवर में हमारे देवताओं के महादेवता श्री शंकर भोले विराजमान हैं। उन्होंने हिमालय को तोड़कर पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है। चीन ने पहले से ही हमारी जमीन को दबाकर रखा है।

में हाल ही में मथुरा गया था, जहां दक्षिण भारत के लोग और हम लोग नदी पार करके गये, वहां एक जगह पूजा-पाठ हो रहा था। वहां का पानी बिल्कुल जहरीला है, उसी में लोग खड़े होते हैं और पूजा कर रहे हैं। आज हमने गंगा और यमुना की क्या हालत बनाकर रख दी है। बांध तो बांध हैं, लेकिन गंगा में जो नदिया मिलती हैं, जिनमें सरयू, घाघरा, बागमती, अदवारा, बूढ़ी गंडक, सोन नदी प्रमुख हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर जाती है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, यह अमरकंटक से निकलकर जाती है। ये सारी नदियां गंगा में विलय होती हैं, मिलती हैं। लेकिन आज गंगा नदी बिल्कुल सूख रही है। श्री रेवती जी ने ठीक कहा कि जो इसका पाट था, गंगा की चौड़ाई थी, वह सूख रही है। लेकिन यह क्यों सूख रही है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। हम लोगों ने कितना बड़ा घात किया है, कितना बड़ा अन्याय किया है। ग्लेशियर तो ग्लेशियर हैं, इनमें मेक-अप करने के लिए खास सीजन में पानी आता है। जब रेनी सीजन होता है, बरसात का समय होता है, तब बारिश का पानी हिमालय की जड़ी-बूटियों से बीच से बहता हुआ गंगा के रूप में आता है। गोमती, घाघरा आदि नदियां गंगा में विलय करती हैं, उसके बाद गंगा कोलकाता होकर गंगासागर में चली जाती थी।

क्या जुलम हुआ है, कितना अन्याय किया गया है। अगर दूसरा देश होता तो लोगों को सख्त सजा दी जाती। हमारा सारा पानी बंग्लादेश को दे दिया गया तो गंगा क्यों नहीं सूखेगी? गंगा में लाखों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी, साइबेरियन बर्डस आते थे, डॉल्फिन आते थे। हुक्मदेव जी बता रहे थे कि भागलपुर, पटना में डाल्फिन आते थे। उस समय जब हम लोग गांवों से आते थे तो हम लोग डॉल्फिन देखते थे। हम लोग कहते थे कि यह सोंस है। यह डॉल्फिन आज नष्ट हो रही है। अगर 2111त सरकार में दम है तो आप उस चिट्ठी को ओपन कीजिए और वह संधि तोड़िए जिसके द्वारा आपने बेंग्लादेश को पानी दान कर दिया है। फ़रक्का के किनारे से लेकर यूपी तक लाखों-करोड़ों मच्छ्आरे हैं वे आज भुखमरी और बेकारी के कगार पर खड़े हैं। न जाने कितने लोगों ने नावों को लेकर इसके लिए संघर्ष किया है। इसको कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। गंगा माँ का पेट जो विभिन्न तरह की मच्छलीयों से भरा रहता था, आज उसमें मच्छलियां नहीं हैं। जब ब्रीडिंग सीज़न होता था, मच्छली का चरित्र अण्डा देने का होता है, वह उल्टी धार पर चढ़ती है, ब्रीडिंग करती है। समुद्र से विभिन्न तरह की मच्छलियां आती थीं और ब्रीडिंग करती थी। हमारी नदियां और खेत-खलिहान मच्छलियों से भरे रहते थे। आज सारे मच्छ्आरे बेकार पड़े हुए हैं। इतनी खतरनाक ट्रीटी कर दी और गंगा का पानी दान कर दिया। लोगों ने इस देश के भूगोल और नदियों को खण्ड-खण्ड कर दिया। एक तरफ तो बांध में बांध कर अटकाए हुए हैं और दूसरी तरफ दान कर दिया है तो बरसात में सारा पानी निकल जाता है। माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बहाव नहीं है, करंट नहीं है, यमुना में नहीं है। कहां से आएगा? वह तो वॉटर लॉगिंग हो गया है। इधर से नाले का पानी जा रहा है, उसने गेट

बंद कर लिया है। जब आपका अमृत जल आएगा तब वह गेट खोलेगा। जब बरसात शुरू होगी तब गेट खुलेगा। सारा पानी हम दान करते जा रहे हैं और पानी वहां चला जा रहा है। एक तरफ मच्छुआरे बेकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे खेत-खिलहान बेकार हो रहे हैं। किशनगंज से होकर जो ब्रह्मपुत्र आती थी वहां चीन दावा कर रहा है कि इस नदी को हम रेग्युलेट करेंगे और हम इस इसका इस्तेमाल करेंगे। भारत सरकार चलाने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि बिना किसी से पूछे हमने यह ट्रीटी कर दी और पानी को दान कर दिया। यह सब बिना किसी चर्चा के, बिना सर्वदलीय बैठक किए कर दिया गया। मौजूदा सरकार ने नहीं, इसके पहले जो सरकार थी उसने किया। हमारे अफसर क्या कर रहे थे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे? इन्होंने भविष्य के खतरों को नहीं समझा और नदी सूख गई। शत्रुघ्न जी, गंगा आरती के लिए हम घाट पर जाते थे, वहां एक मंच बनाया हुआ है, वहां पर पानी ही नहीं है। आप पैदल गंगा को पार कर जाइए लेकिन वहां पानी ही नहीं है। गंगा की यह हालत बना कर रख दी है। बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियां जो नेपाल से आ कर गंगा में मिलन करती थीं उन सब का नाश कर के छोड़ दिया है। आपकी सरकार को इसे देखना चाहिए।

देश हित में हमारी इस नदी के पानी को बचाइये और इस ट्रीटी को तुड़वाइये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह ट्रीटी देश के खिलाफ है। गेट खुलवा दिया, फिर गेट बंद कर लिया, पानी कहां है, पानी जा रहा था, पानी अपने जिम्मे ले लिया, एक मछली नहीं, एक सिंगरी नहीं, एक बोवारी नहीं, एक रोहू नहीं, मछुआरे बेचारे विमान ले लिया, एक मछली नहीं, एक सिंगरी नहीं, एक बोवारी नहीं, एक रोहू नहीं, मछुआरे बेचारे विमान के कहां से आयेगी? इसका असली कारण यह है। मैडम आप इसे स्टडी कीजिये, इस ट्रीटी को निकालिये, अगर आपका जूरिस्डिक्शन है, अगर आपके विभाग में यह बात है तो आप इसे निकालकर पढ़िये। बांग्लादेश को पानी दे दिया, फरक्का के माध्यम से गेट खुल गया। उस समय गेट खोल दिया गया, आप जाकर देखिये, पानी चला गया, हुक्मदेव जी पानी भीतर और ताला बंद, कहां से पानी आयेगा, कहां से करंट आयेगा? नरक का पानी वहीं ज्यों का त्यों जमा हुआ है। यमुना को मां यमुना कहते हैं। जब कृष्ण भगवान को छिपाया जा रहा था, वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर जा रहे थे, वे यमुना नदी को क्रॉस कर रहे थे, यमुना की महिमा, गंगा का उफान, न जाने बरसों-बरसों से हमारी यमुना मैया लालायित थी कि कब कृष्ण जी पधारेंगे। देवकी के आठवें पुत्र कृष्ण ने जन्म ले लिया है और वे आ रहे हैं, ऐसा देखकर उन्होंने उफान को कम कर दिया और उनके चरणों को पघारा। ऐसी हमारी यमुना मां, गंगा मां है। आज बिहार में ऐसी बहुत सी जगह हैं, जहां पर छठ व्रत नहीं हो रहा है। लाखों नर-नारी छठ व्रत करते हैं, वे कहां खड़े होंगे, अपने घरों में तालाब आदि बनाकर लोग पूजा करते हैं। आज ऐसी हालत है। बिजली

के नाम पर, यह बिजली कहां जा रही है, बिजली कहां है, किस गांव में बिजली जा रही है, आप किस झोंपड़ी में बिजली भेज रहे हैं? शहर में बिजली भेजते हैं, क्या करते हैं, कौन बिजली बेच रहा है, क्या कर रहा है, लोग दुल्हन की तरह घरों को सजा रहे हैं। हमारे दरभंगा का वह लड़का निगमानंद शहीद हो गया। हम सबको बाद में मालूम हुआ कि गंगा की रक्षा के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए वह शहीद हो गया। इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहां हैं, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही घोषणा की है कि गंगा राष्ट्रीय नदी होगी। इसका रख-रखाव होगा, इसे पॉल्यूशन मुक्त किया जायेगा, यमुना को पॉल्यूशन मुक्त किया जायेगा। जैसे पानी चलता था, गेट को उतरवाइये, नहीं तो एक समय आयेगा कि लाखों-लाख जनता मार्च करेगी और फरक्का को तोड़ डालेगी और देश को, अपने पानी को, अपनी धारा को, अपने जीवन को बचाने का काम करेगी। रेवती जी ने अच्छा काम किया है कि वे इसे लेकर आये हैं। गंगा मैया मां है, जहां कृष्ण भगवान की जय करते हैं, वहीं हम गंगा मैया और यम्ना मैया की जय करते हैं। यम्ना और गंगा मैया हमारी मां है। किसी ने यह गीत भी गाया है कि हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। गंगा मेरी मां का नाम, बाप का नाम हिमालय है, यह कहा गया है, आप लोगों ने इसे गाया है। शंकर भोला बाबा, शंकर महादेव जी, मानसरोवर, हमारे देवता भी वहां पर कैद हुए हैं। ये लोग हिमालय को क्या बचायेंगे, हम पीछे खिसकते जा रहे हैं, हम पीछे हटते जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर हाउस में बोलते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। गंगा को साफ कराइये, गंगा के लिए आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाइये। आपको कोई अवरुद्ध करता है, आपको कोई कमी है तो सभी पार्टी के लोगों को बुलाकर उसका हल निकालिये। गंगा, यमुना की सफाई और जितना यह सारा रोक है, इस रोक को हटाइये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय गंगा मैया।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, those who want to lay their speeches on the Table of the House may do so.

* SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Hon. Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak in the discussion on this important subject which this august House has taken up. River Ganga gets polluted in a big way and it is not restricted to river Ganga alone. Many of our rivers in the country are polluted massively and it is a matter of great concern. In the South in Tamil Nadu rivers like Cauvery, Coovum, Noyyal and Pennar are getting polluted. Instead of going in for cleansing a polluted river, it would be better to go into the root cause of the problem and take pre-emptive measures and avoid the river getting polluted. This would help us to protect a river from getting polluted. In the scientific age, as we resort to more and more of industrialization by way of setting of many industrial units, we get a problem on hand to dispose off the effluents from the factory units. The untreated effluents and the sewerage let off from the industrial towns cause massive pollution in the river systems available by their areas. To bring to your notice, a specific problem in a specific area, I would like to point out the pollution problem accruing to river Noyyal in my Tirupur Lok Sabha Constituency. This is a sub-river of River Cauvery and it used to have clean water that can be used for drinking, cooking and bathing purposes till some 30 years ago. But now, the water is not fit even for cultivation. Now, it is only a river of effluents from the dyeing units. Why this situation has arisen? It is not only the river Noyyal that has become unusable but it is also polluting river Cauvery. This calls for a concerted effort to treat the effluents from industrial units before it could flow into Sewerage treatment plants also must be there along with effluent a river. treatment plants for industrial units. In order to go for this processing that will avoid river pollutions, the Centre must liberally extend huge financial assistance to the state governments that can attend to the problems as per the ground reality and

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

the local problems. Our leader the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has recently announced a liberal interest free loan to the tune of about 200 crores of rupees to set up 13 to 15 such effluent treatment plants to overcome the pollution problems that affect river Noyyal and also the industrial activities there. In order to carry out river cleansing operation in a big way in Tamil Nadu the Centre must come forward with a special package and must extend at least `10,000 crores to the Government of Tamil Nadu. I urge upon the Union Government to look in to this. As the rivers get polluted due to industrial activities, the contaminated toxic water becomes unfit for cultivation. And it creates a rift and tension between the agriculturists and industrialists. There are also clashes in this regard between the farmers and those who work in industrial units. This even leads to law and order problem. All these problems can be solved by way of taking measures to treat waste water that flow into rivers. This calls for huge funding and the Centre must help the state governments with adequate release of funds to ensure the avoidance of river water pollution. It is not only Cauvery that is getting polluted but also river Pennar due to huge sewerage disposal from the city of Bangalore. Similarly, the river Coovum in Chennai that used to be its pride is now a big problem to the city as an open drainage with enormous flow of sewerage into it. I urge upon the Union Government to provide enormous funds several thousand crores of rupees to the Government of Tamil Nadu to clean the river systems and to avoid further pollution by way of setting up treatment plants. With this I conclude thank you.

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): हमारी पवित्र नदी गंगा और हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उन दोनों के अस्तित्व को हो रहे खतरे और उत्पन्न स्थिति की महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे शामिल होने की अनुमति दी।

सैकड़ों वर्षों से हमारी हिन्दू संस्कृति की अहम पहचान माँ गंगा एवं हिमालच के प्रति पर्यावरण एवं मानव जाति के खतरे से एक गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है ।

क्लाइमेट चेंज एवं हिमालय की प्राकृतिक संपदा को हम सबकी तरफ से एक गंभीर खतरा पैदा हुआ है । ग्लोबल वार्मिंग के तहत हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गंगा का उद्भव स्थान पीछे खिसक रहा है । पर्वतारोहण और यात्रियों की वजह से हिमालय की पवित्रता के प्रति खतरा पैदा होता जा रहा है । ये एक गंभीर सवाल है ।

इसी तरह हमारी हिन्दू संस्कृति का प्रतीक और हमारी धरोहर गंगा नदी के प्रति हमारे दुर्भाग्यपूर्ण रवैये की वजह से माँ गंगा की पवित्रता दूषित हो रही है । पवित्र गंगा में हम सारी गंदगी डालते हैं और गंगा के तट पर आए सभी शहर, कस्बे एवं गांवों के गटर की नालियां गंगा में प्रदूषित की जाती है । मेरा स्पष्ट मानना है कि गंगा नदी की पवित्रता को कायम करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सख्त कानून बनाकर भी गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने का प्रयास होना चाहिए । एक सख्त कानून बनाकर हिमालय एवं गंगा की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए ।

^{*} Speech was laid on the Table

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मैं गंगा नदी और हिमालय निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को हो रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति जैसे महत्व के विषय पर अपनी बात रखता हं।

हिमालय पर्वत और गंगा मैया हमारे देश का गौरव है । हमारी संस्कृति का अनमोल प्रतीक है । दोनों स्थानों की पवित्रता की हम सदियों से पूजा करते आए हैं । उसमें स्नान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, ऐसी धार्मिक भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है । इसलिए हिमालय और गंगा नदी की शुद्धता, पवित्रता एवं अस्तित्व टिका रहे उसे देखने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए ।

गंगा माता हमारा श्रद्धा केन्द्र है, आस्था केन्द्र है । उसका दोहन न हो । इसमें कचरा एवं गंदगी डाली न जाए । करोड़ों रूपये खर्च होने पर भी आज परिस्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है । हिमालय और गंगा के अस्तित्व को खतरा न हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए । सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए । हम विकास का विरोध नहीं करते, लेकिन टैक्नोलॉजी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए तािक इन स्थानों की पवित्रता एवं शुद्धता बरकरार रहे, उसे कोई नुकसान न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो । इनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न न हो, क्योंकि हमारा अस्तित्व इनके अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है । प्रस्तुत प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रकट करता हूं ।

^{*} Speech was laid on the Table.

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please take your seat for a minute.

Hon. Members, I have a list of eight more speakers to speak on this discussion. If the House agrees, the time of the House may be extended by one hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Okay; Shri Lingam, you may continue your speech now.

* SHRI P. LINGAM (TENKASI):Let me thank the Chair for giving me an opportunity to participate in the discussion on the need to protect our rivers from pollutions. River Ganga is one among the great rivers in the world which flows more than 2,000 kms from the place of its origin. The great Indian perennial river Ganges is about 2,500 kms. long. This discussion assumes importance because we are now deliberating on the need to protect river Ganga which is being polluted massively. Our Government needs to pay greater attention to protect our environment and our river systems from being polluted.

MR. CHAIRMAN: Just a minute. I have a list of 8 Members to speak in this discussion under Rule 193. So with the consent of the House let me extend the time by one hour. Now, you may please continue.

SHRI P. LINGAM: Rivers are important source for the irrigation needs of our agriculture. Rivers contributes to our food production. So, rivers and their water form the basis of our crop cultivation, agricultural activity and overall food production. River Ganga is referred to in our great epic Ramayana. Guha offers fish, as food to Lord Rama is what we find in that epic. That shows that

18.02 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

from time immemorial clean water and pure water fishes were available in river Ganga. That only proves the point that river Ganga was flowing without pollution. But unfortunately, it has been heavily polluted now. It has been pointed out that fish catchments have been greatly hampered due to heavy pollution. People who have had their livelihood by way of catching fish have all been affected. River Ganga passes through several states and finding its confluence with several rivers like Yamuna, Gomti, Kosi and Damodar is increasingly becoming unsuitable for irrigation to carry on with agriculture. This has greatly affected our agricultural activity more particularly food production. The Government must wake up to this reality and must understand that pollution and agriculture production are interlinked. Hence, we must take care to see that pollution does not come in the way of our food production. We need to bear this in mind at a time when we are going in to legislate Food Security Bill. If you want to increase our food production and ensure increased protection to our rivers the Government should think in terms of nationalising all the rivers of the country. Through our National River Water Policy the inter-linking of major rivers of the country was contemplated even at the time of Jawaharlal Nehru. But unfortunately, that project is being kept in cold storage successively. There is now a viable plan to link about 30 major rivers of the country. It is also estimated that it would ensure availability of water throughout the country. It has also been reported that through that project we can over come the problem of pollution.

Rivers originate from the hills. It makes the land fertile and suitable for cultivation when they flow across the plains. In Tamil Nadu the east flowing rivers are all originating from the Western Ghats. The plains of Tamil Nadu are best suited for crop cultivation and production of food grains, as agriculture has always been carried on in a big way from the ancient times. Such world-renowned agricultural plains must get continued irrigation and water supply. When it is possible to get abundant water flowing one part of the country to another place

where water is in great demand it would only help the agricultural activities to go on uninterrupted.

Today several kinds of encroachments are made by the side of the rivers and also on the riverbeds by way of constructing resorts or quarrying sand. Thus the perpetrators of pollution and the encroachers even create panic and alarm about such rivers.

In Tamil Nadu we have Cauvery, Porunai, Vaigai, Palar the ancient ones which find themselves polluted now. Hence, we must go in for the Garland Canal Scheme to link the southern rivers and give life to the river systems there. I urge upon the Government to nationalise all the rivers and to see that all the rivers are cleansed and protected from being polluted further.

We must go in for conserving water by way of protecting our rivers by way of nationalising them. Ours is an agro-economy and our agriculture is dependent on rivers. It is only when our agriculture is given an impetus, we can increase agricultural production. Now, at least at this juncture when we contemplate Food Security Bill, we must give priority to save our rivers and river water from being polluted. Apart from nationalising our rivers we must also go in for cleansing them in a big way.

What we witness today in Mullaiperiyar issue is nothing but a creation of those who want to encroach upon. They have even managed to create a panic about the Dam there for their self-ends. River water that flows in one part of the country must benefit the agricultural activities in the other parts of the country and that only adds to the national food production. So, water must unite us and integrate us. This can be done by way of nationalising all the rivers that are our national assets. So, we must protect our rivers from being contaminated or polluted and judiciously utilised and its waters are equitably distributed to augment agriculture and food production. With these I conclude. Thank you.

* SHRI THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):I heartily thank the Chair for giving me an opportunity to speak on this important subject. Our saint poet Thiruvalluvar said, "NEER INDRI AMAIYATHU VULAGU" "without water there cannot be our world". Water is inevitable for us all and we cannot survive without that and water is very much needed as an inseparable aspect in our life. We all know that water is one among the five elements that constitute life and this world. Three fourth of our globe is covered by sea and one fourth of land mass is there for us to live on. Though water is available in plenty and abundantly, sea-water cannot be consumed by us. So, nature has given us water as its gift that flows in our rivers. Nature on its own purifies the water from mineral sediments and various other salts and chemical compounds. We use to get serene water from the rivers. That is why water is considered as elixir of life.

River Ganga is our sacred river known for its purity. Now, we are concerned about the man-made problems that have interfered with nature. Since, river Ganga has been polluted in a big way, the Government of India has taken upon itself a massive scheme to clean Ganga evolving a project at a cost of about 7,000 crores of rupees. The action plan to improve the conditions of the river at various places have been devised and announced. We are now discussing this save Ganga programme after initiating our cleansing efforts, mobilising funds from World Bank and other sources. It has also been decided to get rupees 5,100 crores from the Centre and pool together rupees 1900 crores from the states of Uttarakhand, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal.

At this juncture, I would like to point out to the ground reality in this country where we find heavy floods on one side and serious drought conditions on

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

the other one and the same time. Drinking water problem is a rampant in several parts of the country. The environmentalists and the futurologists predict that the next world war will be for water.

At a time when, water is essential and has become an integral part of our life, we also find people mindlessly polluting our water resources either by way of encroaching upon or by way of quarrying of sand and exploiting riverbeds or by way of constructing dams and threatening to demolishing the existing dams. By this we would only be harming interests and life of our future generations. In this generation, by way of polluting our rivers mindlessly, we are endangering the life of our future generation. So, it is necessary to preserve our rivers and conserve water and clean them.

In Tamil there is a proverb, "Thaayai Pazhithaalum, Thanneerai Pazhikkathey" which means "even if you insult your mother, don't do it to a river". That shows the importance that must be accorded to water. We must respect water and water resources even if we fail to respect our mother. When we are expected not to denigrate water, we are polluting water in several ways apart from allowing sewerage water to flow into river systems. Resorting to mining activities near the rivers cause enormous pollution. We are harming the smooth flow of our river systems and its capacity to purify the water by itself by way of quarrying sand mostly in illegal way exploiting nature, which has offered sand as a gift to mankind to cleanse water in a natural way. Lakhs of years have been spent by nature to produce sand but the mindless people exploit it with avarice and greed. This results in furthering the pollution, as there is no way to purify it when we pollute it. Recently, I had been to the river Ganga. The great Ganga that is considered to be a sacred river and a perennial river, which is being celebrated in our great epics is now full of impurity and not fit even to wash our hands with. I was greatly shocked and saddened by the dirtiness of the impure water there.

On this occasion, I would like to urge upon the Union Government to take up the inter-linking of rivers projects and take steps to link river Ganga with river

Cauvery to create a situation that there is no place in India where there is scarcity of water. River Ganga does not belong to mere five states in India but it belongs to the entire country and it is a scared asset of all the hundred and ten crore people of India. So, we must take efforts to take river Ganga to the South thereby linking it with river Cauvery and bring to an end to the drought situation. As a step towards this, all the rivers must be nationalized. No river must be considered as a property of that particular state in which it is flowing. For instance Mullaperiyar belongs to the people of both the States of Tamil Nadu and Kerala. It must not be considered as one that belongs to a single state. Just because Cauvery originates in Karnataka it is considered to be their property over which they alone can wield their rights. That has resulted in a situation where Tamil Nadu has to wait for water looking to Karnataka. Be it Mullaperiyar or Cauvery or Bhavani or Palar, it belongs to all the people of the country. In the absence of this spirit Tamil Nadu is finding itself in a position to look to the neighbouring states with the begging bowl for water. I would like to reiterate my demand that the Union Government must take immediate step to nationalise all the rivers in order to save them from pollution and conserve water for equitable distribution. In order to make our country a more fertile land, we must link Ganges with Cauvery. As such, we have drinking water problem in many of our villages or in almost every village. Whenever we visit our Lok Sabha Constituencies, we receive number of complaints about scarcity of drinking water and inadequate water supply. This problem assumes priority. So, we must take steps to put an end to this problem ensuring adequate drinking water supply, providing water for irrigation, creating pure environ for fishes to grow and thereby increasing overall agricultural production. Hence, it is the need of the hour to save and conserve water. So, it is necessary to take up Ganga-Cauvery link project to make India a prosperous country.

The developed world is concerned about the environmental pollution leading to global warming. So, there is a campaign to create awareness in the minds of the people of the world. Reiterating again the need to link river Ganga with river Cauvery and to protect our rivers from getting polluted further and to nationalise all the rivers to pave way for India's prosperity let me conclude thank you.

* श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति जी, मैं गंगा नदी व हिमालय को बचाने के नियम-193 के अधीन हो रही चर्चा के संबंध में निम्नांकित सुझाव ले करना चाहता हूं:-

- 1. गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा भारत का जीवन प्रवाह है । इसे बचाना भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को बचाना है । गंगा नदी को बचाने के लिए टोटलिटी में प्रयास होने चाहिए ।
- 2. नागरिकों को भी निरंतर जागरूक करने की जरूरत है । सरकार के प्रयासों में भी निरंतरता आवश्यक है । मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जानी आवश्यक है ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का समय पर उपयोग संभव हो सके ।
- 3. विकास व पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाने की आवश्यकता है । किसी निजी स्वार्थ के लिए जो राशि हड़पते हैं उन्हें सख्त सजा का प्रावधान 6 माह में किया जाना आवश्यक है।

^{*} Speech was laid on the Table

* श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण गंगा नदी के प्रदूषण और प्रवाह रोकने के विषय पर विचार रखने का अवसर दिया ।

हमारे देश की पवित्रता गंगा नदी और यमुना नदी है। मगर आज गंगा नदी का प्रवाह रोक देने के वजह से हमारी गंगा नदी दिनोंदिन सूखती जा रही है और आज जो पानी हमारी गंगा नदी में बचा है वह शहर का गंदगी वाला पानी और औद्योगिक रसायन से प्रदूषित पानी अभी हमारी नदी में आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे देश की स्वर्ग से आई हुई हमारी पवित्रता के रूप में आई हुई हमारी गंगा नदी की आज सारे स्थानों पर इसकी दुर्दशा हो रही है। इसको रोकना चाहिए। इसी के कारण प्रवाह कम होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल रहा। नदी में पानी न होने के कारण नदी में मछली नहीं मिल पा रही है। उसी के कारण हमारे सारे मछुआरों को समस्याएं हो रही है। यह अगर सभी समस्याओं को दूर करना है तो गंगा नदी पदी पर लगाए जा रहे बांधों की रोक लगाई जाए और अभी फिलहाल जो पानी हमारी गंगा मैया में है, वहां पानी प्रदूषण रोककर उसे ट्रिटमेंट प्लांट लगाकर उसे शुद्ध करके सबके उपयोग में लाया जाए।

मैं सरकार को विनती करता हूं कि हमारे देश की पवित्रता गंगा और यमुना नदी और देश के अंदर बहने वाली सारी नदियों के बांधों को रोककर और उसकी शुद्धता को ध्यान में रखकर सबकी खुशहाली की ओर ध्यान देकर हमारी संस्कृति कायम रखें । इसी विनती के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

^{*} Speech was laid on the Table

* श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): गंगा को समाप्त व दोहन के एक परिणाम को बताता हूं । गंगा के मैदान में आर्सेनिक के असर के बारे में एसईएस के डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर दीपांकर चक्रवती के शोध के अनुसार गंगा के अंतिम छोर बंगाल की खाड़ी, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाद पूर्वी उ.प्र. में आर्सेनिक पाया गया है । जबिक बेतहासा दोहन व कुओं के समाप्त होने के कारण जमीन के भीतर जल में आर्सेनिक (संखिया) बहुत बढ़ गई हैं । बोरवेल व हैंडपंप जहरीला पानी उगल रहे हैं । शीर्ष वैज्ञानिक शुमार चक्रवर्ती ने हमारे संसदीय क्षेत्र बलिया में आर्सेनिक होने की पुष्टी की थी । उ.प्र. में बलिया सहित बरेली, खीरी, बहराइच, गोरखपुर, बक्सर, भोजपुर, गाजीपुर, चन्दौली, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव, कानपुर, जनपद पूर्ण प्रभावित है । पानी पीने से त्वचा फेफड़ों, मुत्राशय, गुर्दे, कैंसर आदि बीमारी से लोग मर रहे हैं । हमारे क्षेत्र बलिया जनपद में ही 3.5 लाख लोग बीमार हैं और असमय ही काल के गाल जा रहे हैं । खीरी में 165 गांव, बहराइच में 438 गांव, बरेली में 14, गोरखपुर में 45, गाजीपुर में 24, चन्दौली में 19 गांव सर्वाधिक प्रभावित हैं और हमारे बलिया के वैरिया ब्लॉक में 70 से ज्यादा मर चुके हैं । वैज्ञानिकों ने वलिया में 500 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक आर्सेनिक पाया है । बलिया के ग्राम बाबूरानी में 225, हासनगर पुरानी बस्ती 400, उदवंत छपरा 360, चोबे छपरा 220, चैन छपरा 500, राजपुर एकौना 500, हरिहरपुर 200, बहुआरा 130, भोजापुर 130, सुल्तानपुर 140, चाँदपुर 140 तक आर्सेनिक पाया गया । उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद बलिया में 100 करोड़ की लगात से 66 पानी की टंकी बनाकर निपटने का प्रयास किया है । वैज्ञानिकों ने तालाबों में पानी इकटठा करने, कुआं खोदने की राय दी है ।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें प्रभावी पहल करे और आम जनता को इससे मुक्ति दिलाने हेतु भारत सरकार इन जनपद के लोगों को बचाने के लिए विशेष पैकेज दे । इसलिए आज की चर्चा में मैं पर्यावरण मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि हिमालय अगर समाप्त हुआ तो देश समाप्त हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। विश्व में 97.25% जल खारा है । केवल 2.27% जल मीठा जल है । गंगा नदी आधे भारत को मीठा जल, खेती हेतु जल, धार्मिक अनुष्ठान, पर्यटन, मछली पालन आदि से सुशोभित करती है । माँ गंगा को समाप्त कर जीवन की कल्पना बेमानी है । गंगा के उद्गम स्थान में बिजली बनाने के चक्कर में जो अवरोध, बांध बनाकर कर रहे हैं उससे गंगा में पानी नहीं होगा । जब गंगा सूख जाएगी तो सफाई किसकी करेंगे, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय किसी भी कीमत पर गंगा से छेड़छाड़ करने वाले सभी कारकों को कड़ी सजा दे ।

-

^{*} Speech was laid on the Table.

* श्री संजय धोत्रे (अकोला): श्री रेवती रमन सिंह जी ने गंगा नदी और हिमालय के अस्तित्व को हो रहे खतरे का महत्वपूर्ण विषय उठाया । मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं । नदियां हमारा जीवन है । हमारा अस्तित्व है । गांव शहर का गंदा पानी, कारखानों का गंदा पानी इसकी वजह से छोटे नाले, छोटी नदियां, फिर बड़ी नदियां और समुद्र पूरी तरह प्रदूषित और जहरीली हो गई । हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा । इसके कारण भूजल भी दूषित हो रहा है । कई तरह की भयंकर बीमारियां हो रही है । यह खतरा पूरे मानव, पक्षी, पशु, जलाजीव सबके लिए है । हमें इसके मूल जड़ तक जाना होगा । कई कानून है लेकिन सख्ती से अमल नहीं होते । गंदा जल जहां पैदा होता है वहीं उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी । इसके लिए सख्त कानून बने और उसका अमल हो ।

^{*} Speech was laid on the Table

श्रीमती अन्तू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, आज की चर्चा में भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

हमें अपनी मां यानि गंगा मैया के शोषण के ऊपर चिन्ता व्यक्त करने का यह अमूल्य मौका मिला है। पुराण या इतिहास में जो गंगा जी के महत्व के बारे में लिखा गया है, उसको दोहराने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। गंगोत्री से, भागीरथी से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होने के पहले 2525 किलोमीटर गंगा जी का सफर होता है। गंगा जी के शोषण में आज की चर्चा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अहम भूमिका बिजली उत्पादन की जरूरत को माना जा रहा है। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा बेसिन में हाइड्रो पावर का पोटेंशनयल 60 प्रतिशत लोड के ऊपर करीबन 10,715 मैगावाट है। लेकिन कहा यह जाता है कि अभी तक उसका इस्तेमाल सिर्फ 12 प्रतिशत ही किया गया है। में मानती हूं कि बिजली की आवश्यकता अहम है, पर क्या यह गंगा मैया को मारने के बाद पूरी होगी?

आप टिहरी डैम का उदाहरण देख लीजिए। इस डैम से एक नगर तो डूब ही गया, उसके अलावा 2200 करोड़ रुपये का खर्चा बताकर 26 हजार मैगावाट बिजली पैदा करने की बात की गई थी, पर खर्चा 66 हजार करोड़ रुपये हुआ और आज बिजली जो पैदा हो रही है, वह एक समय पर एक हजार मैगावाट से ज्यादा पैदा नहीं हुई है।

उसके अलावा भागीरथी पर जो बांध का काम हुआ, वह मुश्किल से रूका, तो पता चला मंदािकनी और अलखनंदा पर डैम बनाने की बात की जा रही है। आज हमारा जो पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड है, वह पता नहीं 100, 150, 300, 500, कितने ही बांधों का निर्माण गंगा की सहायक निदयों पर बनाने का प्रस्ताव रख रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि हमारा पर्यावरण तो मुश्किल में आएगा ही, पर्यावरण क्या कि होगा ही, लेकिन उत्तराखंड में तो पानी के बहाव की तेजी में कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु हमारे मध्य उत्तर प्रदेश व पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार और बंगाल तक गंगा जी के पहुंचते-पहुंचते इसके बहाव के प्रेशर में बहुत कमी आ जाएगी।

आज हमारे यहां उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर परियोजना और सरयू नहर परियोजना दोनों गंगा पर निर्भर हैं। आज इन दोनों नहर परियोजनाओं की सफाई व रख-रखाव न होने के कारण पहले से ही बहुत मुश्किल है और पानी की कमी है। अब ये सारे बांध बन जाने के बाद क्या हालत होगी, भगवान ही मालिक है। आज गंगा जी की उपलब्धता यहां के नागरिकों, खासकर किसानों के लिए कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण गंगा तट पर औद्योगीकीकरण और शहरीकरण होना है।

ताज एक्सप्रेस कोरीडोर की बात अगर ले लीजिए, तो वहां पर भी बगल में 14 किलोमीटर छोड़कर उनको शहरीकरण करना चाहिए, लेकिन इसे भी नजरंदाज किया जा रहा है, तो भगवान ही मालिक है कि हमारे उत्तर प्रदेश की हालत क्या होगी?

इल्लीगल माइनिंग जो डरावना भविष्य पैदा कर रही है, उसके बारे में चर्चा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती है। यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं, वे सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहां मैं गंगा तट पर बसे उत्तर प्रदेश के बनारस व इलाहाबाद के प्रदूषण के बारे में भी सदन का सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हमें दी है।

मेरा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव गंगा के इस पार है और दूसरी तरफ कानपुर बसा हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा होकर बताना चाहती हूं कि उन्नाव और कानपुर के उद्योग, खासकर चमड़ा उद्योग पूर्ण रूप से गंगा को प्रदूषित कर रहा है और इसमें पूरा योगदान दे रहा है। इसकी लड़ाई मैंने अपने जीवन काल में अहम लड़ाई मान रखी है और इसे आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी।

यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट रिपोर्ट, 2007 में बताया है कि गंगा मां का शोषण का सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो वर्ष 2030 तक गंगा जी शायद लुप्त हो जाएं और पानी का बहाव सिर्फ बरसाती रह जाए। यद्यपि मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मानती हूं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते यह विश्वास रखती हूं कि गंगा न कभी लुप्त होगी और न हम सब यहां बैठकर उसको लुप्त होने देंगे।

इन हालातों का समझते हुए, उत्तराखंड की डैम परियोजनाओं के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए एवं गंगा जी पर काम को रोकने और समझने के लिए फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने सलाह दी है, जो इन्वायर्नमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अधीन आती है। जब तक इसकी पूरी जानकारी व इन डैमों के, इन बंधों के असर के बारे में अध्ययन न हो जाए, तब तक कोई भी डैम बनने पर रोक लगा देनी चाहिए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन भी हुआ, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के अधीन तो है, परंतु इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं।

मैं आशा करती हूं और विश्वास रखती हूं कि हमारी सरकार इस पर सोच-विचार कर ही कदम बढ़ाएगी। हमारी इसी केंद्रीय सरकार ने यूपीए टू ने इसकी अहमियत को समझा और लोहारी, नागपाला जैसी बड़ी परियोजना में, जिसमें पांच सौ करोड़ रूपए पहले ही खर्च हो चुके थे, उसके बावजूद ईको सिस्टम को बचाने के लिए, उन्होंने इसकी पहल की और इसे रोका। इसके अलावा गौमुख से मात्र नौ किलोमीटर दूरी पर, भैरव घाटी पर जो बांध बनाया जा रहा था, उसे भी रोका गया।

अगर किसी भी प्रदेश में, हमारे देश में प्रगति होती है, तो हमें भी खुशी होती है, परंतु गंगा बेसिन का शोषण करके उत्तराखंड की सरकार जो कर रही है, वह विचारणीय है, क्योंकि इससे उत्तराखंड को

बिजली तो पर्याप्त मात्रा में जरूर मिल जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा मिलेगी और वह उसे दूसरे प्रदेशों में बेचकर मुनाफा भी कमायेंगे, पर हमारे उत्तर प्रदेश में पानी की कमी का शिकार हमें होना पड़ेगा, उत्तराखंड पर निर्भर होना पड़ेगा। कब वह पानी दे, कब पानी न दे, जिस तरह की लड़ाइयां दूसरी जगह हो रही हैं, वह हमारे यहां भी होने लगेगीं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र उन्नाव के किसान भाई शारदा सहायक नहर परियोजना के पानी पर निर्भर हैं। गंगा में पर्याप्त पानी न होने की वजह से और रायबरेली व उन्नाव दोनों के इस नहर के टेल-एंड पर होने की वजह से जरूरत भर का पानी उसको नहीं मिल पाता है। शारदा सहायक नहर परियोजना की तीन ब्रांच उन्नाव में हैं।

उन्नाव, पुरवा एवं आसीवन जिसमें आज 19 दिसम्बर 2011 को भी आसीवन ब्रांच द्वारा बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन नहरों की डिसिलट्रींग एवं रख-रखाव ठीक से नहीं करने की वजह से हमारे खेत पानी से वंचित हैं। किसानों में यह भय फैल गया है कि क्या रबी की फसल भी बर्बाद हो जाएगी? सभापित महोदय, आज इस बहस के माध्यम से आप के द्वारा मैं एक अर्जेन्ट अपील करना चाहती हूं हमारी गंगा माँ को बचाने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। यह राष्ट्र नदी घोषित की गई है इसके हिसाब से उसको पूरा सम्मान मिलनी चाहिए। गंगा मइया के किसी भी परियोजना में में चोरी करने वाले को माँ की हत्या के बराबर का दंड दिया जाना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में शारदा सहायक नहर परियोजना और सरयू नहर परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से हमारे किसान भाइयों की आवाज सुनें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): धन्यवाद सभापित महोदय, आज माननीय सदस्यागण ने अपने-अपने विचार इस सदन में रखें कि गंगा को कैसे बचाएं? गंगा हमारी मां है और सिदयों से इतिहास गवाह है कि गंगा का जो जल है वह अमृत के समान है। अगर देखा जाए तो वह धीरे-धीरे उस पर उम बना कर या उसके अगल-बगल जो शहर बसे हुए हैं उनका कचरा उसमें जा रहा है और नदी प्रदूषित हो रही है। सरकार की योजनाएं बनती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर रही हैं। गंगा की सफाई के लिए विदेश से पैसा मिले या भारत सरकार ने उस पर पैसा खर्च किया हो, उसकी उपयोगिता न के बराबर है। सभापित, हमारा आप से आग्रह होगा कि अभी जितना खर्च हुआ है उसको हम कैसे सही उपयोग में ला कर गंगा की सफाई करें तािक भविष्य में गंगा प्रदूषित न हो। झारखंड में दामोदर नदी है। जिसकी गिनती विश्व के जहरीली नदी में हो गई है। उसकी भी सफाई की योजनाएं बनी लेकिन धरातल पर नहीं उतरी है। इसी लोक सभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आने वाले समय में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे तो पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा और सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी। आने वाले समय में दूसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा। अब सरकार को चिंतन करना है। यह दोषारोपण का विषय नहीं है कि उत्तराखंड में कितना डैम बन रहा है और कितना प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो रहा है, या होगा? विषय यह है कि हम इसको कैसे सुधार करें और भविष्य में जो हमारी नदियां हैं उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): गंगा केवल नदी नहीं है-गंगा इस देश की जीवन धारा है, इस देश की पहचान है। गंगा के पवित्र किनारों पर हमारी संस्कृति, सभ्यता का निर्माण हुआ है। गंगा हमें युगों युगों से शुचिता, निरंतरता, गतिशीलता का संदेश देती रही है। गंगा के अमृतजल से हम जीवन भर पुष्ट होते हैं तथा अंत में गंगा ही हमें शरण देती है। इसलिए गंगा माँ है। आज बड़ा सुखद संयोग है कि आज ही इस सदन में गीता की भी चर्चा हुई है, दोनों ही हमारे पूज्य हैं।

गंगा को सुरक्षित रखने के लिए माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं, अनेक कार्य-योजनाओं की चर्चा यहाँ हुई है जिनमें अब तक हजारों करोड़ खर्च किये जा चुके हैं परंतु महोदय जैसा कि सदन में चिन्ता व्यक्त की गई गंगा का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है । प्राण दायिनी गंगा क्रमशः प्राण विहीन होती जा रही है । गंगा को अनेक प्रकार से प्रदूषित किया जाता है । उद्योग अपने विषैले अपशिष्ट को गंगा में डाल देते हैं, कई स्थानों पर जमीन में बोरिंग करके इस प्रदूषित जल को सीधे भूजल में डाल दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे उद्योगों के निकट से बहने वाली गंगा भी विषैली हो रही है । महोदय, ऐसे लोग मानवता के प्रति अपराधी है, इसे रोकने के लिए कड़े दंडविधानों का किया जाना जरूरी है ।

गंगा के किनारे बसे सैकड़ों नगरो-महानगरों का अपशिष्ट प्रदूषित जल सीधे गंगा में डाल देते है । कानपुर-वाराणसी पटना-कोलकाता जेसे महानगरों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ऐसे नाले देखे जा सकते है जिनसे इन शहरों का करोड़ो गैलन मलयुक्त प्रदूषित जल गंगा में डाल दिया जाता है । महोदय , स्थानीय निकायों के पास संभवतः इतने संसाधन नहीं है कि वे अपने स्तर पर इस संपूर्ण प्रदूषित जल को प्रदूषण मुक्त कर सकें तथा संभवतः यह उनकी प्राथमिकता भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस प्रदूषित जल को शोधन करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वयं वहन करे । इस जिम्मेदारी को स्थानीय निकायों अथ्वा प्रदेश सरकारों पर न छोड़ा जाये । केन्द्र सरकार तदनुसार बड़े-बड़े अपेक्षित शोधन यंत्र लगाए तथा केवल शुद्ध किये जल को गंगा में जाने दे ।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है । उसके अनुरूप गंगा को बचाया जाना आवश्यक है । मेरा निवेदन है कि इस दृष्टि से सभी उपाय किये जायें ।

^{*} Speech was laid on the Table

MR. CHAIRMAN: Shri Prasanta Kumar Majumdar. You may complete your speech in two minutes.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Sir, I may be given more time.

MR. CHAIRMAN: The time has already been allotted and we have to adjust ourselves according to that so that we can give chance and accommodate all the hon. Members.

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR: Sir, I would request you to give me some more time.

Sir, the river Ganges has three dimensions, namely, religious, economic and environmental. The river Ganges is our mother.

* Respected Chairman Sir, river Ganga is another name for 'sacredness' in our country. Ganga is considered as a goddess – a fair, beautiful woman with white sari, decked up in jewellery, holding a lotus and a water pot and riding on her pet crocodile. Today we are discussing the threat to Ganga which actually holds an exalted place in Hindu culture and religion. India is a secular country with various communities, religion but this river is held in high esteem by its people, particularly the Hindus. Ganga is regarded as our mother and is referred in many Indian texts like the Vedas, Ramayana, Mahabharata and Puranas. The other name of Ganga is Bhagirathi after sage Bhagirathi who brought her to the earth.

Gangajal or water of Ganga is very sacred and the Hindus do not ever try to disrespect it. It can destroy all the sins of the past. Taking a holy dip in Ganga is a sure way to gain salvation. If a person dies, Ganga water is sprinkled, his ashes are immersed in the river, the cremation takes place on the banks of Ganga as it is believed that if one dies at the Ganga banks one can reach heavenly abodes. So

^{*} English translation of the speech originally delivered in Bengali.

there is no end to the glories of Mother Ganges. She is an indelible part of the Hindu culture and society. Mother Ganga can be rightly called the Mother of Hindu spirit. She is not just a river or a water body that flows into the land. She is considered as a Goddess. Hindus view her as a beautiful woman wearing a white sari decorated beautifully with jewels holding a lotus and a water pot in her hand. Mother Ganga signifies Hindu religion

This was the historical and cultural aspect of the Ganges. Coming to the economic aspect, it is a known fact that the Indo Gangetic Plain is very fertile due to the river water which is immensely helpful for agricultural activities. Crops are grown and the farmers are dependent on the water for cultivation purposes. Since the land remains wet, the environment also remains soothing and pleasant. But if the river narrows down, if quantum of water becomes less then it can adversely affect agriculture. Thus it is necessary that river is allowed to flow uninterruptedly. When dams are constructed at various places, it naturally reduces the flow. Ganga passes through many states after originating from the Himalavas. but every now and then, dams restrict the flow of water. In my state West Bengal also, the Farakka dam obstructs the river while the Calcutta port is in poor condition. So the Central Government must take steps in this regard. The fishing community of the basin is wholly dependent on Ganga. You must be aware that the Hilsa fish is available in this river. So this river must be preserved in the interest of the fishermen also.

There is pollution of Ganga which adversely affects the ecology and environment and in turn the livelihood of the people. In Bengal, we celebrate Durga Puja every year and once the festivals are over, the idols are immersed in Ganga thereby polluting the water beyond measure. Therefore this practice must be stopped immediately and an alternate way should be found for immersion to contain further deterioration of water quality and the river should be cleaned at regular intervals.

Therefore I urge upon the Central Government to look into all these aspects and take immediate action to save the sacred river as well as the entire Himalayan region to safeguard the ecological balance of the Indian subcontinent. Other wise the nature might play havoc with us and we will have nothing to fall back upon. The funds earmarked for the purpose should be utilized properly and not misused.

With these words, I thank you sir, for allowing me to speak on the subject and conclude my speech.

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री शरद यादव जी द्वारा रखे गए गंगा नदी और हिमालय के निर्मम दोहन के कारण उनके अस्तित्व को हो रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति के बारे में हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं । महोदय, गंगा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई । प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं । अफसोस है कि गंगा की अविरल धारा प्रवाह को रोका जा रहा है । गंगा का पवित्र जल प्रदूषित हो गया है । प्रदूषण से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है । गंगा नदी ही नहीं, देश की पहचान से जुड़ी है । यह भारत की अस्मिता से जुड़ी है । इनको प्रदूषित करने में किनारों पर बसे हुए नगरों, महानगरों का केमिकल युक्त प्रदूषित जल फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जाता है जो जल को प्रदूषित कर रहा है ।

महोदय, पुराणों में रामायण में गंगा नदी की पवित्रता के संबंध में कहा गया है -''गंगे तथ दर्शनात मुक्तिः''

रामायण में कहा गया है -

''दर्शन किए अनेक फल, भज्जन ते अद्य अध जाहि।''

किंतु आज इस पवित्र, पतित पावनी नदी पर अनेक बांध बनाए जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा । गंगा प्रदूषण को रोकने हेतु नगरों के गंदे प्रदूषित, केमिकल युक्त पानी को गंगा नदी में मिलाने से रोकना होगा । अविरल प्रवाह को बनाए रखना होगा । देश की भावना से जुड़ी हुई हमारे देश को पेयजल,

हरियाली, जलस्तर एवं उपजाऊ जमीन प्रदान करती है । इन्हें सुरक्षित, संरक्षित रखना चाहिए ।

जहां गंगा नदी को प्रदूषण, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है वहीं पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय बाढ़, कटाव से भी बचाना होगा । हमारा भदोही जनपद लोक सभा क्षेत्र इलाहाबाद से लेकर वाराणसी तक कई दर्जन गांव बाढ़, कटाव से प्रभावित हो रहे हैं । वहां तटबंध बनाने की आवश्यकता है । अंत में, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हिमालय के ग्लेशियर को सुरक्षित रखने हेतु प्रयास करें । गंगा को प्रदूषण से बचाएं तथा देश की धरोहर के रूप में हमारी माँ के रूप में जानी जाती है । इन्हें सुरक्षित रखने का कारगर उपाय करें ।

-

^{*} Speech was laid on the Table.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, I stand here to participate in the discussion initiated by Shri Rewati Raman Singh. Invariably all the leaders of this House belonging to different political parties have also expressed their opinion.

I had been fortunate enough to be a Member of the Public Accounts Committee ten years back when Sardar Buta Singh was the Chairman of the Public Accounts Committee. At that time the Comptroller and Auditor General had submitted a Report. ... (*Interruptions*) After that Report was tabled in this House, the Public Accounts Committee had taken it up for consideration. It was a Herculean task to travel from Rishikesh to Patna. I had varied experience going across different cities and towns on both sides of the bank of Ganga and also of Yamuna. We also went to Lucknow because that was also part of the Ganga Action Plan.

This Plan was initiated by late Shri Rajiv Gandhi when he was the Prime Minister. A big amount, I think, Rs. 1,000 crore or more was provided to keep the Ganga clean. Subsequently, the Ganga Action Plan II also came into existence. I do not know whether those who have been in power, at the Centre or in the respective States, starting from Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and to a certain extent Jharkhand, have gone through that Report or not. I will come to what that Report had recommended. That was a Parliamentary Committee Report of Public Accounts Committee. It had pointed out the failure of the respective State machineries in keeping the Ganga clean.

Why should we call this river as Mother Ganga? No other country in this world ever addresses its river as 'Mother'. We all know there is a large river in China. But they call it the 'Sorrow of China'. No one ever calls any river as 'Mother' of that land. But here, for ages together, for more than thousands of years, as the civilization grew in this part of the world, we have been calling this river 'Mother Ganga'.

This river is more than 2,510 kms. long. It originates from the Gangotri Glaciers in Uttarakhand, in the Central Himalayas, and runs into the Bay of Bengal. The Ganga basin is the largest one in India constituting 26 per cent of the country's land mass, and supporting 43 per cent of its population. That shows how huge this Ganga Basin is! It has an average population density of 523 people per sq. km. making it one of the most congested river basins in the world. The Basin covers 230 cities and towns. It is all statistics. The Government has it. Many people who are interested in the development of this Basin are also aware of it. But I will give you one instance about the city of Patna.

The Central Pollution Control Board in its Report said that the total coliform count in Patna downstream has been calculated at 1,60,000 Most Probable Number (MPN) per 100 ml, nearly 60 times higher than the permissible limit of just 2,500 MPN/100 ml. The faecal coliform count is also alarmingly high at 50,000 MPN/100 ml, 100 times more than the permissible limit of just 500.

Here, I quote what the noted environmentalist Shri R.K. Sinha has said:

"Forget drinking, the water is dangerous even for bathing. To expect that the river retains the mythological traits intact, is a sheer wishful thinking.."

This is the amount of helplessness that our environmentalists have expressed. Here, I would like to say that the sacred River is unfit even for bathing! Of course, Shri Lalu Prasad just mentioned that during the Chat Festival, it was difficult to offer *arghya* to the Sun God. This is the situation which all of us have been facing who travel all along the River Ganga. That was my experience.

I came across another research study that is relating to Patna town with a population of about 18 lakhs, - it is much more – generates about 200 million litres of sewage every day. The Bihar Rajya Jal Parishad, the nodal agency, has the capacity to treat only 100 million litres of waste per day. The rest 100 million litres of untreated dirty water enters the river every day through 30 drains in the city.

I have an occasion of going around the Varanasi City. The Varanasi City has open drains and they enter the River. That is the situation why that River has been so polluted. Only at Allahabad, I found a difference when the Yamuna meets the Ganga. Otherwise, from Kanpur, all along the Ganga River Basin, the river bed has been turned into a sewerage. That was our impression and that is what we had expressed.... (*Interruptions*) I am the only speaker from my Party.

MR. CHAIRMAN: At Seven of the Clock, we have to take up the reply. Eight more speakers are yet to speak. That is why, I am requesting you to be very brief. You please come to the point. We will start the Zero Hour after the reply at Seven of the Clock.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, the sprawling river basin accounts for a fourth of the country's water resources and is home to more than 400 million people. Recently, the World Bank has approved US \$ one billion as credit and loan to support India's effort to clean up the Ganga Basin. I hope the hon. Minister will throw some light on that. The project will support the National Ganga River Basin Authority in building the capacity of its nascent operational level institutions so that they can manage the long-term Ganga clean-up and conservation programme.

In April, Union Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a Rs.7,000 crore project to clean the Ganga, where the Centre's share would be Rs.5,100 crore and that of the Governments of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal would be Rs.1,900 crore.

I would like to raise two issues – one is the Thames River Restoration Trust which has come out in Support, and has tide up with the Worldwide Fund for Nature and Peace Institute Charitable Trust to work for restoration of a 300 km. stretch of the Ganga and the Yamuna on both sides of the banks. The United Kingdom's Environment Agency Thames Region will provide guidance in the endeavour. I think, the Minister, while replying would also throw some light because we are only discussing about the degradation of the river, but as to what

steps have been taken and as to what are the difficulties in actually utilising this Fund, needs to be said. Today, funds are not a problem in our country. It is the proper monitoring and utilisation which are great issues.

Mrs. Tandon mentioned about the leather industries of Kanpur and nearby areas. Nearly 50 per cent of the leather processing units in the Ganga river basis are located in Uttar Pradesh.

MR. CHAIRMAN: She has already mentioned this point. Many other hon. Members too spoke about this issue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: She mentioned about Unnao but it is also about Jajmao and Banthar. These two areas also needs to be looked into. I think, as hon. Minister of Environment and Forests, she would be aware that there is a need to change the technology which is required. The Committee has also recommended in this regard. That technology should have been taken up within two years time but that has not happened. Hence, I urge upon the Government that it needs to provide a certain amount of funding from financial institutions to those industries..... (*Interruptions*) I would conclude.

There is a need to provide financial backup from financial institutions to those industries and just by sermonising them - you do this or do that – it will not happen. Unless adequate backup support is provided, and also the State Governments should look into that aspect.

Before I conclude – these are the last lines I would say - I would say that there is a need to monitor the river water constantly and take steps to make it pure for human consumption. It needs *Bhagirath Prayas* – as it was at one point of time, it was needed to bring the river Ganga from the Heavens - today, to clean up that river, you have to do a *Bhagirath Prayas*. Allocation of money is not all. Regular monitoring is necessary. The Centre and respective State Governments have to work together and the Urban Development Ministry and also of respective State Governments have to work in tandem so that they can play a greater role. Therefore, I would urge upon the Government that it is necessary that a cohesive

attempt has to be made. At the same time, I would also urge the Government and the Prime Minister to hold this meeting at least every quarterly so that one can proceed with the matter.

*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): At the outset I am fully supporting the issue raised by hon'ble Rewati Raman Singhji about River Ganga, the heart of India.

According to our first Prime Minster Pandit Jawaharlal Nehru, Ganga is not merely a river but it is a continuing history from time immemorial to the present about the ups and downs of the history of our country.

It is being believed that river Ganga is brought to the earth by the legendary Bhagirathi. Ganga is not only a river but it is a part and parcel of our culture and heritage.

Even through I am from the extreme South of our country, I am also concerned about the well being of the holy river Ganga. Today river Ganga is fully polluted due to careless activities done by tens of thousands of inhabitants who are living in the banks. I am also requesting the Uttarakhand Government to control all kinds of inhuman activities which are going on now-a-days. In this occasion, I would like to bring to the notice of the Hon'ble House that protecting Ganga is very important.

I am also pointing out one important issue relating to the water sharing of Kerala with Tamil Nadu. In the year 1886, the Mullaperiyar Dam was constructed across the river Periyar and till now we, the Keralites, are giving all water to Tamil Nadu. But today, the dam has completed 116 years and became very old. People of Kerala are now demanding to construct a new dam at Mullaperiyar. But Tamil Nadu Government is not considering the matter. Today they are not at all bothered to ensure security to the lives of millions of people of Kerala.

I am inviting the attention of the hon'ble House to the issue of Mullaperiyar Dam. It is one of the major issues now in Kerala as well as in Tamil Nadu. The

^{*} Speech was laid on the Table

Kerala Chief Minister, Hon'ble Oomen Chandy undoubtedly cleared "we are ready to give water to Tamil Nadu, we only consider the safety of our people".

He also put forth a slogan "Water for Tamil Nadu safety for Kerala". When we are discussing about the importance of Ganga river, we must also consider other rivers like Mullaperiyar.

If something untoward happens, the lives of more than 35 lakhs of people will be in danger. Therefore, I humbly request you to consider this issue as an important national problem. While we are discussing about river Ganga, the issue of Mullaperiyar Dam is also may be considered. Mr. Chairman, not only Ganga, but also Mullaperiyar issue should be considered for a national consensus.

All kinds of protections are needed for all the rivers of our country.

*श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): गंगा नदी के विषय में उठाये गये विषय के साथ अपने को संबद्ध करता हूँ ।

गंगा नदी की पवित्रता के संबंध में पूरा सदन चिंतित है। आज की स्थिति यह है कि गंगा नदी में छोटे एवं बड़े शहरों की गंदगी को सीधे तौर पर गंगा नदी में डाला जा रहा है। मिलों, टेनिरयों के गंदगी भरे पानी को सीधे गंगा नदी में डाला जा रहा है। शहरों व मिलों में पानी साफ करके गंगा नदी में डालने हेतु जो ट्रीटमेंट प्लांट (S.T.P.) लगाये गये है वह क्षमता से बहुत छोटे है। उन सभी शहरों में क्षमता वृद्धि के साथ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। गंगा नदी में बनाये गये सभी बांधों को समाप्त करके गंगा नदी के स्वच्छ जल के प्रवाह को निरन्तर प्रवाहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

^{*} Speech was laid on the Table

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमिरियागंज): मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । भारत में गंगा नदी जीवनदायनी एवं मोक्षदायनी मानी जाती है । आज भी गंगा नदी के कारण भारत की उर्वरा शक्ति किसानों के लिए है । गंगा नदी का जल देश के लिए जीवनधारा है । लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गंगा जल के दोहन एवं प्रदूषण के कारण आने वाले समय में गंभीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जायेगा । अभी तक हिमालय के कारण देश की प्रकृति एवं पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है । लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हिमालय में वनों का कटाव हो रहा है । तथा दूसरी तरफ अवैध खनन हो रहा है । जिसके कारण मानवता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है । यदि भविष्य में अवैध खनन एवं वनों का कटाव जारी रहा तो हम लोगों को विनास की तरफ जाने से कोइ रोक नहीं सकता है ।

वर्तमान समय में गंगा हिमालय से निकलने के बाद हरिद्वार से ही प्रदूषित होना शुरू हो जाती है । हरिद्वार से कानपुर तक आते-आते गंगाजल आचमन करने लायक नहीं रह जाता है । जबकि गंगा का पानी एक तरफ किसानों के लिए उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है । तथा आज भी देश में गंगा के किनारे हरिद्वार से उत्तरप्रदेश, बिहार, एवं वेस्ट बंगाल के गंगासागर के किनारे दोनों तरफ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है । इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन होने के कारण खेतों में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है । भारत में गंगा नदी केवल सिंचाई के लिए ही प्रयोग में नहीं आती है बल्कि गंगा एक पवित्र नदी के रूप में भारत के जन जीवन में आस्था का केन्द्र बिंदु बन चुकी है । आज भारत के हर घरों में धार्मिक अनुष्ठान के लिए पूजा गंगा जल से ही होती है । लेकिन लगातार गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है । सबसे ज्यादा कानपुर एवं उन्नाव के टेनरी (चमड़े के कारखानों) के कारण गंगा का जल प्रयोग करने लायक नहीं रह गया है । इस दिशा में पिछले दिनों भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान की योजना स्वीकृत की जिसमें गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतू गंगा के किनारे बसे शहरों के प्रदूषण से गंगा नदी को मुक्त कराने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट एवं प्रदूषित सीवर एवं जल को गंगा नदी से अलग करने की भी कोशिश की गयी। लेकिन इसके बावजूद गंगा नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है । पिछले दिनों प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया । देश के आम जनमानस को काफी खुशी हुयी लोगों के अंदर काफी उम्मीद की किरण बनी थी । इसके बावजूद बढ़ते हुये प्रदूषण के कारण आज गंगा नदी का जल

^{*} Speech was laid on the Table

पानी पीने योग्य नहीं रह गया है । आज सदन में राजनीति से उपर उठ करके सभी को चिन्ता का संज्ञान लेकर के न केवल भारत सरकार को बल्कि राज्य सरकारों को परस्पर समन्वय स्थापित करके सामंजस्य स्थापित करके गंगा मां को बचाने का प्रयास होना चाहिये । यदि गंगा नदी को हम बचाने में कामयाब होंगे तभी भारत को अन्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो सकेंगे । तभी व्यवहारिक रूप से गंगा नदी जीवनदायनी होगी । लेकिन आज सारे प्रयासों के बावजूद गंगा नदी के अस्तित्व के समक्ष प्रश्न चिन्ह उपस्थित है वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने गंगा एक्सप्रेस वे नामक परियोजना स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । उक्त परियोजना में गंगा के किनारे, सड़क का निर्माण होगा तथा उस सड़क के किनारे बड़े-बड़े नगर बनाये जायेंगे । जहां एक तरफ हम गंगा के प्रदूषण को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वही दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना आने के बाद तो शायद गंगा नदी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जायेगा। जबकि पूरी दुनिया में केवल गंगा एक ही नदी है जिसे गंगा मां कहते है । इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की योजना को लागू किया जिससे गंगा को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके । उसमें भारत सरकार का लगभग एक हजार करोड़ रूपया खर्च भी हो चुका है फिर भी स्थिति जस की तस ही बनी हुयी है । दूसरी तरफ हिमालय पर्वत का भी जिस तरह से दोहन हो रहा है अवैध खनन एवं वनों के कटाव के कारण लगातार हिम स्खलन हो रहा है । इसलिए भारत एवं मानवता को बचाने के लिए गंगा नदी एवं हिमालय को खनन एवं प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ठोस उपायों की जरूरत होगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति जी, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर अपनी राय प्रकट करने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। दुनिया में जितने भी बोडो मूल के लोग हैं, सभी गंगा नदी को माँ के रूप में मानते हैं। गंगा नदी का नाम हमारी बोडो भाषा का "गंगानाथ" यानि "गंग" शब्द से उत्पन्न हुआ है।

गंगा का मतलब जिस चीज को पीने से प्यास निकल जाती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जितनी भी हिंदुस्तान में नदियां हैं, इन्हें तथा पहाड़, पर्वत और वन जंगल को बचाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सख्त कदम उठाने की जरुरत है। सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इन नदियों को बचा नहीं पाई है, इसलिए यह एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मुर्भा करना चाहता हूं कि केवल गंगा और यमुना के लिए ही नहीं वरन् हमारे असम की जो बृहत "ब्रहमपुत्र" नदी है और उसकी उप नदियां हैं, उन सभी को भी बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाने की जरुरत है। I would like to appeal to the Government of India, through you, Sir, to set up the Brahmaputra River Basin Authority so as to help preserve and project the River Brahmaputra and all the rivers and tributaries within the Bodoland area. We all know that the Chinese Government has been constructing a good number of dams on the River Brahmaputra at different locations inside Tibet. I would like to know as to why no action has been taken by the Government of India to object to this kind of very dangerous anti-India river projects. इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, उन्हें बचाने के लिए नेशनल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट प्रोटैक्शन फोर्स रेज करने की बहुत जरुरत है। यह बहुत गंभीर मामला है। So, I would like to appeal to the Government of India, through you, to take appropriate steps to help raise a National Forest and Environment Protection Force on the line of CISF.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापित जी, मैं आपको इस बात के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। गंगा को माता के रूप में हम जानते हैं और मुझसे पहले जितने भी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा, लगभग सारे लोगों ने गंगा के धार्मिक महत्व और उसके उद्गम का इतिहास और उससे होने वाले फायदे की चर्चा की।

महोदय, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है लेकिन गंगा केवल एक नदी मात्र नहीं है, गंगा इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। गंगा इस देश के करोड़ों लोगों की सभ्यता की जननी है, गंगा इस देश की जीवनधारा है और गंगा इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन-यापन का सहारा भी है। चाहे मछुआरे हों या गंगा के किनारे रहने वाले करोड़ों किसान हों, उनके जीवन-यापन का सहारा भी गंगा ही है। लेकिन एक साजिश के तहत गंगा नदी को किसी न किसी रूप में बाधित करने का षडयंत्र है। मैं सरकार को आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा नदी 25 किलोमीटर की लम्बाई में है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक की दूरी 235 किलोमीटर है, लेकिन इन 235 किलोमीटर में अभी तक गंगा की मुख्यधारा को विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं को बनाकर उनका निर्माण कर हाइडल प्रोजेक्ट्स बना कर 115 किलोमीटर गंगा की मुख्यधारा को अभी तक बाधित कर दिया गया है। जहां अब गंगा नदी सूखी नदी के रूप में है, पहले जहां अविरल गंगा बहती थी। एक फिल्मी गाने को मैं उदृत कर हहा हूं - गंगा तेरा पानी अमृत झर-झर बहता जाए। अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ और सरकार समेय पर नहीं चेती, तो गाने के बोल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापित महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसका रिप्लाई मंत्री जी कल सदन में दें।

MR. CHAIRMAN: Let him speak.

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय सदस्य बोल सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसका रिप्लाई कल होना चाहिए। आप चेयर कर रहे हैं, आप बोल दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Let some more Members speak and then we will see.

श्री सुशील कुमार सिंह: सभापित महोदय, मुझे कुछ समय और देने की कृपा करें, क्योंकि बीच में मैं डिस्टर्ब हो गया था। केवल गंगा नदी ही प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे मंदाकनी हो, अलकनंदा हो, सारी नदियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। विकास के नाम पर, ऊर्जा के

नाम पर गंगा को जिस तरह से बाधित किया जा रहा है, गंगा को प्रभावित किया जा रहा है और गंगा के साथ-साथ हिमालय को जिस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, हिमालय में सुरंगों को खोदा जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: All of you wanted to finish it early. There are four more Members to speak.

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, अभी तो भूमिका ही बनाई थी कि आपने घंटी बजा दी और बीच में ही व्यवधान हो गया। महोदय, मैं कह रहा था कि गंगा, यमुना, मंदाकनी, अलकनंदा और जो दूसरी सहायक निदयां हैं और हिमालय की पर्वत श्रृंखला सभी में बिजली उत्पादन के नाम पर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने के नाम पर, जैसा हमारे नेता शरद जी ने कहा कि हिमालय जिंदा पहाड़ है और यह भूकंप से प्रभावित होने वाला जोन भी है, सिस्मिक जोन है, उसे खोद-खोद कर सुरंगे बनाई जा रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, इस तरह से गंगा और गंगा के उद्गम स्थल हिमालय को इस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी हम लोगों पर रोएगी और कहेगी कि समय रहते हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से देश की धरोहर, गंगा केवल नदी मात्र नहीं है, बल्कि देश की धरोहर है। बिजली उत्पादन का बड़ा-बड़ा सपना हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम पर दिखाया जाता है, बिजली कम्पनियों द्वारा बताया जाता है कि हम एक हजार मेगावाट बिजली की परियोजना लगा रहे हैं। लेकिन जब उस परियोजना से उत्पादन होता है, तो किसी परियोजना से तीस प्रतिशत से ज्यादा का उत्पादन नहीं होता है। आरटीआई से मंगाया गया यह आंकड़ा है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have called the name of Shri Tarun Kumar Mandal.

श्री सुशील कुमार सिंह: महोदय, निजी कम्पनियों को एक छूट है, जिससे कि वे स्वयं सर्वे करे और वे सरकार को शुल्क जमा करते हैं।...(व्यवधान) महोदय, रिप्लाई बाद में होगा, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। निजी कम्पनियों को छूट है कि वे स्वयं सर्वे करें। परियोजना बनाएं और अनुमोदन लेकर खुद काम शुरु कर दें।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Tarun Mandal to speak now.

Except his speech, nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

=

^{*} Not recorded.

MR. CHAIRMAN: You have taken six-seven minutes. Already your party members spoke.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Dr. Tarun Mandal, you can speak now. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ...*

MR. CHAIRMAN: Already your leaders spoke.

... (Interruptions)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): ऐसा नहीं है कि केवल जनता को ही चिंता है। खुद सीएजी ने कहा है कि इस तरह से एशिया में गंगा बेसिन और हिमालय के क्षेत्र में अगर और पावर प्रोजेक्ट को बनाने से रोका नहीं गया तो गंगा को और नुकसान होगा।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ...*

^{*} Not recorded.

*श्री **हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** सदन में गंगानदी और हिमालय के निर्गम दोहन के कारण इनके अस्तित्व के संकट के बारे में 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है। गंगा और हिमालय हमारे लिए केवल नदी और पर्वत नहीं हैं, सदियों से यह करोड़ों हिन्दुओं के आस्था के विषय रहे हैं। इसलिए भी यह चर्चा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। गंगा के किनारे हमारी सभ्यता विकसित हुई है। हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी 2525 कि.मी. लंबी बहती है। गंगा विश्व की सबसे बड़ी नदियों के अग्रिम 20 सूची में शामिल है और अब इसका शुमार विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में हो रहा है। गंगा रनान करने की इच्छा धारण करने वाला आस्थावान हिंदु आज इसके प्रदूषण से आतंकित हो रहा है। इसी स्तर पर गंगा नदी का प्रदूषण जारी रहा तो भविष्य में इस नदी के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। गंगा नदी में इसके किनारे पर बने बस्तियों का मलमूत्र विसर्जन, कारखानों का रसायन मिश्रित जल प्रवाहित करने के कारण गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी का देश के जनजीवन में स्थान को देखते हुए इसे शुद्ध रखने का दायित्व सरकार का है। लेकिन सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के साथ हमें भी इसके तट पर बसने वाले लोगों में चेतना जगानी पड़ेगी। गंगा पहले की तरह शुद्ध, निर्मल बनी रही तो ही इसका पतितपावन स्थान बरकरार रह सकता है। इसलिए सरकार गंगा जल शुद्धीकरण के लिए प्राथमिकता के साथ कठोर कदम उठाये। केवल गंगाजल शुद्धीकरण के लिए धनराशि आवंटन और खर्च का हिसाब देने सेबात नहीं बनने वाली तो गंगा नदी को प्रत्यक्ष रूप में शुद्ध करनेका भी कार्य होना चाहिए। गंगा नदी के किनारे रहने वाले लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन, रोजगार भीइस पर आश्रित रहने से सरकार को इस पर ध्यान देना होगा।

आज हम गंगा और हिमालय के प्रदूषण के कारण अस्तित्व के संकट पर चर्चांकर इसके निराकरण हेतु सरकार द्वारा उचित कदम उठाने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन देश में लगभग सभी नदियों का जल दूषित हो रहा है। देश में जनसंख्या के फैलाव के साथ तथा बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण नदियों का जल लगातार दूषित हो रहा है। नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है। लेकिन आज अनेक नदियां प्रदूषण के कारण नष्टप्राय हो रही हैं। पहले नदियों के जल से खेतों को सींचा जाता था, लेकिन आज किसानों की अपेक्षा उद्योगों को अधिक तरजीह देने से उद्योगों के द्वारा रसायन मिश्रित जल नदियों में प्रवाहित करने से नदियां प्रदूषित हो रही हैं, इस पर निर्भर किसान, मछुआरों का भी जीवन संकट में पड़ गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वर्धा, इरई, उमा, झरपट नदियों की स्थिति तो बद से बदतर हो रही है। चंद्रपुर यह देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जिले के

-

^{*} Speech was laid on the Table.

130 उद्योग अतिप्रदूषणकारी हैं। जिले में कोयला खानें, बिजली उत्पादन केन्द्र, सीमेंट, कागज कारखानों, कोल वॉशरीज, लोह उद्योग के द्वारा अपने रसायन मिश्रित प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने के कारण नदियों का जल दूषित हो रहा है। हमारे यहां कोल इंडिया की संलग्न कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स के द्वारा कोयला उत्पादन के लिए कोयला खाने चलाई जा रही हैं। अब अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर खुली खदानों के द्वारा कोयला उत्पादन करनेके कारण बड़े पैमाने पर ओ.बी. डम्प निकलता है। कोयला उत्पादक कंपनी वे.को.ली. द्वारा यह ओ.बी. डम्प नदियों के किनारे पर डालने से नदियां संकरी हो रही हैं। फलस्वरूप यहां पर जल प्रदूषण के साथ कृत्रिम बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से वे.को.ली. द्वारा नदियों के अनुचित दोहन करने का मामला सामने लाने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कारवाई करने से कतराता है। इससे स्थिति बिगड़ रही है। नदियों का जल दूषित होने से नदियों के जलचर नष्ट हो रहे हैं और मत्स्य व्यवसायिक मछुआरों का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। कोयला उद्योगों की तरह राज्य सरकार ने कोयला आधारित औष्णीक विद्युत निर्माण संयंत्रों को इन नदियों के किनारे अपने संयंत्र स्थापित करने की अनुमित दी है। आज वर्धा नदी पर करीब 25 संयंत्रों को अनुमित देने से भविष्य में वर्धा नदी का अस्तित्व नष्ट होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

महाराष्ट्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेशनल वॉटर मानिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हर महीने निदयों के जल की जांच करने की बाध्यता है। लेकिन इसका पूरी तरह अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अगर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की नीति के अनुसार जांच की गई तो कई उद्योगों के प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और निदयों को और प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है।

देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसके कारण बढ़ती आबादी को जलापूर्ति हेतु निदयों के जल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर निदयां ही दूषित होंगी तो इसमें प्रदूषण के कारण क्लोरीन, कार्बन, मैगनीज, मर्क्युरी का मानवी शरीर पर कु-प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूषित जल के कारण अनेक जलजनित रोगों के संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण निदयों का जल दूषित होने से हमारे यहां का सिंगाड़ा तथा मत्स्य उद्योग पर कु-प्रभाव पड़ा है। इस पर निर्भर मछुआरे बेरोजगार हो रहे हैं और किसान भी अपने खेतों को सिंचित कराने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। इसलिए में सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि गंगा नदी की तरह देश की सभी निदयों के जल शुद्धीकरण की विशेष योजना बनायें और उद्योगों को रसायन मिश्रित जल निदयों में प्रवाहित करने पर कड़ी रोक लगाये। सरकार के प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड के द्वारा निदयों के जल की जांच कर प्रदूषणकारी उद्योगों पर मानकों की अवहेलना करने के लिए उन पर कड़ी कारवाई करने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश देने की मांग करता हूं।

हमारे आस्था की प्रसिद्ध पावक गंगा जी के जल को निर्मल तथा शुद्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिकता देने के साथ अन्य नदियों के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए भी ध्यान देंगे ऐसी अपेक्षा करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापित महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हिमालय और गंगा के साथ हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जुड़ी हुई है। हिमालय और गंगा नदी के साथ हमारे देश का साहित्य, गाना और कविता जुड़ीहै। कुछ दिन पहले महान संगीतकार भूपेन हजारिका जी की मृत्यु हुई, उन्होंने इस विषय पर गाना तैयार किया था -

बिसतीरणो दुपारे ओशोंको मानुशेर हाहाकार शुनेओ, निशोब्दे निरोबे ओ गंगा तुमी बोइचो कानो।

यह गाना सारे देश में बंगाली और असिमया भाषा में गाया था। यह बात हम जानते हैं कि दुनिया की सभी सभ्यताएं निदयों के साथ जुड़ी हैं। सभ्यता का विकास निदयों के किनारे ही हुआ था। गंगा नदी की बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, चाहे कोई हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, क्रिस्चियन धर्म का हो या सिख धर्म का हो, सभी का संबंध इस नदी के साथ है। सब इस नदी से फायदा लेते हैं, इससे जीवन लेते हैं। लेकिन आज नदी में बहुत प्रदूषण हो रहा है जो नदी को एक्सप्लाएट कर रहा है। यह कोई आम जनता नहीं कर रही है, उनके कारण हो रहा है जिन लोगों के पास पैसा है, जो उद्योगपित हैं, जिन्हें नियम मानना चाहिए वे नहीं मानते हैं, नियम तोड़ते है, प्रशासन, पुलिस और कानून को खरीदकर काम करते हैं। इसके लिए सशक्त रूप से कानून बनाना और लागू करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र सुंदरवन में नदी के पानी की चोरी कर ली गई है। वहां सिर्फ पानी नहीं नदी भी चोरी की है, मछली का व्यवसाय करने के लिए नदी को बांध कर, काट कर तालाब बनाया गया। सुंदरवन हमारा क्षेत्र है, आपने सिंगूर का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी के लिए जमीन दी गई थी, वहां दो नदियों पर भी कब्जा कर लिया था। तिस्ता नदी जो बांग्लादेश जाती है, इच्छामती नदी के ऊपर ब्रिक (Brick) क्लिन बनाने के कारण पूरी नदी खत्म हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सभी नदियों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। यह हमारे परिवेश के लिए बहुत जरूरी है, दुष्परिणाम रोकने के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में जो नदी जा रही है, उसके साथ भी ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे हमारे देश को पड़ोसी देश से खतरा न हो। जैसे तिस्ता नदी समझौता है वैसे तिपाईमुख बांध बन रहा है, इसका भी बराबर समझौता होना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले बांग्लादेश गया था, वहां एंटी इंडियन फिलिंग्स तैयार हो रही हैं, लेकिन उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे देखें और हमारे देश की गंगा और अन्य नदियों का पाल्यूशन रोककर जनता की भलाई करें।

19.00 hrs.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Sir, thank you very much for allowing me to take part in this discussion under Rule 193. The issue that I would like to flag here is that we have reached a stage where there are finite resources. All the resources have become absolutely finite. There is no such thing as having infinite water.

MR. CHAIRMAN: Just a minute. Hon. Members, we have extended the time upto 7 o'clock. As the two hon. Members are yet to speak, if you permit, then we will extend the House further.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सर, कल कर लीजिए, अभी मिनिस्टर साहब को भी रिप्लाई करना है।

MR. CHAIRMAN: First, let the hon. Member to speak. We will extend the House upto 8 o'clock. I hope the hon. Members will agree.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended upto 8 o'clock.

SHRI PREM DAS RAI: Sir, most of the Members who have discussed this issue before me have actually concentrated on the exploitation side. I would like to actually bring the attention of the House to the area where we are looking at the Himalayas. Since I come from a mountain region, I think, the Himalaya needs urgent attention.

Let me say a couple of things. First, the World Climate Change Conference has actually talked about a two degree limit to increase in temperature by 2050. But to tell you that at 2 degrees, the Himalayas would actually be increasing its temperature around that by about 4 degree. That is the reason why, lot of snowmelts are actually happening and the water resource that comes down from Himalayas during the lean season is becoming more and more scarce.

One can also see this in river Teesta. Yesterday, there was a programme on NDTV in which they have shown and argued that the river Teesta is actually drying up. It is because that the river Teesta emanates from the Kanchenjunga biosphere. The Kanchenjunga is the highest peak and around that we have

glaciers which are about 750 square kilometres. The shrinkage in this glacier area is one of the highest in the country.

My State, the State of Sikkim, has actually been the first State to actually commission a Report on the glaciers as to how fast they are receding. I think, we will be getting the results very soon. What I would like to argue here is this. There is a much greater need to look at the whole Himalayan range more holistically. I think, for that, the Planning Commission has done well by setting up a working group on mountains. This working group on mountain needs to look at this entire issue of the Himalayan range and the precipitation of the snow and ice on our mountains. We also need to take this up more forcefully in the climate change talks.

I would seek the indulgence of the hon. Minister to answer these questions because this is really an important issue.

With these words, I conclude.

श्री प्रदीप टम्टा (अल्मोड़ा): सभापित महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, जहां से गंगा निकलती है। अभी यहां चर्चा हुई कि उत्तराखंड की सरकार ने ही कुछ किया है और इतने बांध बनाये हैं। यह बहुत लम्बे समय की बात है। आज मैं देख रहा था, जो मेरे पास लिस्टेड हैं, उत्तराखंड में 194 छोटे-बड़े डैम्स बन रहे हैं और दूसरी रिपोर्ट में मात्र अरूणाचल प्रदेश में 168 डैम्स का प्रोजैक्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें केन्द्र सरकार भी बना रही है और राज्य सरकारें भी बना रही हैं। गंगा नदी पर टिहरी डैम बना, जो दुनिया के छः बड़े डैम्स में अपना स्थान रखता है। इसके कारण वहां से हजारों-लाखों लोग उजड़े। टिहरी जिला आज भी प्रगति में मामले में देश के सबसे पिछड़े जिलों में आता है। वहां से जो हजारों-लाखों परिवार उजड़े, वे ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में विकास के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इस बात की चिंता है कि हम सब लोग गंगा नदी को मां भी कहते हैं।

लेकिन आज पूरे हिमालय क्षेत्र की निदयों को बचाने का संकट है। हिमालय जिस तरह से पिघल रहा है, वहां की निदयों में पानी नहीं है। उन निदयों में रन ऑफ दी रिवर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। उन निदयों में बड़े-बड़े डैम प्रस्तावित हैं। मैं केंद्र सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भैरोंघाटी, लोहारी, नागपाला और पालामेरी प्रोजेक्ट को बंद किया। उनकी मंजूरी वापस ली और वहीं उत्तराखण्ड की सरकार ने 900 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। एक तरफ झामा किया कि गंगा विम्वित्रता के लिए इन परियोजनाओं को बंद किया जाए। कुछ पर्यावरणविद् आए और आमरण अनशन पर बैठे और वहीं उत्तराखण्ड सरकार की 900 मेगावाट बिजली प्रस्तावित है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा डैम, पंचेश्वर डैम प्रस्तावित है, वह पता नहीं कब बनेगा। जो 4000 मेगावाट और पूर्णागिरी पर 1400 सौ मेगावाट प्रस्तावित है। क्योंकि यह भारत और नेपाल के बीच का मसला है इसलिए हमारी चिंता है कि कल को अगर वह डैम बनेगा तो हजारों लोग कहां जाएंगे?

पिथौरागढ़ जिले में पर्यावरण की क्लीयरेंस नहीं है लेकिन डैमों के ऊपर रन ऑफ दी रिवर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी हो रही हैं। बिना किसी क्लीयरेंस के सैंकड़ों किलोमीटर रोड़ और टनल बन जाती है। एक तरफ फॉरेस्ट कंज़रवेशन एक्ट में फॉरेस्ट की थोड़ी सी जमीन को भी गैर-फॉरेस्ट कार्यों के लिए परिमशन नहीं मिल पाती है। कई वर्षों तक सड़कें नहीं बन पाती हैं वहीं दूसरी तरफ डैम बनाने वाली कंपिनयां पिथौरागढ़ जिले के अंदर हैलीकॉप्टर से अपने इक्युपमेंट भेज रही हैं। सरकारों को सोचना चाहिए कि नितयां सतत हैं, बहती हैं इनका अस्तित्व बचाना चाहिए। यह सवाल उत्तराखण्ड का ही नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और करोड़ों लोग जिनका जीवन निदयों पर निर्भर करता है उनका भी है। आज उसको बचाने की

जरूरत है। हिमालय से निदयां निकल रही हैं और हिमालय के लोग प्यासे हैं, उनके खेत प्यासे हैं। वहां की सड़कों और स्कूलों के लिए फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट की परिमशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन बड़े-बड़े डैम और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स को परिमशन मिल रही है। दूसरा सवाल सिस्मिक जोन का है। हर साल जब भी बरसात का मौसम आता है, हमें लगता है कि आज पता नहीं कौन सी त्रासदी आएगी। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का आंकलन होना चाहिए कि हिमालय में जितनी निदयां निकल रही हैं, चाहे उत्तराखण्ड हो, हिमाचल हो, वहां उन निदयों में पानी कितना है। उसकी क्षमता कितनी है? लोगों के पीने की जरूरत पूरा कर सकती है? सिंचाई के लिए पूरा कर सकती हैं? बिजली तो बाद की बात है। सबसे बड़ा घोटला आज वहीं पर है कि निदयों में पानी नहीं है और बड़े-बड़े मेगा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। इसिलिए मैं फिर सरकार से मांग करूंगा कि संपूर्ण हिमालय में चलने वाले पॉवर प्रोजेक्ट्स के बारे में पुनर्विचार किया जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना): गंगा नदी तथा हिमालय के अस्तित्व को जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, आज सदन में उन पर चर्चा हो रही है। धन्य है वह देश जहां गंगा जैसी नदी प्रवाहित हो रही है और धन्य है वह देश जहां हिमालय जैसा पर्वत है। हमारे देश की प्राचीन मान्यता रही है कि गंगा को हम लोग माँ कह कर पुकारते हैं और हिमालय को हम लोग अपने देश का मुकुट कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज दोनों का अस्तित्व खतरे में है। न सिर्फ इन दोनों का बल्कि मैं तो कहूंगा कि देश की सारी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। देश की सभी नदियाो का या तो सामाजिक महत्व है या धार्मिक महत्व है या आर्थिक महत्व है। उसके आधार पर देश ने मान्यता दी है। मैं मानता हूँ गंगा नदी जहां से निकलती है और जहां तक जाती है, वे बहुत भाग्यशाली लोग हैं। वहां की स्थिति को देश के दूसरे हिस्सों से तुलना जब मैं करता हूं तो मुझे अलग सा दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से आज गंगा नदी प्रदूषित हो रही है वह चिन्तनीय है। कुछ लोगों का मत है कि नदी तो बांध बनाने के कारण या उद्योगों का जो प्रदूषित जल निकलता है या सिवर लाईन के मलबे के कारण वे प्रदूषित होती हैं या अन्य कारणों से वे निदयां प्रदूषित हो रही हैं। यह बिल्कुल सही बात है। देश ने पहले भी कानून बनाये हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन कानूनों का कभी प्रभावी उपयोग हुआ है। आज चिन्हित करने की जरूरत है कि किन कारणों से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं? जहां तक मेरी मान्यता है कि छोटे-छोटे बांध बनाने से नदियों का प्रवाह बंद नहीं होता है, बल्कि उससे नदियां और पुनर्जीवित होती हैं। उससे हम बिजली भी बना सकते हैं। यह बात सही है कि पूरी तरह से जल का प्रवाह नहीं रोका जाना चाहिए। जल प्रवाहित होते रहना चाहिए। जिस तरह से बारिश कम होती जा रही है, जिस तरह से हमारी नदियों के पानी का जल स्तर घटता जा रहा है, उस नाते हमें कहीं ने कहीं बांध बनाने की भी जरूरत है, लेकिन मेरा यह जरूर मानना है कि उसमें पानी का प्रवाह जरूर चलता रहना चाहिए। नदियों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए केंद्र सरकार को बहुत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, कठोर काननू बनाने की जरूरत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जहां से गंगा नदी निकलती है और जहां समाप्त होती है, वहां तक के बीच में देखें कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री लगी हैं, किन कारणों से वहां पर प्रदूषण का पानी आ रहा है, किन कारणों से नदी प्रदूषित हो रही है? उन पर सख्ती से रोक लगायें और उन पर कठोर कार्रवाई करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री रतन सिंह (भरतपुर): गंगा जी भारत की जीवन रेखा है। करोड़े लोगों की आस्था व श्रद्धा का केन्द्र है। गंगाजल प्रदूषित नहीं हो इसके लिए समय रहते सभी उपाय करने की आवश्यकता है। गंगाजी जल-जीवन के साथ-साथ करोड़ो लोगों की जीविका का साधन है। वर्षा काल में बहुत अधिक पानी समुद्र में बहता है। स्वर्गीय राजीव जी ने गंगा शुद्धीकरण का विशेष अभियान चलाया था उनका स्वप्न था कि गंगा जल सदैव शुद्ध रहे। गंगा जी की भांति यमुना जी, राजस्थान की चंबल नदी सभी अतिक्रमण, प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। महानदियों के किनारे, बहुत बड़ी आबादी प्यासी, सिंचाई साधनों से वंचित भी है। ईश्वर की मानव को इस जलराशि की देन का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

सरकार से निवेदन है कि इन निदयों का संरक्षण किया जाये । पानी समुद्र में जाने से रोका जाये । बड़े-बड़े बांध बनाये जायें जिससे विद्युत उत्पादन हो, पेयजल पूर्ति हो मैं निवेदन करूंगा कि निदयों को लिंक किया जाय । चंबल पर धौलपुर में बांध बनाया जावे ।

गंगा जी, यमुना जी महान श्रद्धा का केन्द्र हैं । वहां आने जाने के साधन सुलभ सहज होने चाहिए । सड़कों का सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण, सेफ्टी वाल बनाना आवश्यक है । जिससे यात्री सुरक्षित रहें ।

^{*} Speech was laid on the Table

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Thank you, Sir... (Interruptions)

श्री ह्क्मदेव नारायण यादव: महोदय, जवाब तो कल हो सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, जवाब तो कल होना था।

MR. CHAIRMAN: Tomorrow, we have to take up one Calling Attention. Then, we have to pass three Bills also. Afterwards, we have to take up Discussion under Rule 193 also. So, tomorrow, if she is not in a position to reply, then we cannot get the reply. That may be the position. That is why I am asking her to reply, now.

... (Interruptions)

श्री गणेश सिंह: महोदय, क्वेश्चन ऑवर के बाद जवाब हो सकता है।

MR. CHAIRMAN: If she places the written speech, what is the use? If you want to listen to her today, after listening, you may also ask certain clarifications. If she places the reply on the Table tomorrow, it would not help as afterward there is no point in getting the reply and clarifications.

... (Interruptions)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, उस समय सब लोग यहां उपस्थित रहेंगे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please take your seat.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Some Members are saying that tomorrow, she can place the reply on the Table. Then, there is no point in asking clarifications. If she replies now, you can also seek certain clarifications. So, let her reply now.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Madam Minister, you may reply, now.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Thank you, Sir.

I have listened to all the hon. Members, who have made extremely important points, suggestions, expressed their emotions, raised points that are absolutely vital with regard to Mother Ganga.

Sir, Mother Ganga is not just a river.

एक माननीय सदस्य: मैडम, हिन्दी में बोलिये।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am sorry. I can speak in Tamil if you like. मैं तमिल में बात करूं।

श्री रेवती रमण सिंह: नहीं, नहीं, आप अंग्रेजी में बोलिये।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Thank you.

So, the river Ganga is, I believe, more than just a river. Some Members have called it mother. Some Members have talked about the origin and inception from Bhagirath of Mother Ganga. I believe that Mother Ganga is a thread, is a rope, is a rope of love and harmony, a symbol of national integration that binds the entire nation together.

There are my colleagues, who come from the extreme south of the country; those friends and hon. Members, who have spoken before me, come from places that are around Mother Ganga; those who have spoken before me come from where Mother Ganga originates; and I come from the deepest south, from the State of Tamil Nadu, and even there Mother Ganga is revered.

We talk about Mother Ganga and we sing about Mother Ganga. Our daughters, sisters and mothers are named Ganga. Ganga is a thread, is a bond, is an eternal bond of national harmony that binds the entire nation.

Therefore, the hon. Prime Minister and the entire Government are committed to maintaining the river Ganga, to maintaining and preserving the beautiful purity of the river Ganga and to maintaining the flow of Ganga.



So many Members have spoken so emotionally, so passionately the way the Ganga is wound and bound with our lives from birth to death; the way the children play along the banks of the River Ganga; the way the farmers farm their lands on the banks of the Ganga; the way that women tell tales on the stories of the Ganga; the way the cattle are brought to bathe in the Ganga; the way old and young people sit and watch the flow of the river and watch their lives go by on the Ganga; and the way people from birth up to death are cremated on the shores of the Ganga. So many people from all parts of the country, from the deepest South from Kanyakumari, have homes over there in Varanasi along the holy Ghats of the Ganga. So, the Ganga as a river that binds the entire country; and the Ganga as a river is of utmost importance to every single Indian. It is a symbol of our national integration. It is a symbol of our purity and it is a symbol to which we are utterly committed and dedicated to maintaining the purity and maintaining the flow.

I would like to thank Shri Rewati Raman Singh and Shri Sharad Yadav for bringing this extremely important subject before this House and I would like to thank every single Member for the important views that they have raised.

Before going on to the major points that have been raised by the hon. Members, I would like to make a point that three important issues were raised. First--and I think that was the one issue that exercised all the Members--was the entire question of dams, whether the flow of the river has been cut down by dams and whether the flow of the river at the point of origin has been cut down by the dams.

The second important point that was raised by the hon. Members is the question of pollution, after it flows through the dams, after it is used up at various levels, the question of why and how the water is polluted, what we can do about that pollution.

The third very important point is something about sand mining. The fact that sand mining and illegal sand mining that occurs on the banks of the Ganga is something that all of us have to pay a great deal of attention to and after that, but not less important, I need to deal also with a very important issue, that is, the question of where balance has to be maintained, where the upper reaches of the Ganga the water is taken away and diverted in various canals for irrigation purposes. That is also a reason why the flow of the river is also being cut down to a certain extent. There again we have to balance the needs of our brothers in agriculture and then see how we can make sure that the flow of the river continues to maintain its purity, to maintain the flow and to maintain its life giving properties right through the flow, throughout the flow of the river right down to the last possible point.

In a lighter vein I would like to say that I am extremely happy that all our hon. Members have kept talking about Mother Ganga. I think it is one day when women have got a great deal of importance in this hon. House. I am sorry that Sharad Yadav Ji is not here. He and the other hon. Member, I think, Dr. Baliram mentioned that the Prime Minister probably changed the Minister for Environment because he spoke in favour of the Ganga. I would like to assure them that it is simply not true. This is one Government, with one policy and we are totally committed to preserving whatever policy to preserve and protect the environment, particularly Mother Ganga.

As far as Sharad Yadav Ji is concerned, I believe that with his opposition to the Women Reservation Bill, maybe, he does not have confidence that a woman Minister can do the same justice to the River Ganga. But he is not here just now. I would like to reassure him that we are absolutely committed to taking every single one of the actions that all the hon. Members have raised. I would like to deal with them one by one. First, I just want to make a few general points. Then, I want to take the points made by the hon. Members. The uniqueness of the Ganga stems

from a variety of reasons. The Ganga is history, the Ganga is poetry, the Ganga is geography and the Ganga is economy.

If it is a stuff of our legends; if it is a stuff of our myths; if it is a stuff of our imagination, it is also the stuff of our history. So, many stories are woven around the Ganga. It is also our geography. We are changing our geography. We define our geography. What happens on the banks of the Ganga in Bihar; what happens in Patna; what happens in Varanasi; what happens in West Bengal – our geography is defined by the flow of me Ganga. A mythology is defined by the flow of the Ganga. Above all, as another hon. Member pointed out, our economy is defined by the flow of the Ganga.

It is stated that the State of Uttarakhand, which has constructed a dam at Tehri, and the water levels have come down. I want to tell the hon. House that the Ministry of Forests and Environment has actually assigned the study to the Hydro Energy Centre, the Indian Institute of Technology, Roorkee for an assessment of the cumulative impact of the hydro power projects in the Alaknanda-Bhagarathy basins upto Devprayag. Thirteen hydro power sites have been commissioned in the study area till date with the total installed capacity of 1851 MW and annual generation of 7860 MU. Fourteen projects of 2538 MW capacity are in an advance stage of construction. Forty-two projects with an installed capacity of 4644 MW are in different stages of development. Hydro power projects above one megawatt only have been considered in the study. But, all the sites, except the Tehri Project, are basically run-of-the-river projects. They are not dams. They are run-of-theriver projects. I am not, for a moment, saying over here that run-of-the-river projects are alright. So many of you have said that sometimes run-of-the-river projects change the course of the river. They dig tunnels in the Himalayas. They create problems especially in the seismically very sensitive zones. They create tremendous problems when they become tunnels and the water supply is cut down. Certainly, we have to take note of all these issues. I believe, it is the right of the people of Uttarakhand to ask from the Government of Uttarakhand and it is our

responsibility as the Government at the Centre to assess these projects. I would like to assure this House and every single Member who is sitting over here.

I myself come from a lower riparian State. I come from the last State at the bottom where the Indian Ocean meets the Arabian Sea. As from the lower riparian State, I am aware as to what happens when rivers pass through various States and what are the rights of the lower riparian States? Therefore, as a Central Government, it is our responsibility to take very seriously every proposal that has been submitted to us for consideration for these dams, study the environmental impact very carefully, make sure that they have no impact upon the flow of the river and upon lower riparian States. That is our responsibility. I assure this House that we will ensure that the environmental impact – whether it is seismic impact, whether it is a question of run-of-the-river, whether it is a question of the future of the river –it is our duty to see that it is protected. We will ensure that it is protected.

Sir, as far as the question of pollution is concerned, this is a very important question. With great respect, I would like to submit that hon. Members have not actually paid enough attention to it. I know it is something which agitates all of us; I know it is something which agitates me. When I come from the State of Tamil Nadu and somebody dams up a particular river that comes into my State, the people who live in that State are bound to suffer. So, this is the first thing that comes to arise. However, the major problem in relation to the Ganga is the question of pollution. What are the details regarding the pollution?

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय मंत्री जी, I can speak in English also but I will speak in Hindi. माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि प्रदूषण ही सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण तो तब है जब गंगा में पानी रहेगा। जब गंगा में पानी ही नहीं रहेगा तो प्रदूषण पर नियम-कानून बनाने से क्या होगा? आपको मैं इन्वाइट करता हूं। आपने रूड़की के आंकड़ें पढ़ दिए। आप जरा बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव, पटना आइए। मैं आपको दिखाऊंगा कि गंगा की क्या दुर्दशा हो गयी है।

माननीय मंत्री जी, आपने कह दिया कि उत्तराखण्ड को बिजली की जरूरत है। उत्तराखण्ड या देश को अगर बिजली की जरूरत है तो क्या आप भारतीय सभ्यता-संस्कृति का नाश कर देंगी?

भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं बचेगी, हिमालय नहीं बचेगा। आप कह रही हैं कि टनल बनाने से क्या होगा, टनल से ही नाश हो रहा है। वहां ब्लॉस्टिंग की जा रही है। कच्चा पहाड़ है।...(व्यवधान)

श्रीमती जयंती नटराजन: वही मैं कह रही हूं।

श्री रेवती रमण सिंह: माननीय मंत्री जी, आप इस तरह का जवाब न दीजिए। आपने खाली जवाब दे दिया, अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा।...(व्यवधान) आप ये बात करते रहिएगा। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते थे, उन्होंने गंगा प्राधिकरण बनाया।...(व्यवधान) श्रीमती जयंती नटराजन: आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं वही कह रही हूं, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर टनल्स नाश करेंगे, हम परमीशन नहीं देंगे।

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair, Madam Minister. Otherwise, it will become a debate.

श्रीमती जयंती नटराजन: जहां टनल्स होंगे, प्रोबलम होगी, वहां हम परमीशन नहीं देंगे, यही मैं कह रही हूं।

Sir, I want to repeat something. My entire point is that, that is the reason why I took it as the very first issue. Many hon. Members have concentrated greatly upon the question of dams. That is why I read out a study that has been conducted by the Ministry of Environment. There are many studies. I assured the House at least three times that whoever may apply for a dam, it is the right of any citizen to apply, as the Central Government it is our responsibility to maintain the flow of the Ganga. I assured the House and I can repeat it another five times if you like that we will not allow the Ganga to be reduced to a trickle. We will ensure that the flow of the Ganga remains. We believe in it very strongly and I said repeatedly that as a lower riparian State..... (*Interruptions*) If politics is going to be made out of it, then I have nothing further to say.

Let me go back to my issue. The question of dams is very important. All the hon. Members were exercised by the issue of whether dams can be allowed, whether tunnels can be built. I am assuring the House one more time that as the Central Government, it is our duty and responsibility to see that no dam is allowed to be built which may create some problem in a seismic zone, which may create any lack or lessening of the flow in the river Ganga or to create any problem for the lower riparian State of the Ganga. I can do no more than that.

I am, therefore, moving on to the next point, which is, I believe, an equally important issue. So many Members have spoken about the problem of pollution. Pollution of whatever water is flowing down, after those run-of-the-river dams which have come down, is something that needs to be tackled in a very serious way. I want to deal with the question of pollution.

Before that, I would also like to point out a very important issue. Members were talking so much about the dams. Even though it was this Government which has already spent Rs.600 crore on three important hydro-electric projects on the river Bhagirathi – the Loharinag Pala, the Pala Maneri and the Bhairongathi projects in Uttarakhand; the Loharinag Pala was an NTPC project – all the three were cancelled by the Central Government. All the three were cancelled only because the Government is committed to ensuring that the river Ganga continues to flow with the greatest flow and with the greatest of purity. So the Government is absolutely committed.

First of all, the Ganga Action Plan which was commissioned by Shri Rajiv Gandhi began its work and now the Ganga Action Plan is working in full swing under the National Ganga River Basin Authority. Somebody said that no meetings have been held. This is not true. Hon. Prime Minister is the Chairman of the National Ganga River Basin Authority. Chief Ministers of the respective States are also Members and senior members of the Cabinet are also members. Two meetings have been presided over by the hon. Prime Minister on 5th October 2009 and the 1st November 2010. A Standing Committee has been chaired by the hon.

Finance Minister on the 27th December 2010 and the next meeting is going to be held later this month.

The next meeting is going to be held later this month. Therefore, the National Ganga River Basin Authority is carrying on its work with a great deal of seriousness and also Rs. 15,000 crore as a whole have been set aside for the work to be carried out in the National Ganga River Basin Authority, which should be viewed holistically. Out of that. Rs. 2,006 crore have already been spent.

Pollution loads on rivers, including the Ganga, have been increasing over the years with rapid urbanisation, industrialisation and increase in population. Extraction of water for irrigation, industrial and drinking purposes is compounding the problem and making the water in the river less. There is a very large gap between the quantum of pollution loads like sewage and industrial effluents which are being discharged into the rivers and the available sewage treatment capacity. This problem is further compounded by the inadequate flow, as the hon. Member has said. There are toxic pesticides also coming from agricultural fields, which flow into the river, besides open defecation, cattle-wallowing, garbage disposal, carcass-dumping and so on. And the deforestation, which other Members have pointed out, has also contributed to the problem.

Now, all the Central and State Agencies have to cooperate. Tackling pollution in the river is something which we have to do together. Raw untreated domestic sewage is pumped into the Ganga. This is a sad tragic fact that all of us have to face very squarely and also to be responsible for. Every single one of us has to try and prevent it. As per the Central Pollution Control Board's figures, the estimated wastewater generation in the year 2009 from 498 class I and 410 class II towns in the country was around 38,254 million litres per day (MLD). Against this, we have a treatment capacity of only 11,787 MLD. So, there is a gap of 26,467 MLD to treat sewage. So, creation of sewage treatment capacity has not kept pace with the growth in population all along the sides of the River Ganga.

In the Ganga basin, approximately 12,000 MLD sewage is generated, for which there is only a treatment capacity of 4,000 MLD. Approximately, 2,900 MLD of sewage is discharged into the main stem of the River Ganga.

Sir, several Members spoke about industrial pollution. Volume-wise, it is only about 20 per cent of the whole pollution, but because of its toxic and non-biodegradable nature, this assumes far greater significance. The major contributors are tanneries, distilleries, paper mills and sugar mills.

The State Pollution Control Boards of the States, which lie along the Ganga, are required to monitor the compliance of effluent discharge standards by the industries and action must be taken against the defaulting industries. Somebody asked what action we have taken. I would like to point out that action must be taken by the State Pollution Control Boards (SPCBs) under the powers delegated to them by the Central Government under the relevant provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act and Environment (Protection) Act. I would like to urge the hon. Members, my respected colleagues, to urge their respective State Governments to take action against the defaulting industries immediately so that the SPCBs can, once again, re-assert their powers and make sure that the water becomes pure again.

Sir, an important challenge is to maintain the ecological flow. As I said before, a large portion of the water of the Ganga gets diverted for agricultural reasons. This also reduces the flow downstream.

Then, there is the issue of inefficient and wasteful use of water. The urban bodies which take water from the Ganga have to ensure that it does not happen. Now, we have to become very conscious that every drop of water is precious. I believe that it is as important as making sure that the sewage treatment plant in every municipality works properly. It is equally important to ensure that water is efficiently used and there is no inefficiency and wasteful use of water in the urban areas. Therefore, the urban local bodies and the State Governments should work

hand in hand along with the Central government to ensure that these are put into action.

The Ganga Action Plan Phase II in 1993 covered the tributaries of the Ganga, namely, the Yamuna, the Gomti, the Damodar and the Mahananda. The total expenditure incurred for abatement of pollution in River Ganga by the Ministry of Environment and Forests is Rs. 1,045 crore and sewage treatment capacity of about 1,100 MLD has been created.

Sir, purely as a result of these steps -- which have been undertaken by the Central Government; by the Ganga Action Plan Phase – II; and by the expenditure and the sewage treatment capacity that has been created -- the river water quality in key areas, namely, Bio-chemical Oxygen Demand (BOD) and Dissolved Oxygen (DO) has improved in most of the locations. It has improved in most of the locations, except in the stretch between Kannauj and Varanasi in Uttar Pradesh. It is not perfect. We are working hard and we will continue to work harder. This has happened because of population and of other pressures also. These are all results of the monitoring undertaken by IITs at Kanpur, BHEL and Patna University.

But as hon. Member, Mr. Mahtab pointed out, the faecal coliform count in Ganga, which is a measure of bacterial contamination, far exceeds the prescribed standards at several locations. I agree and I acknowledge this problem. But I only want to point out that we are really working hard. We are totally focused upon it, but for the work, which we have already undertaken, it would have been much worse. Now, that is not a great consolation and it is not something to be proud about. I am only pointing out that a great deal has been done and a great deal remains to be done. We remain committed to making sure that we take the task forward to its logical conclusion.

As regards inadequate operation and maintenance (O&M) of the sewage treatment plants (STPs) by the States, it is a major cause of concern. I would like to urge the hon. Members to urge their State Governments to make sure that there is no under-utilisation of these STPs. There should be a connecting sewerage network. There is no use having a sewage treatment plant if the entire sewerage network of the city is not working. So, unless the sewerage network is maintained by the Urban Local Body and by the State Government, the entire sewage treatment plant becomes a waste and the domestic effluent is immediately discharged untreated into the river Ganga. So, branch sewers and house sewer connections are also a very important problem, which have to be tackled by the Urban Local Bodies. We have to build awareness among the Urban Local Bodies and the State Governments to make sure that these sewerage treatment plants work.

We remain committed to giving grants; to participating in monitoring; to giving them expert advice and to do whatever we can, but this is an effort for which the State Government, local bodies and every citizen has to cooperate. Otherwise, this is not an effort that is destined to succeed.

As far as the National Ganga River Basin Authority (NGRBA) is concerned, this was an empowered planning, financing and monitoring authority. As I said, all the Chief Ministers are members of this Authority. The NGRBA has decided that approximately 135 kms. stretch from Goumukh to Uttarkashi on the river Bhagirathi should be declared as an eco-sensitive zone under the Environment (Protection) Act. It has accordingly been declared and is being monitored. The draft notification has been issued in July, 2011.

As I said, there is a Ganga Basin Management Plan. What are the measures that we are taking in general to improve the implementation of projects under NGRBA? We want to involve everybody. It is not something that we can do alone. Therefore, we want to constitute State-level empowered State River Conservation Authorities (SRCAs) under the Chief Ministers in the five Ganga States; we want to set up State Program Management Groups (SPMGs) as dedicated

implementation institutions in the States; we want to sign tripartite Memorandum of Agreements (MoAs) with the State Governments / Urban Local Bodies; we want an independent appraisal of the Detailed Project Reports by reputed professional institutions; we want to install third-party inspection for projects under NGRBA; and we also intend to set up a dedicated cell under the Central Pollution Control Board (CPCB) for inspecting and monitoring of industrial units discharging effluents into the river Ganga.

Therefore, I will repeat once again that the Central Government can only supplement the efforts, which are taken by the State Governments and by the Urban Local Bodies (ULBs). It is the Urban Local Bodies, which are on the spot. It is not an abdication of responsibility. It is the Urban Local Bodies and the Governments, which are on the spot that have the primary duty and the capacity also to ensure that these measures work.

I will be very quick to answer and I know that we have a shortage of time. I think I have already answered what Shri Rewati Raman Singh said that the two meetings of the NGRBA had never met. I have already pointed out that we have already met and State level meetings are also going to be held. The issue of the river flow is being addressed. The question you raised that it has no water, how can you keep it clean? That is also an important issue. Theed to tell him through you, Sir, which is being addressed under the NGRBA. I have already said that three hydro power projects have already been cancelled. The entire basin management plan is being prepared by a team of experts which will ensure the flow of water. NGRBA is a legally empowered authority created under the Environment Protection Act. The implementation, as I said, has to be done by the States and the cancellation of these three projects is something that I referred to in greater detail.

Sir, excessive exploitation is something that I think should concern every single one of us. And as far as excessive exploitation is concerned, it is matter of people and it is a matter of democracy. I think we all have to agree in a spirit of cooperation in this august House and outside to cooperate with each other in

sharing the water. Otherwise, there will be a confrontation between the people of upper riparian State and lower riparian State. I think upper riparian States have to be extremely conscious of the fact that rivers are national assets and rivers have to be dealt with at the national level. Therefore, the river Ganga is more important as a national river and has to be looked in this light that it is a national asset and that it has to be looked at flow of the river at the lower riparian States. I only want to refer once again to what I am saying about the flow of the river and the rights of the lower riparian States. As far as dams are concerned, whatever my repeated assurance is that the Central Government will not do anything that will harm or endanger the natural flow of the river Ganga which is a national asset and the treasure.

Sir, the mission Clean Ganga as decided by the NGRBA aims to achieve that no untreated sewage will be discharged into the Ganga by 2020. We have already set up a mission Clean Ganga and we have also appointed a new mission Director who will take over very soon and we will promote new technological approaches to ensure that the River Ganga becomes clean by 2020 which is our goal. Illegal sand mining has to be curbed also by the State and District authorities and we have been repeatedly saying that this illegal sand mining has to be curbed. I have also written to the Chief Minister of Uttarakhand to ensure that the illegal sand mining in Uttarakhand should be immediately curbed. I have repeatedly said that community participation is extremely important. I do not want to repeat that again.

I think hon. Member Shri Baliram talked about projects for Varanasi and Allahabad. We have already sanctioned projects for cleaning of STPs at Varanasi and Allahabad. We have given Rs. 296 crore for Varanasi and Rs. 447 crore for Allahabad. This is now for the State Government and for the urban local bodies to ensure that this money is properly, wisely and efficiently used. We have done our bit. We are willing to go there and give our advice. It is now for your Government to go there and make sure that those STPs work because if the State Government

and the urban local bodies do not cooperate, the river Ganga is not going to get clean particularly, at Varanasi and at Allahabad even after spending all that money.

Mr. Sharad Yadav mentioned about Ganga expressway. No proposal for environment clearance has been received by the Union Government. Nobody has asked us to give clearance for the Ganga expressway. And also, the economic growth and power requirements in relation to the Ganga expressway are something that we deal with when an application comes. So far, we have not received any application. That question does not arise. He said that there is no full-fledged office, well I am the office, Sir. He can always talk to me at any point of time.

SHRI JAGDAMBIKA PAL: They have applied. But the State Government is already there.... (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I would like to assure the hon. Member that if something is being done without proper approval, we will take due note of it and take action under the law. A separate office has been set up for the National Gangar River Basin Authority. If only he took the care to come to Paryavaran Bhavan, he would know that the office is there. A full time MD has been appointed and lots of dedicated staff are sitting over there. It is only waiting for the hon. Members to come and visit us. I would like to invite them to come and visit us so that they can see that there is a full-fledged office.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: First call the Consultative Committee meeting there so that we can come there.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I agree with you.

About the Ganga Expressway Project, it has been stayed by the High Court. That is what I understand from my officers. I understand that it has been stayed by the High Court.

श्री सतपाल महाराज: मंत्री जी, उत्तराखंड के लिए भी कुछ बोलिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: She has already explained that.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: As far as Kanpur tanneries are concerned, Central Effluent Treatment Project was implemented under the Ganga Action Plan. But it has not been maintained and operated properly. This is the problem that I find throughout this area. The operation and maintenance of all the sewage treatment plant – I am sorry, I am not being political, I am just stating a fact – is with the State Government. It is for the Government of Uttar Pradesh to maintain that plant. We can give them the money to build it. As far as Kanpur is concerned, that plant is simply not maintained and operated properly. And under the National Ganga River Basin Authority, we are revamping this with the active involvement of the tanneries' association. The State Government has to ensure that tanneries do not dislodge their effluent directly into the drain by-passing the CETP. This is something that the State Government has to do. We can only sit here at the Centre and do this.

Shri Lalu Prasad ji talked about project implementation. As I said repeatedly, this is the responsibility of the State Government and their agencies. The Central Government on its part is taking a large number of steps particularly to check the misuse of funds. One hon. Member said that all the funds have gone into the stomach of the Ganga. We are taking, therefore, third party inspection. We want a proper audit; we want frequent inspection by officers. But the basic responsibility of implementing the scheme or of spending the funds or seeing that they are properly implemented has to be that of the State Government. This is the reason why I repeatedly say that the State Government has to take the primary responsibility.

About the Dolphin Conservation Plan, it has already been prepared. It has been prepared by experts. We are putting it into effect and very soon I hope that we will all go together and see Dolphins perhaps in another Consultative Committee meeting when we go along the River Ganga!

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: What about the Gariyal Project?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I know, there is also the Gariyal Project which I have not yet mentioned.

As far as Tamil Nadu is concerned, we have sanctioned Rs.915.92 crore of which Rs.623.60 crore has already been released by the Government of India. The total expenditure incurred by the State Government was Rs.871.74 crore. About 13 towns were covered. The funding pattern is hundred per cent by the GOI. In five old towns, it is hundred per cent by the GOI and in seven new towns, it is on the basis of 50:50 between the Centre and the State. The names of the towns are Chennai, Bawani, Erode, Karur, Kumbakonam, Kumarapalyam, Madurai, Mayiladuthurai, Pallipalayam, Tanjavur, Tiruchirappalli and Tirunelveli. About 83 schemes have been sanctioned. The number of schemes completed is 56 and sewage treatment capacity created is 477.66 MLD.

Sir, I would like to refer to the status of the NGRBA projects in Uttarakhand. Fifteen projects have been sanctioned by the NGRBA in Uttarakhand at a total cost of Rs.155.60 crore. The funds released by the Government of India so far are Rs.32.57 crore. Corresponding share that has to be provided by the State is Rs. 9.77 crore. The total funds available are Rs.32.57 crore. Unspent balance is Rs.24.60 crore.

Every single State is getting due consideration as far as the cleaning of rivers, maintenance of rivers and making sure that at least abatement of the pollution in our rivers takes place. Rivers are our lifeline. The mother Ganga is the symbol of our national integration. We will leave no stone unturned to make sure that the flow of the Ganga continues. But I want to conclude by pleading with all of you. You have seen mother Ganga. This requires the cooperation and sustained efforts by the Central Government, by the State Governments, by every single citizen of this country. ... (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, आप उत्तराखंड सरकार से बात करें और वहां जो बांध बन रहे हैं, उन पर रोक लगवाइये। ...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I have already spoken about that.

And it is only by joining together that we can save the Ganga, the symbol of our national integration.

श्री रेवती रमण सिंह: सभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनका जवाब निराशापूर्ण है। इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमैंट बना रही है। ...(<u>व्यवधान</u>) आप पर्यावरण मंत्री हैं। आप उसमें रोक क्यों नहीं लगवा रही हैं? उत्तराखंड को अगर चाहिए, तो वह सोलर एनर्जी से क्यों नहीं बिजली पैदा करता? विंड से क्यों नहीं बिजली पैदा करता? ...(<u>व</u>्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You ask what you want.

... (Interruptions)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी को राज्य सरकार पर टाल रही हैं। ...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह: सभापित महोदय, मैं और मेरा दल मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट है, इसिलए हम सदन से बिहिष्कार करते हैं।

19.52 hrs.

Shri Rewati Raman Singh and some other hon. Members then left the House

श्री दारा सिंह चौहान: माननीय सभापित जी, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। ...(व्यवधान) वे मूल प्रश्न से हट रही हैं। ...(व्यवधान) अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए राज्य सरकार पर दोषारोपण लगा रही हैं। ...(व्यवधान) इसके विरोध में हम सदन से बिहिष्कार करते हैं।

19.53 hrs.

Shri Dara Sihngh Chauhan and some other hon. Members then left the House

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up 'Zero Hour' and the sitting can be extended till this is over. I think the House agrees with this.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापित महोदय, मैं हिमाचल राज्यों के कृषकों की ऋण माफी के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, मध्य हिमालयी राज्यों के किसानों और बागवानों को केन्द्र सरकार की किसान ऋण माफी का आंशिक लाभ मिला। जो किसान इन पर्वतीय राज्यों के सीढ़ीनुमा खेती में नगदी फसलों एवं फलों की बागवानी करते हैं, उत्पादन वृद्धि और गुणवत्ता लाने तथा अपने सब्जी एवं फलों के उत्पादन को दूर-दराज के पहाड़ी ग्रामों से सब्जी-फलों की माल ढुलाई, छोटे परिवहन जैसे कमाण्डर यूटीलिटी आदि से पहाड़ों में बनी कच्ची-पक्की सड़कों से देश की दूर-दराज मंडियों तक अनेक अड़चनों के साथ पहुंचाने के लिए इन्होंने जो सरकारी और राष्ट्रीय बैंकों से ऋण लिया था, उनके ऋण की माफी वित्त मंत्रालय ने इस दृष्टि के अन्तर्गत नहीं की। उन्होंने यह कहकर कि यूटीलिटी कमांडर से अपने खेत से बाजार तक पहुंचाना कृषि कार्य नहीं है, वह कमर्शियल कार्य है।

इस तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के अनेक बागवान जिनकी संख्या अधिक नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय एवं सहकारी बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। इनमें से ऐसे कृषक हैं, जिन्होंने मूल धन से अधिक यानी अभी तक दुगनी धनराशि चुका दी है। फिर भी 16 प्रतिशत से अधिक ब्याज के कारण बैंकों को कर्ज चुकाने के नोटिस और कर्ज न चुकाने ... (व्यवधान)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...(<u>व्यवधान</u>) जमीनों की नीलामी के नोटिस दिये जा रहे हैं। पिछले कई सालों से पर्वतीय राज्यों में अतिवृष्टि, तूफान, ओलावृष्टि, सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति टूटती जा रही है और अधिकांश किसान ऋण चुकाने में अक्षम हैं।

वित्त मंत्रालय और केन्द्र में बैठे महानुभावों को यह नहीं मालूम कि पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कों पर बड़े ट्रक नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने के लिए सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन लेना पड़ता है। ऐसे बागवानों और कृषकों ने अपनी यूटीलिटी और कमांडर का उपयोग कमिशयल उत्पाद के लिए नहीं किया। निजी फसलों ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि कृषकों-बागवानों के यूटिलिटी, कमांडर के ऋण माफ किए जाएं और ऐसे ऋणों की माफी अवश्य की जाए जिन किसानों ने मूलधन दे दिया है और उसके साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज बकाया है।...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हिमालयी राज्यों के यातायात, परिवहन की सड़कें, दूरावस्थी मंडियों के दृष्टिगत पर्वतीय क्षेत्र के यूटिलिटी, कमांडर को कृषि मशीनीकरण की उपयोगिता के अंतर्गत ऋण माफी देकर किसानों को राहत प्रदान की जाए।

MR. CHAIRMAN: You cannot make a lengthy speech during 'Zero Hour'. I request all the hon. Members to make the points very briefly within a minute or two. It is not a debate.

Now, Shri P. Kumar.

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Thank you, Mr. Chairman. In my Parliamentary Constituency, Golden Rock Workshop is one of the primary Railway workshops in which around 5,000 employees are working and there are around 3,200 quarters within the Ponmalai area. The Golden Rock Railway Workshop is involved in wagon production, periodical overhauling of wagons, overhauling of diesel locomotives and steam locomotives.

Divisional Railway Hospital is also located at Ponmalai; the injured passengers, during the times of accidents are to be brought to this hospital through NH-45 Road. Several schools are also located within this Ponmalai Complex in which more than 2,000 students are carrying on their studies.

Ponmalai Railway Station is also situated in this area and the passengers are used to travel through NH-45 to reach the Railway Station. The raw materials for the workshop at Golden Rock are being transported through NH-45. City buses are plying through the Ponmalai Colony from Central Bus Stand towards various villages like Ponmalaipatty, Melakalkandarkottai, Rail Nagar and Ambikapuram near the workshop.

The construction of four lane in NH-45 has already been completed. At present, the NH authorities have diverted the traffic in service road from Toll Gate to G-Corner. Due to the heavy traffic congestion, the accidents are occurring frequently. In order to ease the present traffic congestion and to prevent recurrence of frequent accidents, there is an urgent need for construction of one subway in NH-45 at G-Corner point. The authorities of the Ministries of Railways and the Road Transport and Highways will have to sit together with the authorities of the District Administration to arrive at an amicable solution for the construction of the subway which is a long pending demand of the people of my constituency.

खाँ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि राजस्थान का नागौर जिला, जो मेरा संसदीय क्षेत्र भी है, हैण्डटूल्स के लिए सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध रहा है। नागौर स्थित एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर-हस्त औजार का कोई विशेष उपयोग नहीं हो रहा है। यहां से एमएसएमई विकास संस्थान, जयपुर में 300 किलोमीटर दूर है तथा बीकानेर व जोधपुर संभाग से बहुत अधिक दूरी जयपुर की है। एमएसएमई विकास संस्थान उत्तर प्रदेश में चार, मध्य प्रदेश में दो, तिमलनाडु में चार, केरल में तीन, बिहार में तीन व अन्य राज्यों में दो से अधिक हैं, जबिक राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत होने पर भी, वहां सिर्फ एक ही संस्थान जयपुर में कार्यरत है। अतः पश्चिमी राजस्थान के लोगों को उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने के लिए नागौर के इस केंद्र को एमएसएमई विकास संस्थान में तब्दील कर देना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के उद्यमियों व बेरोजगारों को ईडीपी, एमडीपी, कलस्टर विकास, आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास कार्यक्रम आदि सब तरह की जानकारी मिल सके।

नागौर में विकास संस्थान खुलने से उद्यमियों व व्यवसायियों को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। विकास संस्थान खुलने के साथ राज्यस्तरीय सलाहकार बोर्ड अलग से हो, तािक पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग का भी विकास हो सके। अतः मेरा अनुरोध है कि नागौर स्थित एमएसएमई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर - हस्त औजार को जयपुर की तरह का एमएसएमई विकास संस्थान बनाया जाए, तािक सभी तरह की टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके और यह संस्थान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर व नागौर जिला इत्यादि के उद्यमियों व बेरोजगारों को लाभ प्रदान कर सके। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, केन्द्र सरकार की केंद्र पोषित सारी परियोजनाएं चाहे मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो, एमपीएलएडी स्कीम हो, स्वर्ण जयंती योजना हो, डीडब्ल्यूसीआरए, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्कीम या इसी तरह की सारी योजनाएं राज्यों के जनपदों में डीआरडीए के माध्यम से चलती हैं और पिछले तीस-पैंतीस वर्षों से लगातार ये योजनाएं चल रही हैं, जबिक शुरू में, वर्ष 1970 में 45 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया और फिर बाद में देश के सभी जिलों को लिया गया। लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें डीआरडीए के एडिमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था, अब यह कहा गया है कि 21 मार्च, 2012 के बाद डीआरडीए को जो पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था, नहीं दिया जाएगा।



20.00 hrs.

यह निश्चित तौर से डीआरडीए के समक्ष एक अनिश्चय की स्थिति पैदा हो गई है और मार्च 2012 से सभी जगह के डीआरडीए समाप्त हो जाएंगे। उनमें कार्यरत कर्मचारियों को कहीं और समायोजित करने की बात भी नहीं की गई है और न ही कोई यहां निर्देश है कि जो सेंद्रली स्पॉसर्ड स्कीम्स हैं, उनका क्या होगा। क्यों सारे जनपदों में डीआरडीए ही उनके प्रस्तावों को तैयार करता है, क्रियान्वित करता है और फिर धरातल पर उतारता है। आखिर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए या ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए जिस डीआरडीए की स्थापना हुई थी, अगर उसे बंद करने का निर्णय लिया जाएगा इन परिस्थितियों में, कुछ राज्यों में इसे ग्राम विकास या जिला पंचायत के साथ समायोजित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश और इस तरह के अन्य राज्यों में मार्च 2012 से डीआरडीए बंद हो जाएगा, तो सारी केन्द्रीय परियोजनाओं के भविष्य का क्या होगा? उन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके अलावा इसमें जो पिछले 30-35 वर्षों से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इस बात को लेकर देश के सभी डीआरडीए के कर्मचारी आज जन्तर-मन्तर पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि वह इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे और निश्चित तौर से ग्रामीण विकास मंत्रालय इस बारे में कुछ करे या राज्य सरकार उनका समायोजन करे तथा उन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करे। इसके साथ केन्द्र की जो योजनाएं हैं, उन्हें लागू करने की दिशा में यथावत व्यवस्था को लागू करे।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापित जी, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश के संविदान में लिखा है कि भारत सरकार के आर्थिक संसाधनों में प्रत्येक नागरिक एवम् सभी भूभाग को बराबर का अधिकार है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह देखने में मिल रहा है कि केन्द्र सरकार आर्थिक संसाधनों को पहचान-पहचान कर सिर्फ वोटों को ध्यान में रखकर बंटवारा कर रही है। यही कारण है कि गैर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि उनके साथ केन्द्र सरकार द्वारा लगातार भेदभाव किया जा रहा है।

मैं उदाहरण के रूप में मध्य प्रदेश की एक बड़ी सिंचाई योजना का जिक्र करना चाहता हूं। भारत सरकार ने देश की कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। उसीके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वरगी बांध की दाईं तट नहर, जिसमें चार जिलों की लगभग एक करोड़ आबादी लाभान्वित होने वाली है, उस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने हेतु सभी नियमों का पालन करते हुए राज्य शासन ने भेजा है। उसमें लगभग 3400 करोड़ रुपए का व्यय होना है। विगत तीन वर्षों से मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, कटनी और जबलपुर जिलों के लोग

इंतजार कर रहे हैं। मैं लगातार इस मुद्दे को सदन में तथा माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री जी के समक्ष उठाता रहा हूं और उन्हें विषय से अवगत करा चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर उस क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करने का कष्ट करे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य है और सड़कें ही हमारी जीवन रेखा हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 2011-2012 के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भी राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक कि वहां पांच नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनने हैं और कई राष्ट्रीय राजमार्गों को अपग्रेड करने की जरूरत है। उसीके साथ-साथ बारिश के बाद खस्ताहाल सड़कों का हुआ है, उसकी देखरेख के लिए धन का प्रावधान नहीं किया गया है। यहां तक कि हमीरपुर शहर के लिए जो बाईपास बनना है, उसके लिए कोर्ट के निर्णय के बाद एक नया प्रपोजल बनाकर भेजा गया कि 17.70 करोड़ रुपए चाहिए, तािक जिनकी जमीन हमें लेनी हैं, उन्हें मुआवजे के रूप में पैसा दिया जा सके। बनेरखड नेशनल हाईवे 88 के ऊपर लगभग 12.63 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, उसका भी बजट बनाकर भेजा गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि ये दोनों परियोजनाएं जो प्राक्कलन स्वीकृति के लिए यहां आई हैं, उन्हें जल्द से जल्द एप्रूव कराकर भेजा जाए। नेशनल हाईवेज के रखरखाव के लिए, जिनकी दुर्गति हुई पड़ी है, बड़े-बड़े खड़ड़े पड़े हुए हैं, मरम्मत नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाए। अगर जीरो-बजट रखा जाएगा केवल इसके लिए कि वहां पर विपक्ष की सरकार है, अगर इस नाते रखा गया है तो यह दुर्भाग्य है। अगर पहाड़ी राज्यों को एक तरफ आप कहते हो कि गंगा का पानी बहते रहना चाहिए, नीचे वाली स्टेट्स को नुकसान न हो और ऊपर से उन्हीं पहाड़ी राज्यों को सड़कों के रखरखाव के लिए केन्द्र सरकार पैसा नहीं देगी, तो हम पेड़ भी नहीं काटते, हम पानी भी नीचे जाने देते हैं, अगर कल हमारे, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य पानी पर रोक लगाएंगे और हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे,

मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो प्राक्कलन भेजे गये हैं इन्हें जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाकर भेजा जाए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Virender Kashyap is allowed to associate with the matter raised by Shri Anurag Singh Thakur.

प्रो. रामशंकर (आगरा): माननीय सभापित महोदय, मैं आगरा लोकसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। जहां ताजमहल है और 50-60 हजार दर्शक रोज आते हैं लेकिन वहां विकास की दृष्टि से शून्यता है। दुर्भाग्य से वहां फाउंडरी उद्योग परम्परागत रूप से चलता था लेकिन वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस उद्योग को प्रदूषण के कारण बंद कर दिया गया। वहां पूरी तरह से बेरोजगारी है और कोई दूसरा उद्योग नहीं है।

माननीय सभापित महोदय, हर साल आगरा से 10-20 हजार नौजवान देश के कोने-कोने में जाकर रोजगार के लिए भटकते हैं, वहां पर रोजगार सृजित किये जाएं, वहां पर आईटी पार्क का विकास किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर जो लम्बित योजनाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोरीडोर की योजना है, उसे विकसित किया जाए। विशेषरूप से आगरा में जसवंतिसंह आयोग की रिपोर्ट लागू हो जिससे हाई-कोर्ट की खंडपीठ का निर्माण हो सके और नौजवानों को वहां पर रोजगार मिल सके।

माननीय सभापित जी, आगरा में जो स्थिति है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए रोजगार सृजित किये जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

खाँ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, मैं आपका ध्यान क्लीनिकल रिसर्च के नाम पर भारतीय नागरिकों को गिनी-पिग के रूप में इस्तेमाल किये जाने के बारे में उठाना चाहता हूं। अभी फोर्टिज अस्पताल में रिसर्च के नाम पर मजदूरों पर ट्रायल किये गये, जिसमें किसी भी दवा का कोई साइड-इफैक्ट उन्हें नहीं बताया गया। जिस कंसेंट फार्म पर मजदूरों से दस्तखत कराए गये, उस कंसेंट फार्म की कोई समझ मजदूरों को नहीं थी। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में 10 से 14 साल की लड़कियों को एक एनजीओ पास के द्वारा कैसनोमो सर्विस की वैक्सीन दी गयी और यह आईसीएमआर की कंसेंट से दी गयी। लेकिन वैक्सीन के लिए कंसेंट फार्म पर न उन बच्चियों से हस्ताक्षर कराए गये न ही उनके माता-पिता से हस्ताक्षर कराए गये, बल्कि आदिवासी हॉस्टल की वार्डन से सिग्नेचर कराए गये और उन्हें बताया भी नहीं गया कि क्या कंसेंट फार्म में है। इसके अलावा पिछले एक साल में क्लीनिकल ट्रायल्स के नाम पर ड्रग्स-रिसर्च के नाम पर 670 लोगों की हत्या की जा चुकी है।

विदेशी कंपनियां अमरीका-यूरोप में आर एंड डी का काम करती हैं, वहां पर लोगों को नौकरियां देती हैं और जब ह्यूमन ट्रायल की बात आती है तो वे कंपनियां इंडिया में आकर उसे करती हैं। जिसके कारण फोर्टिज या इस तरह के अस्पताल जो लाखों रुपया कमाते हैं उनमें इंडियन्स गिनी-पिग की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसे कम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता है। उससे भी बड़ी बात है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लीनिकल रिसर्च जिसे कंम्पनसेशन की पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है, उसमें 17 फार्मा कंपनियों के मैम्बर्स हैं। मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि उन्हीं दवाइयों का ट्रायल इंडिया में करने दिया जाए जिनकी आर एंड डी लैब इंडिया में हैं, जिससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में रिसर्च कर सकें।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्वायंट है। ड्रग ट्रायल के नाम पर इंडियन्स को गिनि पिग के रूप में यूज किया जाता है, इस खेल को बंद किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Dr. Kirit Premjibhai Solanki associated himself with the matter raised by Dr. Sanjay Jaiswal.

Mr. Ganeshamurthi to speak. Please do not raise the matter relating to Mullaperiyar dam as it is a *sub judice* matter.

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE):In Tamil Nadu, in the areas bordering Kerala especially in places like Theni and Cumbum cutting across party lines and also language and religious barriers all the people both men and women are greatly agitated for the past two weeks and more and are pressing for protect the rights of Tamil Nadu in sharing river water there and to protect the Tamils who are being attacked in areas like Devikulam and Peermedu in Kerala.

The road transport between two States in these areas have been virtually stopped. This has affected the movement of lakhs of Ayyappa devotees who have taken 'Irumudi' and are to visit Sabarimala as pilgrims. In Kerala even Sabarimala pilgrims have been attacked and their vehicles have not been spared.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil

They have been running back to Tamil Nadu leaving even their vehicles. Even the police force there are mute spectators without giving protection to Tamils. Even the vehicles going from Coimbatore, Pollachi and Udumalpet are attacked in Kerala. So even in these routes transportation has been stopped. All the 13 entry points to Kerala may also face total stoppage of vehicles.

When we got Independence, linguistic states were created and places like Devikulam and Peermedu in Idukki district which had 92 % of Tamils was given away to Kerala. Even at that point of time, the demand for not including these two towns with Kerala was ignored by K.M. Panicker who headed the States Reorganisation Commission. When Pattathanupillai was Chief Minister of Kerala, people in the prisons of Kerala who were released on condonation were settled in the areas like Devikulam and Peermedu with five acres of land and five thousand rupees through cooperative loans. Even after, settling people like that to change the demographic pattern the Tamil population is still 57% or more. Now, it is reported that they are all being threatened to go back to Tamil Nadu. Even the Government schemes are denied to them. The Tamils who have escaped from the attacks are reporting to media these happenings.

The mis-judged merger of these 97% Tamil speaking areas with Kerala is the route cause of the present tension prevailing in the border areas. In order to put and end to these problems once and for all Idukki district may be merged with Tamil Nadu. I urge upon the Union Government to look into this. (*Interruptions*) MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Mr. Satpal Maharaj, this is a State subject. Therefore, you tell what you want from the Centre.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के उन बीटीसी प्रशिक्ष्ओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो अपने रोजगार की मांग को ले कर देहरादून में

^{*} Not recorded.

शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये अपनी नियुक्ति संबंधी मांगों को ले कर आंदोलन करने पर विवश हैं, लेकिन राज्य सरकार इन बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है।

सन् 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशिक्षण वर्ष के आधार पर जो विज्ञाप्तियां जारी की गई थीं, उन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती उत्तराखंड राज्य में की जानी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह वर्ष 2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों को लागू कर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करे और पहले तीसरे सत्र की परीक्ष ले। उसके बाद सेवायोजित कर इन प्रशिक्षुओं को क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए भेजे। साथ ही लाठी भंजवाने व गिरफ्तारी पर इन प्रशिक्षुओं से माफी मांगे तथा इन्हें उचित मुआवजा दे।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, बिहार के नवादा जिला के अंतर्गत बारसलीगंज प्रखंड में नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही 1500 वर्ष पूर्व अपसढ़ ग्राम में वैदिक, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जहां बौद्ध, सैफ, वैश्नव सम्प्रदायों का शिक्षण प्रशिक्षण हुआ करता था। विश्व की वैदिक अवधारणाएं वैचारिक मंथन का विषय बनते थे। अपसढ में बाराहवतार भगवान विष्णु की भू देवी उद्धार प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जो अपने प्रकार की दुर्लभतम और विशालकाय मूर्ति है जो एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। अपसढ के साथ पार्वतीपुर, गिरीयक, शाहपुर, जमनुमा आदि गांव भी वैदिक संस्कृति के विभिन्न बिंदुओं के संगम स्थल रहे हैं। गुप्त और पाल राजवंश के मध्य काल के इतिहास को पुरातात्विक दृष्टि से जानने के लिए अपसढ सबसे प्रमुख स्थान है। यह काल उत्तर गुप्त शासकों का था जिसकी सांस्कृतिक राजधानी अपसढ थी। आज अपसढ पुरातात्विक अवशेषों का भग्न रूप है। यहां श्री आर्दिंत्य सेन की पत्नी द्वारा निर्मित 200 एकड़ का तालाब थो जिसके नीचे से सीढ़ियां थी और आज भी गहरे कुएं हैं जो भग्न अवस्था में हैं। समग्र जीवन पद्धति है जो सामाजिक संस्कार, चेतना और आचार विचार के योग से निर्मित होती है। सभ्यता बाह्य आकृति है और संस्कृति आंतरिक सांस्कृतिक चेतना होती है। आज अपसढ विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। कभी-कभी उसकी आंतिरक चेतना विकास का सम्बल नहीं पाकर हिंसक, विस्फोटक आकृति ग्रहण करने लगती है और इलाके के जनमानस को अपने संघातिक प्रहार से लहुलुहान भी कर बैठती है। अपसढ समाज के विकास का अमृत कलश बन सकता है बशर्ते उसकी ऐतिहासिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार उसे पर्यटन स्थल की मान्यता प्रदान करे। श्री कोणादेवी तालाब का जीर्णोद्धार करे। अपसढ को राष्ट्रीय धरोहर की पहचान हो, प्रतिवर्ष अपसढ

महोत्सव का आयोजन हो और अपसढ की ऐतिहासिक आकृति जो जमीनतल में पड़ी हुई है, उसका खनन करते हुए एक विशालकाय संग्रहालय का निर्माण हो, जहां पुरातात्विक शोध के प्रबंधन की व्यवस्था हो। मैं इस ओर भारत सरकार के पुरातात्विक पर्यटन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान इलाका है। यहां के कृषि पर आधारित 80 प्रतिशत लोग निर्भर हैं, चाहे वे कृषक हों या मजदूर हों। प्रकृति के विरुद्ध जाकर किसानों ने परिश्रम से धान का उत्पादन किया है। 30 लाख टन बिक्री योग्य धान किसानों के खिलहानों में पड़ा हुआ है। दिसंबर माह बीतने जा रहा है जबकि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की खरीद समाप्त हों चुकी है और बिहार में एक छटांग भी धान की खरीद नहीं हुई। बिहार सरकार और भारत सरकार की उदासीनता है। भारत सरकार की गारंटी है कि किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते 1058 रुपए के बदले में 600-700 रुपए प्रति क्विंटल धान की बिक्री करनी पड़ रही है। यह लाभकारी मूल्य नहीं है, यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अगर किसानों को 1058 रुपए मिलते तो शायद उसके हाथ में 50 या 100 रुपए बचत के रूप में आते। किसान 300-350 रुपए प्रति क्विंटल घाटा उठाकर बेच रहे हैं। यह लगातार सात वर्षों से हो रहा है। प्रति वर्ष किसानों की बिक्री योग्य अनाज पर 3000-4000 करोड़ रुपए की पूंजी समाप्त हो रही है। यह ठीक है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। यदि आत्महत्या करना ही उनके अधिकार की प्राप्ति का साधन है तो मैं समझता हूं कि यह सोच सही नहीं है। किसानों ने बड़े परिश्रम से उत्पादन किया है और उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं गारंटी दी गई है इसलिए एफसीआई एवं बिहार सरकार की संस्थाओं के माध्यम से अनाज की खरीद की जाए।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापित महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पश्चिम के अहम राजमार्ग गांधीनगर सरखेज हाईवे संबंधित प्रश्न उठाने की अनुमित दी। अहमदाबाद के पश्चिमी क्षेत्र से यह पहले बाई पास के रूप में था, लेकिन पिछले कई सालों से अहमदाबाद की आबादी करीब 60 लाख से ज्यादा हुई है जिसके कारण इसे मेगा सिटी का दर्जा मिला है और अब इस राजमार्ग पर यातायात बहुत भारी मात्रा में रहता है। इसी वजह से मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस राजमार्ग को छः लेन में परिवर्तित करना चाहिए और हर चौराहे पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करना चाहिए। इस राजमार्ग पर गांधी नगर से इंफोसिटी जंक्शन, यजीर जंक्शन, वैष्णो देवी जंक्शन, गोता जंक्शन, थलतेज जंक्शन, सोला जंक्शन, पकवान जंक्शन,



सानंद जंक्शन और उजाला जंक्शन के चौहारों पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करना चाहिए, यह मेरी मांग है।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने अडालच फ्लोर लीफ, इस्कान फ्लाई ओवर एवं गोता फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य शुरू किया है। मेरा अनुरोध है कि इस राजमार्ग पर आप शीघ्र ही फ्लाई ओवर्स का निर्माण प्रारंभ करें। धन्यवाद।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण (दिंडोरी): सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वहां आज भी हजारों किसानों ने चक्का जाम किया है, क्योंकि किसानों को 30 से 35 हजार रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है और प्रति एकड़ से उसे 60 या 70 क्विंटल प्रोडक्शन मिलता है और बाजार में आज उसके दाम 300 या 400 रुपये मिलते हैं। यानी 18 हजार या 24 हजार रुपये के आसपास उसे उसका प्राइस मिलता है। इसलिए आज तक वहां बहुत से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं।

इसिलए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि ऐसे किसानों की प्याज की फसल के मूल्य निर्धारित करने चाहिए, तािक किसानों को प्याज के उचित मूल्य प्राप्त हो सकें और किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सके। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में प्याज का उत्पादन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे अधिक होता है। इसिलए केन्द्र सरकार को इस बारे में कोई नीित निर्धारित करनी चाहिए। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri A.T. Nana Patil is allowed to associate with this issue raised by Shri Harish Chandra Chavan.

SHRI K. SHIVKUMAR *ALIAS* J.K. RITHEESH (RAMANATHAPURAM): Sir, in Tamil Nadu, almost every day attack on fishermen is the headline news in all the newspapers and television. This is not the first or second incident in my constituency. It is happening since 1983.

On 28th November, five fishermen were arrested by Sri Lankan Navy and lodged in a prison in Jaffna on charges of drug smuggling. On 13th December, again five fishermen were arrested by Sri Lankan Navy and they released them on 15th December. But the five fishermen arrested on 28th November have not been released till now. The fishermen are observing indefinite hunger strike in Rameswaram demanding the release of the five fishermen.

Usually, Sri Lankan Navy used to charge them for crossing the border but quite recently, they have started booking them in drug smuggling cases and started humiliating them. Moreover, I can assure that they would have never been indulging in such activities.

Almost everyday, the Sri Lankan Navy is brutally attacking our fishermen capturing, damaging t heir boats, torturing, humiliating and harassing them violently. I have sent several fax messages and letters repeatedly on the fishermen issue to the hon. Minister for External Affairs seeking a permanent solution of this problem.

Sir, I expect a concrete and solid solution for this problem from the UPA Government.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापित महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे झारखंड प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह के अंतर्गत लगभग आठ वर्षों से गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन की परियोजना बंद है। जिसमें झारखंड सरकार ने भी धन दिया है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस रेल परियोजना को अविलंब पूरा कराया जाए और गिरिडीह में रेल प्वाइंट का निर्माण हो, ताकि वहां जो लोहे के कारखाने हैं, उन्हें लाभ मिल सके। धन्यवाद।

20.25 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 20, 2011/Agrahayana 29, 1933 (Saka).

